



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2022 की प्रतिवेदन संख्या 21
(अनुपालन लेखापरीक्षा)



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

**संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2022 की प्रतिवेदन संख्या 21
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय-I: प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.2	1
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.3	2
बजट और व्यय नियंत्रण	1.4	3
स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा	1.5	5
बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	1.6	10
विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति	1.7	11
केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) की लेखापरीक्षा	1.8	12
हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना	1.9	12
प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/ विभागों का प्रत्युत्तर	1.10	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.11	13
अध्याय-II: अंतरिक्ष विभाग		
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन	2.1	14
₹ 28.09 करोड़ का परिहार्य निवेश	2.2	43
करों एवं शुल्कों का ₹ 69.02 लाख का परिहार्य भुगतान	2.3	46
जीसैट-6 सैटलाईट का उपयोग ना होना	2.4	49
सुल्लुरुपेटा के विकास पर ₹ 7.57 करोड़ का अनियमित व्यय	2.5	52
अध्याय-III: जैव-प्रौद्योगिकी विभाग		
चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का प्रबंधन	3.1	55

अध्याय-IV: वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
प्रोत्साहनों और भत्तों की अनियमित स्वीकृति	4.1	67
अध्याय-V: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
वनस्पति उद्यान योजना को सहायता	5.1	70
प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण	5.2	95
एक प्रदर्शन परियोजना पर ₹ 73.35 लाख का निष्फल व्यय।	5.3	123
बैंक से ₹ 96.72 लाख के किराये की कम वसूली	5.4	127
अनुबंध		131
परिशिष्ट		153

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट मार्च 2021 को समाप्त हुई अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। यह रिपोर्ट संघ सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों, उनके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती हैं।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2019-21 की अवधि में देखे गए थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके। 2019-21 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी. एंड ए.जी.) की यह रिपोर्ट भारत सरकार के आठ¹ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों और उनके अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेनदेन के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में पर्यावरणीय मुद्दों, खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियों, अक्षम परियोजना प्रबंधन, कर्मचारियों को दिए गए अनियमित वित्तीय लाभ और कम आंतरिक नियंत्रण से संबंधित 11 पैराग्राफ शामिल हैं। इस रिपोर्ट में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का एक विहंगावलोकन नीचे दिया गया है।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने अपने विभिन्न प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों के लिए संरचनाओं के निर्माण के लिए उचित परिश्रम और डी.ओ.एस. क्रय नियमावली के प्रावधानों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना संविदाओं को निष्पादित किया। एकल निविदा संविदाओं के लंबे समय तक जारी रहने, निर्मित बुनियादी ढांचे के निष्क्रिय होने, सुविधा वृद्धि में अनियमित व्यय, कोडल प्रावधानों से विचलन, साथ ही खराब संविदा प्रबंधन के मामले थे।

(पृष्ठ 14, पैराग्राफ 2.1)

₹ 28.09 करोड़ का परिहार्य व्यय

वी.एस.एस.सी. ने ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड (टी.सी.सी.) में एक प्योर ग्रेड सोडियम क्लोरेट क्रिस्टल्स विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने हेतु ₹ 28.09 करोड़ का निवेश किया। निवेश परिहार्य था क्योंकि बाजार में वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता उपलब्ध थे। टी.सी.सी. में निवेश के बावजूद, वी.एस.एस.सी. ने टी.सी.सी. से बाजार दर से उच्चतर दर पर इन

¹ 1. परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.); विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) 3. अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) 4. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.), भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित 5. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) 6. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)

क्रिस्टल्स की अधिप्राप्ति की, जिसका परिणाम ₹ 3.23 करोड़ के परिहार्य अधिक भुगतान के रूप में हुआ।

(पृष्ठ 43, पैराग्राफ 2.2)

करो एवं शुल्कों का ₹ 69.02 लाख का परिहार्य भुगतान

गलत वर्गीकरण के कारण वी.एस.एस.सी. ने प्रेक्षेपण वाहन कंज्यूमेबल्स के आयात पर सुरक्षा शुल्क के रूप में ₹ 26.37 लाख का परिहार्य भुगतान वहन किया। साथ ही वी.एस.एस.सी. ने डी.सी. कन्वर्टर के आयात पर ₹ 42.65 लाख का अनियमित भुगतान आई.जी.एस.टी. के रूप में किया।

(पृष्ठ 46, पैराग्राफ 2.3)

जीसैट-6 सैटलाईट का उपयोग ना होना

अंतरिक्ष विभाग ने ₹ 508 करोड़ की लागत से जीसैट-6 उपग्रह का प्रक्षेपण किया लेकिन उपग्रह के भूखंड के तैयार ना होने की स्थिति के कारण उपग्रह का परिकल्पित उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप उपग्रह अपनी उम्र के आधे समय तक अनुपयोगी रहा।

(पृष्ठ 49, पैराग्राफ 2.4)

सुल्लुरुपेटा के विकास पर ₹ 7.57 करोड़ का अनियमित व्यय।

अंतरिक्ष विभाग ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अपने अधिदेश से परे, आंध्र प्रदेश के सुल्लुरुपेटा नगरपालिका के विकास से संबंधित कार्य को करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसके चलते ₹ 7.57 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(पृष्ठ 52, पैराग्राफ 2.5)

चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का प्रबंधन

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कुशलतापूर्वक प्रबंध नहीं किया। महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जैसे परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन, अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना, परियोजनाओं का आवधिक अनुवीक्षण तथा सभी पूर्ण परियोजनाओं का समय पर मूल्यांकन नहीं किया गया था। उच्च प्रभाव जर्नलों में प्रकाशनों की संख्या, परियोजना की खराब गुणवत्ता को इंगित करते हुए, बहुत निम्न थी। वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता थी। चिकित्सा

जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं पर ₹ 1,203.40 करोड़ के संवितरण के बावजूद केवल एक पेटेन्ट को मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण सुधार क्षेत्र में ट्रांसलेशनल अनुसंधान हेतु परियोजनाओं की खराब योजना एवं परिणामों को इंगित करते हुए बिना किसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के स्वीकृत किया गया है।

(पृष्ठ 55, पैराग्राफ 3.1)

प्रोत्साहनों और भत्तों की अनियमित स्वीकृति

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन अर्थात् विशेष वेतन, अतिरिक्त वेतन वृद्धि और व्यावसायिक अद्यतन भत्ते को स्वीकृति प्रदान की। अकेले अनियमित व्यावसायिक अद्यतन भत्ते के भुगतान का वित्तीय निहितार्थ ₹ 54.60 करोड़ सीमा तक था।

(पृष्ठ 67, पैराग्राफ 4.1)

वनस्पति उद्यान को सहायता योजना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एवं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.) के माध्यम से ₹ 48.07 करोड़ की लागत पर कार्यान्वित योजना 'वनस्पति उद्यान की सहायता (ए.बी.जी.)' संकटग्रस्त और स्थानिक पौधों के बाहरी संरक्षण और गुणन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी थी। लक्षित पौधों की प्रजातियों के गुणन ना होने के कारण, उन्हें पुनःपरिचय के लिए अन्य संगठनों को वितरित नहीं किया जा सका था। प्रमुख वनस्पति उद्यान और वनस्पति उद्यान एक दूसरे के साथ नेटवर्क नहीं बना सके और परिणामस्वरूप, उद्यान प्रजातियों के ज्ञान और विनिमय पौधों की सामग्री उत्पन्न करने में विफल रहे थे। इसके अलावा, संरक्षित पौधों की प्रजातियों को राज्य वन विभागों के सहयोग से प्राकृतिक आवासों में पुनर्वासित नहीं किया जा सका था। उद्यान भी प्रसार तकनीकों को विकसित करने में विफल रहे जिसने संरक्षण प्रयासों को प्रभावित किया था। इस प्रकार, ए.बी.जी. योजना के माध्यम से प्रजातियों के विलुप्त होने के संकट से बचने के लिए संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का उद्देश्य काफी हद तक अधूरा रह गया था।

(पृष्ठ 70, पैराग्राफ 5.1)

प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) के पास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू नहीं किया जा सका।

(पृष्ठ 95, पैराग्राफ 5.2)

एक प्रदर्शन परियोजना पर ₹ 73.35 लाख का निष्फल व्यय।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अप्रभावी अनुवीक्षण तथा वित्तीय सहायता में विलंब का परिणाम जारी करने में प्रदर्शन परियोजना से पर्यावरणीय लाभों की अप्राप्ति तथा ₹ 73.35 लाख के निष्फल व्यय के रूप में हुआ।

(पृष्ठ 123, पैराग्राफ 5.3)

बैंक से ₹ 96.72 लाख के किराये की कम वसूली

औपचारिक पट्टा करार के अभाव का परिणाम ₹ 96.72 लाख के किराये राजस्व की हानि के रूप में हुआ।

(पृष्ठ 127, पैराग्राफ 5.4)

अध्याय - I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान तथा लागू विधि, नियमों, विनियमों के प्रावधानों, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा इच्छित लक्ष्यों को पाने के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता को भी निर्धारित करने से संबंधित है।

लेखापरीक्षा मानकों की आवश्यकता है कि रिपोर्टिंग की अहमियत का स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और आकार के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से आशा की जाती है कि वह कार्यकारिणी को सुधार कार्यों को लागू करने के साथ-साथ ऐसी नीतियों और निर्देशों को बनाने में सक्षम करे जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन सुधरे और इस प्रकार सुशासन में योगदान दें।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय तथा वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण करता है। अध्याय II से आगे, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं स्वायत्त निकायों के साथ-साथ उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले केंद्रीय लोक उद्यम क्षेत्र (सी.पी.एस.ई.) के अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्धृत निष्कर्षों/टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हैं।

1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

यह प्रतिवेदन उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा सी.पी.एस.ई. समेत उनके अंतर्गत ईकाइयों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

- 1) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)
- 2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
 - क) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.);

- ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); तथा
- ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
- 3) अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)
- 4) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.), भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित
- 5) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)
- 6) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सी. एंड ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में शामिल सिद्धांतों एवं प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग और प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, कार्रवाईयों का महत्व/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा हित धारकों की चिंताओं पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारंबारता तथा विस्तार का निर्णय किया जाता है। इस जोखिम-मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाईयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर उपलब्ध करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को, ड्राफ्ट पैरों के रूप में अलग से प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनकी प्रतिक्रिया हेतु जारी किया जाता है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान 448 इकाइयों में से 92 की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई और वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्ध संसाधनों तथा इकाइयों के जोखिम-मूल्यांकन के आधार पर वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 352 इकाइयों में से 100 का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

1.4 बजट और व्यय नियंत्रण

वर्ष 2020-21 और पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय की स्थिति को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2019-20	2020-21
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	24880.08	22116.83
2.	अंतरिक्ष विभाग	13033.29	9490.05
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4872.51	4244.88
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5453.02	4913.33
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2358.76	2259.72
6.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2611.45	2062.93
7.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	3562.11	3081.84
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1724.41	1287.95
	कुल	58495.63	49457.53

वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय वर्ष 2019-20 के व्यय ₹ 58495.63 करोड़ की तुलना में ₹ 49457.53 करोड़ था यानी, ₹ 9038.10 करोड़ (15.45 प्रतिशत) कम। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष 2020-2021 के कुल व्यय ₹ 49457.53 करोड़ में से 44.7 प्रतिशत डी.ए.ई. द्वारा किया गया, तत्पश्चात डी.ओ.एस. तथा डी.एस.टी. (19.1 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत क्रमशः) थे।

2022 की प्रतिवेदन संख्या 21

सभी आठ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के वास्तविक व्यय में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 4.19 प्रतिशत (डी.बी.टी.) से 27.18 प्रतिशत (डी.ओ.एस.) की कमी हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान डी.ओ.एस. (27.10 प्रतिशत), एम.ओ.ई.एस. (25.36 प्रतिशत) तथा एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. (21 प्रतिशत) के व्यय में उल्लेखनीय कमी थी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखों का सार अलग से तालिका 1.2 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 - वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोग (अनुपूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-) बचत/(+) आधिक्य	अव्ययित बजट प्रतिशत में
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	26691.73	22116.83	(-) 4574.91	17.13
2.	अंतरिक्ष विभाग	13479.51	9490.05	(-) 3989.46	29.59
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5385.00	4244.88	(-) 1140.12	21.17
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	6313.65	4913.33	(-) 1400.32	22.17
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	3136.76	2259.72	(-) 877.04	27.96
6.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3209.81	2062.93	(-) 1146.87	35.73
7.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5871.02	3081.84	(-) 2789.18	47.50
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2074.46	1287.95	(-) 786.51	37.91
	कुल	66161.94	49457.53	(-) 16704.41	25.24

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 66161.94 करोड़ के कुल बजट आवंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का अव्ययित बजट ₹ 16704.41 करोड़ था जोकि कुल अनुदान/विनियोग का 25.24 प्रतिशत था।

कुल अव्ययित बजट ₹ 16704.41 करोड़ में से, एम.एन.आर.ई. (47.50 प्रतिशत), एम.ओ.ई.एस. (37.91 प्रतिशत) और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. (35.73 प्रतिशत) का अव्ययित बजट सबसे अधिक था।

1.5 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

आठ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 10 केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सी.ए.बी.) हैं जिनकी धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की जाती है और जिनके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) तैयार की जाती है। इन 10 केंद्रीय स्वायत्त निकायों को 2020-21 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान, ₹ 5,342.64 करोड़ था, जैसा कि विस्तार से नीचे तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3 : केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय/विभाग	2020-21 के दौरान जारी की गई अनुदान की राशि
1.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	4201.07
2.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	310.00
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	10.00
4.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	741.18
5.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	7.40
6.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	22.00
7.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	7.19
8.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	10.80
9.	क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद	डी.बी.टी.	33.00
10.	प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	लेखे प्राप्त नहीं हुए
	कुल		5342.64

इसके अतिरिक्त, सी. एंड ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत 66 केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा भी की गई। इन 66 केंद्रीय स्वायत्त निकायों को वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 5650.37 करोड़ था। विवरण **परिशिष्ट 1** में दिया गया है।

1.5.1 लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति का अपना प्रथम प्रतिवेदन (पाँचवीं लोकसभा) 1975-76 तथा सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) 2017 का नियम 237 यह बताता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक केंद्रीय स्वायत्त निकाय को अपने लेखों को तीन महीने की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए और उनको लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए।

10 केंद्रीय स्वायत्त निकायों¹ में से, पांच केंद्रीय स्वायत्त निकायों ने एक महीने या अधिक की देरी के बाद वर्ष 2020-21 के लिए उनके लेखे प्रस्तुत किए और एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय (कैम्पा) के लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। इन सबकी व्याख्या नीचे **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: लेखापरीक्षा को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखा परीक्षा को लेखें प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब माह में
1.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	12.10.2021	3 माह 12 दिन
2.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	25.08.2021	1 माह 25 दिन
3.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	09.09.2021	2 माह 9 दिन

¹ जिसके लिए सी.ए.जी. द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा की जाती है

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखा परीक्षा को लेखें प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब माह में
4.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	01.12.2021	5 माह
5.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	02.09.2021	2 माह 2 दिन

1.5.2 केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं का संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1975-76) में सिफारिश की थी कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए, अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर तक। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (2017) के नियम 237 के अनुसार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखें नोडल मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर तक संसद में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षित लेखों को संसद में प्रस्तुतीकरण से संबंधित देरी का वर्णन निचे तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा संसद को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि		विलम्ब माह में
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई -एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.			लंबित हैं
2.	क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद -डी.बी.टी.	02.02.2022	16.12.2021	01 माह और 02 दिन का विलम्ब लोक सभा में

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि		विलम्ब माह में
		लोक सभा	राज्य सभा	
3.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान -डी.एस.टी.	09.02.2022	10.02.2022	01 माह और 09 दिन का विलम्ब
4.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून -एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.			लंबित हैं
5.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली -एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.			लंबित हैं
6.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली- एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	11.02.2022	लंबित हैं	लोक सभा में 01 माह और 10 दिन का विलम्ब और राज्य सभा में लंबित हैं
7.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-डी.एस.आई.आर.			लंबित हैं

1.5.3 वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अभ्युक्तियाँ

केंद्रीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय लेखापरीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे तालिका 1.6 में दर्शायी गई हैं।

तालिका 1.6: केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत लेखापरीक्षा टिप्पणी

क्र.सं.	सी.ए.बी. का नाम	टिप्पणियाँ
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
1.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	क. बैलेंस शीट संपत्तियाँ वर्तमान संपत्तियाँ (अनुसूची 11): ₹ 1678.75 लाख इसके अंतर्गत डब्ल्यू.आई.आई. पर बाहरी रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं का ₹ 5316.11 लाख अंतिम शेष के रूप में शामिल नहीं है। इस तरह, वर्तमान संपत्तियों और निर्धारित

क्र.सं.	सी.ए.बी. का नाम	टिप्पणियाँ
		कोष को ₹ 5316.11 लाख कम करके दिखाया गया। इस तरह के अवलोकन पिछले वर्षों में भी किए गए थे लेकिन इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
2.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	<p>बैलेंस शीट संपत्तियाँ</p> <p>वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम - ₹ 8331.94 लाख</p> <p>जैव विविधता नियमों के नियम 20(9) के अनुसार जमा किए कोष का 5 प्रतिशत (₹ 535.69 लाख) प्रशासनिक एवं सेवा शुल्कों के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें से, ₹ 187.76 लाख की राशि एन.बी.ए. द्वारा पहले ही स्थानांतरित कर दी गई थी। बचे हुए ₹ 347.93 लाख के लिए, कोष खाते में एक प्रावधान बनाया गया था। हालांकि, इस राशि को प्राधिकरण के खाते में वर्तमान संपत्तियों के अंतर्गत प्राप्त के रूप में नहीं दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्तियों में ₹ 347.93 लाख की कमी देखी गई तथा प्राधिकरण के खातों में भी इतनी ही कमी दर्ज की गई।</p>
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	<p>देनदारियाँ</p> <p>वर्तमान देनदारियों को ₹ 70.35 करोड़ कम बताना।</p> <p>सी.एस.आई.आर. की 14 नमूना प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने बाहरी वित्त पोषित परियोजनाओं में से ₹ 43.54 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया और उसे अंतिम व्यय के रूप में दिखाया। इसके अलावा, इन संस्थानों ने अपने खातों की पुस्तिकाओं में बाहरी रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं की निधि से किए गए सावधि जमा (साख पत्र खोलने के लिए मार्जिन राशि में जमा सहित) पर अर्जित ब्याज राशि के ₹ 26.81 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। इस तरह, इन संस्थानों ने बाहरी वित्त पोषित परियोजनाओं के साथ-साथ वर्तमान संपत्तियों (अग्रिम) के लिए जमा राशि के प्रति अपनी वर्तमान देनदारियों को ₹ 70.35 करोड़ कम बताया। इस तरह के अवलोकनों का वर्णन पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में भी किया गया था, परंतु उन पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।</p> <p>सरकारी अनुदानों के विरुद्ध देनदारियाँ (अनुसूची-5 ₹ 99.84 करोड़) अनुदानों को जारी की जाने वाली नियमों एवं शर्तों के अनुसार, अव्ययित अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज को</p>

क्र.सं.	सी.ए.बी. का नाम	टिप्पणियाँ
		फंडिंग एजेंसी को वापिस करना होता है। हालांकि 14 चयनित प्रयोगशालाएँ/संस्थान अनुदानों पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में दिखाते रहे। जिसके चलते, आय को अधिक एवं वर्तमान देनदारियों को ₹ 33.76 करोड़ कम करके दिखाया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
4.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	देनदारियाँ कॉर्पस/पूँजी/कोष, अनुसूची 1, ₹ 37.48 करोड़ संस्थान ने अनुपयोगित अनुदान को अनुसूची-1 के अंतर्गत 'कॉर्पस/पूँजी कोष' में 'कॉर्पस बैलेंस' के रूप में रखा। चूंकि यह राशि अव्ययित सरकारी अनुदानों से संबंधित है, इसे अनुसूची 7, 'वर्तमान देनदारियों' के अंतर्गत अव्ययित अनुदान के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इस तरह, अव्ययित अनुदानों के खातों में वर्तमान देनदारियाँ ₹ 28.10 करोड़ कम दिखाई गईं एवं इतनी ही राशि कॉर्पस कोष में बढ़ा कर दिखाई गई।

केंद्रीय स्वायत्त निकायों की सूची, जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जहां स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था और जहां वस्तु-सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, को **परिशिष्ट II** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपदान एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों का लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया था, को **परिशिष्ट III** में दर्शाया गया है।

1.6 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी है, जो इंगित करे कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था, उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया गया था और जहां अनुदान सशर्त थे, वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई। आठ मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल ₹ 22,385.91 करोड़ के 48,057 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) बकाया थे, जिन्हें नीचे **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालय/विभाग	बकाया यू.सी. की संख्या	कुल बकाया यू.सी. के हिस्से का %	बकाया यू.सी. से संबंधित राशि (₹ करोड़ में)	कुल बकाया यू.सी. से संबंधित राशि का हिस्सा %
1) डी.ए.ई.	942	1.9	117.39	0.5
2) डी.बी.टी.	15,304	31.9	6114.00	27.3
3) डी.एस.टी.	23,866	49.7	3782.85	16.9
4) डी.एस.आई.आर.	1547	3.2	10834.41	48.3
5) डी.ओ.एस.	756	1.6	48.64	0.2
6) एम.ओ.ई.एस.	631	1.3	63.70	0.3
7) एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	4493	9.3	630.52	2.9
8) एम.एन.आर.ई.	518	1.0	794.40	3.5
कुल	48,057	100.00	22,385.91	100

उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि बकाया यू.सी. की अधिकतम संख्या, डी.एस.टी. और डी.बी.टी. से संबंधित है। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मंत्रालय/विभागवार स्थिति *परिशिष्ट IV* में दी गई है।

1.7 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 92 में निर्धारित है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे और प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्धारित किए गए हों। इसमें उपयुक्त विनिर्माण, व्यापार, लाभ और हानि खाता एवं बैलेंस शीट शामिल है।

31 मार्च 2021 तक वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के डी.ए.ई. के तहत दो विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम अर्थात् नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद (एन.एफ.सी.) तथा भारी जल पूल प्रबंधन, मुंबई (एच.डब्ल्यू.पी.एम.) थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रोफॉर्मा लेखे जिसमें सामान्यतया ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र शामिल है, के द्वारा प्रतिवेदित किए जाते हैं।

एन.एफ.सी. के प्रोफार्मा खातों को वर्ष 2010-11 तक और भारी जल पूल प्रबंधन, मुंबई के खातों को 2012-13 तक प्रमाणित किया गया है। दोनों इकाइयों के बाद के वर्षों के लेखे प्रमाणन के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

1.8 केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी समझे जाने वाली कंपनी भी शामिल है) के तहत स्थापित सरकारी कंपनियों के खातों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम के तहत सी. एण्ड ए.जी. द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा प्रमाणित खाते सी. एण्ड ए.जी. की पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जिनकी टिप्पणियाँ वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक हैं। इसके अलावा, यह कंपनियों धारा 143 (7) के तहत सी. एण्ड ए. जी. द्वारा लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत निगम या सरकारी कंपनी के खातों के संबंध में रिपोर्ट सी. एण्ड ए.जी. द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत 25 सी.पी.एस.ई. (शीर्ष) और इनके अधीन 16 कार्यान्वयन इकाइयां/संयंत्रों की लेखापरीक्षा की गई थी। इन कंपनियों की एक सूची **परिशिष्ट V** में दी गई है।

1.9 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

2020-21 के दौरान आठ मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल हो सकने वाली देयताओं का विवरण **परिशिष्ट VI** में दिया गया है। डी.ए.ई. में ₹ 10.77 लाख की कुल राशि को 12 मामलों में 'अन्य कारणों' के लिए अपलिखित किया गया।

1.10 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सी. एंड ए.जी. के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा

पैराग्राफों के प्रत्युत्तर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में निर्गमित किए थे। यह नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्मित लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 के पैरा 137(1) के अंतर्गत भी निर्धारित है।

प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए प्रेषित किया जाता है और उनसे निवेदन किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को मार्च 2021 और फरवरी 2022 के बीच उनको व्यक्तिगत रूप से संबोधित पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

इस प्रतिवेदन में 11 पैराग्राफ हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रत्युत्तर (पैरा संख्या 4.1 के अलावा) प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (ग्याहरवीं लोकसभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के उपरांत की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत की जाए।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी. एंड ए.जी. के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा से पाया गया कि 31 मार्च 2022 तक तीन मंत्रालयों/विभागों से कुल पांच ए.टी.एन. 11 से 17 माह की देरी के बाद भी (विवरण **परिशिष्ट VII** में) पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए थे। साथ ही, मार्च 2022 तक चार मंत्रालयों/विभागों के छः पैरों से संबंधित पुनरीक्षित ए.टी.एन. 12 माह से 55 माह की देरी के बाद भी (**परिशिष्ट VIII**) लंबित थे।

अध्याय - II

अंतरिक्ष विभाग

2.1 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने अपने विभिन्न प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों के लिए संरचनाओं के निर्माण के लिए उचित परिश्रम और डी.ओ.एस. क्रय नियमावली के प्रावधानों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना संविदाओं को निष्पादित किया। एकल निविदा संविदाओं के लंबे समय तक जारी रहने, निर्मित बुनियादी ढांचे के निष्क्रिय होने, सुविधा वृद्धि में अनियमित व्यय, कोडल प्रावधानों से विचलन, साथ ही खराब संविदा प्रबंधन के मामले थे।

2.1.1 प्रस्तावना

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम (वी.एस.एस.सी.) अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) के अधीन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का केंद्र है, जो प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार है। वी.एस.एस.सी. की सामग्री और यांत्रिक इकाई (एम.एम.ई.) व्यय योग्य और पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों के लिए गुणवत्ता सामग्री और हार्डवेयर के विकास, प्रसंस्करण और प्राप्ति के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करती है। एम.एम.ई. की गतिविधियों में प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के लिए आवश्यक यांत्रिक हार्डवेयर का निर्माण और निर्माण गतिविधियों में प्रयुक्त सामग्री का विकास और निर्माण शामिल है। यांत्रिक निर्माण गतिविधि में स्ट्रैप-ऑन मोटर्स, सॉलिड मोटर केस और हल्के मिश्र धातु संरचनाओं के निर्माण सहित हार्डवेयर का बाहरी निर्माण और निर्माण गतिविधि की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों, प्लेटों, फोर्जिंग और मिश्र धातुओं की क्रय/विकास/विनिर्माण शामिल हैं।

वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि के लिए निर्माण के संविदाओं के प्रबंधन की एक लेखापरीक्षा की गई थी ताकि यह जांच की जा सके कि क्या निर्माण गतिविधियों के प्रबंधन में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और क्या निर्माण गतिविधियों से संबंधित संविदाओं का प्रबंधन मौजूदा नियमों के अनुपालन में था। उक्त अवधि के

दौरान वी.एस.एस.सी. द्वारा किए गए ₹ 7,677.31 करोड़ मूल्य के 8088 अनुबंधों/आपूर्ति आदेशों में से, लेखापरीक्षा ने ₹ 1,156.56 करोड़ मूल्य के 52 संविदाओं का चयन किया था। संविदाओं का चयन एम.एम.ई. में यांत्रिक निर्माण के सभी क्षेत्रों से भौतिकता और प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था, जैसे कि मोटर केसों का निर्माण, लाइट असेंबली स्ट्रक्चर, प्लेट्स/फोर्जिंग/रिवेट्स/शीट्स/जो बोल्ट्स और सामग्री का प्रापण/विकास।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2.1 एकल निविदा के आधार पर लंबी अवधि के लिए संविदा को अनियमित रूप से प्रदान किए जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 160 (जी.एफ.आर. 2017 के नियम 173) के अनुसार, सभी सरकारी क्रय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए ताकि पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो सके। अनुबंध सामान्यतः सबसे कम मूल्य की बोली लगाने वाले को दिया जाना चाहिए जिसकी बोली उचित पाई गई है और जो संबंधित बोली के दस्तावेज में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंध को संतोषजनक ढंग से करने के लिए पात्र और योग्य है। डी.ओ.एस. क्रय प्रक्रिया के पैरा 11.1 (2002/2009 संस्करण) (डी.ओ.एस. क्रय नियमावली 2015 के पैरा 3.9) में प्रावधान है कि अंतरिक्ष आयोग द्वारा अनुमोदित मानदंडों/दिशानिर्देशों के तहत, डीओएस निजी उद्योग के साथ मिलकर लागत प्रभावी अंतरिक्ष उद्योग के विकास को बढ़ावा दे सकता है।

लेखापरीक्षा ने नमूना चयनित उदाहरणों में पाया कि जहां वी.एस.एस.सी. ने वैकल्पिक विक्रेताओं को ढूँढ़े बिना लंबी अवधि के लिए एकल निविदा आधार पर अपने प्रापण किए, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण का लाभ प्राप्त करने और केवल कुछ विक्रेताओं को महत्वपूर्ण लाभ देने से अवसर की हानि हुई। इन मामलों की चर्चा नीचे की गई है।

2.1.2.1.ए सॉलिड मोटर केस का प्रापण

वी.एस.एस.सी. के एम.एम.ई. ने इसरो के प्रक्षेपण वाहनों के लिए ठोस मोटर केसों के निर्माण के लिए हेड एंड सेगमेंट (एच.ई.एस.) और नोजल एंड सेगमेंट (एन.ई.एस.) के

लिए मैसर्स वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पुणे (डब्ल्यू.आई.एल.) और मध्य खंड (एम.डी.एस.) के लिए मैसर्स लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, मुंबई (एल. एंड टी.) विनिर्माण सुविधाओं की पहचान की थी (1991)। वी.एस.एस.सी. ने मार्च 2003 में एल. एंड टी. में ₹ 4.02 करोड़² की लागत से और अगस्त 2016 में डब्ल्यू.आई.एल. में ₹ 8.90 करोड़³ की लागत से मोटर केशों के निर्माण के लिए आवश्यक परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की थी। प्रारंभ में, डब्ल्यू.आई.एल., एल. एंड टी. द्वारा स्थापित परीक्षण सुविधा का उपयोग कर रहा था।

यह पाया गया कि वी.एस.एस.सी. ने प्रारंभ में अगस्त 2003 में 10 साल की अवधि के लिए डब्ल्यू.आई.एल. और एल. एंड टी. के साथ संविदा की थी। एच.ई.एस. के लिए कीमत ₹ 1.02 करोड़ प्रति यूनिट, एन.ई.एस. के लिए ₹ 93.50 लाख प्रति यूनिट और एम.डी.एस. के लिए ₹ 96 लाख प्रति यूनिट तय की गई थी। संविदाओं में मूल्य वृद्धि खंड प्रदान किए गए थे। इसके पश्चात्, वी.एस.एस.सी. ने डब्ल्यू.आई.एल. के साथ एच.ई.एस./एन.ई.एस. की आपूर्ति के लिए ₹ 45.01 करोड़ और एल एंड टी पर ₹ 67.26 करोड़ के लिए 10 वर्षों की अवधि संविदा की थी (मार्च 2008)⁴। एच.ई.एस./एन.ई.एस. की मात्रा ₹ 78.25 करोड़ की कीमत पर 44 से 78 तक (मई 2016 में संशोधन) बढ़ा दी गई थी। इसी प्रकार, एम.डी.एस. की आपूर्ति के लिए संविदा को बाद के वर्षों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 66 से 123 तक संशोधित (जून 2016) किया गया था और ऑर्डर का मूल्य बढ़कर ₹ 121.98 करोड़ हो गया था। डब्ल्यू.आई.एल. के साथ अनुबंध के संशोधन को स्वीकृति प्रदान करते हुए, डी.ओ.एस. ने वी.एस.एस.सी. को अतिरिक्त विक्रेताओं का चयन करने और सभी विक्रेताओं को सीमित निविदाएं जारी करने का निर्देश दिया (जुलाई 2016) ताकि जी.एफ.आर. और डी.ओ.एस. क्रय मैनुअल में प्रदान किए गए सबसे कम बोली लगाने वाले को संविदा प्रदान की जाए।

इसके बाद, आवश्यकता के अपने आकलन (मार्च 2018) के आधार पर, वी.एस.एस.सी. ने एस 139 हार्ड वेयर (कुल 15 इकाइयों के साथ तीन एच.ई.एस., तीन एन.ई.एस. और नौ एम.डी.एस.) के तीन सेटों की क्रय के दौरान सीमित निविदा (जनवरी 2019)

² प्रेशर प्रूफ परीक्षण सुविधा एवं हीट ट्रीटमेंट फर्नेस

³ प्रेशर प्रूफ परीक्षण सुविधा

⁴ ₹ 1.02 करोड़ प्रति यूनिट के लिए 22 एच.ई.एस. और ₹ 93.50 लाख प्रति यूनिट के लिए 22 एन.ई.एस. की आपूर्ति और आधार वर्ष जनवरी 2004 से वृद्धि के साथ ₹ दो करोड़ की टूलिंग लागत और आधार वर्ष 2007 से वृद्धि के साथ ₹ 96 लाख प्रति यूनिट के लिए 50 एम.डी.एस. की आपूर्ति और बाद में 66 एम.डी.एस. की आपूर्ति के लिए आदेश में संशोधन किया गया था।

जारी की थी। चार विक्रेताओं को शॉर्टलिस्ट⁵ किया गया था, जिनमें से सबसे कम बोली लगाने वाले मैसर्स श्री वेंकटेश्वर एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड (एस.वी.ए.पी.एल.) को ₹ 11.49 करोड़ की लागत पर ऑर्डर प्रदान किया गया था (मई 2019)।

2008-2019 की अवधि के दौरान, वी.एस.एस.सी. ने ठोस मोटर केसों के निर्माण के लिए ₹ 163.67 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वी.एस.एस.सी. ने प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ प्राप्त करने के लिए सीमित/खुली निविदा मोड के माध्यम से वैकल्पिक विक्रेताओं को ढूँढे बिना, 1991 से 28 वर्षों तक दो विक्रेताओं (डब्ल्यू.आई.एल. और एल. एंड टी.) पर एकल निविदा आदेश देना जारी रखा था। सीमित निविदा केवल जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा ने डब्ल्यू.आई.एल. (मार्च 2008/मई 2016) और एल. एंड टी. (मार्च 2008/जून 2016) के अनुक्रमित संविदा मूल्य के प्रति एस.वी.ए.पी.एल. (मई 2019) की कीमतों में अंतर की गणना की और पाया कि इन्हें क्रमशः ₹ 36.03 करोड़ और ₹ 62.21 करोड़ की सीमा तक पाया गया था (अनुबंध 2.1)। इस प्रकार, एकल निविदा मोड में प्रापण को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप डब्ल्यू.आई.एल. और एल. एंड टी. को महत्वपूर्ण लाभ हुआ था। इसके अलावा, हालांकि वी.एस.एस.सी. ने सरकारी निधियों से डब्ल्यू.आई.एल. और एल. एंड टी. में परीक्षण सुविधा स्थापित की, मोटर केसों के वितरण के लिए संविदा/आदेश हालांकि 'बे फोर्ज कॉन्ट्रैक्ट' और 'मिथानी के साथ अनुबंध' के तहत प्रदान की गई सुविधा के निवेश के अनुरूप छूट प्रदान नहीं करते थे जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 2.1.2.15 और 2.1.2.16 के तहत चर्चा की गई है। इसके अलावा, विक्रेताओं के परिसर में सुविधा की स्थापना के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी बोली का लाभ प्राप्त करने के अवसर की हानि हुई और विक्रेता को महत्वपूर्ण लाभ हुआ क्योंकि सरकारी क्रय जी.एफ.आर. के अनुसार सबसे कम मूल्यांकित बोली लगाने वाले को प्रदान की जानी है।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (मार्च 2021) कि परियोजना के अनुमोदन और मिशन के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता के बीच उपलब्ध समय स्थापित स्रोत से हार्डवेयर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1991 से डब्ल्यू.आई.एल. और एल. एंड टी. के साथ संविदा जारी रखी गई थीं, डी.ओ.एस. से इस

⁵ (i) एल. एंड टी. (ii) एस.ई.सी. इंडस्ट्रीज (iii) श्री वेंकटेश्वर एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड (एस.वी.ए.पी.एल.) और (iv) ब्रह्मोस एयरोस्पेस।

तरह के निर्देश प्राप्त करने के तीन वर्षों के भीतर वी.एस.एस.सी. वैकल्पिक विक्रेताओं की पहचान करने में सक्षम था। उत्तर यह भी इंगित करता है कि वी.एस.एस.सी. परियोजना अनुमोदनों का प्रापण लीड समय के साथ समन्वयित करने में असमर्थ था। डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि नया विक्रेता (एस.वी.ए.पी.एल.) जिसकी लागत हालांकि मौजूदा बड़े स्थिर विक्रेता की लागत से कम है, कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होगा। हालांकि वी.एस.एस.सी. ने मूल्य लाभ के लिए जी.एफ.आर. और डी.ओ.एस. क्रय प्रक्रियाओं में प्रदान की गई न्यूनतम बोली लगाने वाले को अनुबंध देने के लिए अतिरिक्त विक्रेताओं की पहचान नहीं की।

2.1.2.1.बी स्ट्रैप ऑन मोटरों का प्रापण

जी.एफ.आर. के अनुसार, सरकारी क्रय सबसे कम मूल्यांकित बोली लगाने वाले को दी जानी है। इसे अंतरिक्ष आयोग के वित्त सदस्य (अं.वि. में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि) द्वारा दोहराया गया था (जुलाई 2016)। वित्त सदस्य ने बताया कि एक ही वस्तु अलग-अलग कीमतों वाले विभिन्न विक्रेताओं से विभिन्न नियम और शर्तों में प्रापण किया जा रहा है। और उन्होंने डी.ओ.एस. को न्यूनतम कीमतों के मिलान के अधीन मानक क्रय शर्तों के साथ पहचाने गए विक्रेताओं से सीमित निविदाएं जारी करने का निर्देश दिया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित मामलों में, वी.एस.एस.सी. ने एकल निविदा आधार पर अनुबंध निष्पादित किए, जबकि उत्पादों के लिए वैकल्पिक विक्रेता उपलब्ध थे। इन मामलों की चर्चा नीचे की गई है।

(i) वी.एस.एस.सी. (अगस्त 2002) ने पी.एस.ओ. मोटर केशों के निर्माण के लिए मैसर्स वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.एल.) और मैसर्स रामकृष्ण इंजीनियरिंग कंपनी (आर.के.ई.) की पहचान की थी। वी.एस.एस.सी. ने क्रमशः 12 और 36 पी.एस.एल.वी. स्ट्रैप ऑन (पी.एस.ओ.) मोटर केशों के निर्माण के लिए डब्ल्यू.आई.एल. और आर.के.ई. के साथ संविदा की थी (जुलाई 2003)। संविदा की वैधता 10 वर्ष थी। वी.एस.एस.सी. ने भावी पी.एस.एल.वी. प्रक्षेपणों के लिए पी.एस.ओ. मोटर से पी.एस.ओ. एक्स.एल. मोटर्स में स्विच करने का निर्णय लिया (जनवरी 2007) और तदनुसार, 20 पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर मामलों के निर्माण को शामिल करने के लिए दोनों अनुबंधों (फरवरी/मार्च 2008) में संशोधन किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डब्ल्यू.आई.एल. (₹ 28.80 लाख) और आर.के.ई. (₹ 19.35 लाख) के संबंध में निर्धारित पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर केसो की इकाई कीमत में भिन्नता थी। जैसे, डब्ल्यू.आई.एल. द्वारा प्रभारित यूनिट कीमत, आर.के.ई. द्वारा प्रभारित यूनिट कीमत से ₹ 9.45 लाख अधिक था। वी.एस.एस.सी. ने दो विक्रेताओं को एकल निविदा आधार पर दो संविदा प्रदान की, जो जी.एफ.आर. का उल्लंघन था। इसके अलावा, एक ही मद के लिए अलग-अलग कीमतों पर दो अलग-अलग ठेकेदारों को ऑर्डर देने के परिणामस्वरूप ₹ 9.45 लाख प्रति यूनिट की दर से 20 पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर केसों के निर्माण के लिए डब्ल्यू.आई.एल. को ₹ 1.89 करोड़ (मूल्य वृद्धि को छोड़कर) का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

डी.ओ.एस./वी.एस.एस.सी. (मार्च 2022/जनवरी 2020) ने बताया कि दो अलग-अलग फर्मों की इंजीनियरिंग श्रेणी और उत्पादन लाइन में अंतर के कारण आर.के.ई. और डब्ल्यू.आई.एल. की कीमत की तुलना संभव नहीं थी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक ही उत्पाद के लिए दोनों ठेकेदारों को ऑर्डर दिए गए थे। एकल निविदा आधार पर दो फर्मों को संविदाएं देकर, वी.एस.एस.सी. न्यूनतम कीमतों पर क्रय को अनुकूलित करने में विफल रहा और इस तरह जी.एफ.आर. के तहत प्रदान किए गए सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं की गई थी।

(ii) वी.एस.एस.सी. ने 36 पी.एस.ओ. एक्स.एल. मोटर केसों के निर्माण के लिए एक और मांगपत्र उठाया (दिसंबर 2011)। मांगपत्र को एकल निविदा आधार (2012) पर संसाधित किया गया था और डब्ल्यू.आई.एल. के साथ जनवरी 2004 को आधार मूल्य का उपयोग करते हुए मूल्य वृद्धि के साथ-साथ ₹ 28.80 लाख की प्रति यूनिट की कीमत के साथ मौजूदा संविदा में संशोधन किया गया था (अगस्त 2012)। डब्ल्यू.आई.एल. द्वारा प्रभारित कीमत अगस्त 2012 तक वृद्धि के साथ ₹ 43.21 लाख⁶ प्रति यूनिट की सीमा में थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वी.एस.एस.सी. ने उपरोक्त प्रापण के लिए आर.के.ई. से निविदा आमंत्रित नहीं किया था। डब्ल्यू.आई.एल. ने 2012-17 की अवधि के दौरान 36 निर्मित इकाइयों की आपूर्ति की और वी.एस.एस.सी. ने ₹ 18.92 करोड़ का भुगतान किया था।

⁶ जनवरी 2004 और अगस्त 2012 शोलापुर के लिए श्रमिक वर्ग सी.पी.आई. क्रमशः 528 और 1031.14 (218 x 4.73) था। ₹ 28.80 प्रति सेट लाख का मूल मूल्य ₹ 14.41 लाख {0.75 x 0.70 x 28.80 x (1031.14-528)/528} बढ़ा था।

इसी अवधि के दौरान, मार्च 2017 तक आर.के.ई. को देय प्रति यूनिट कीमत वृद्धि सहित ₹ 27.67⁷ लाख होता। तदनुसार, उसी आपूर्ति के लिए आर.के.ई. को देय शुल्क केवल ₹ 9.96 करोड़ होता और इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.96 करोड़ की लागत बचत होती।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एकल पार्टी के आधार पर संविदा प्रदान की गई थी जबकि एक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता सस्ती कीमत पर उपलब्ध था, जो जी.एफ.आर. के विरुद्ध था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि वी.एस.एस.सी. ने संशोधन में शामिल वित्तीय प्रभाव की उचित जांच के बिना मौजूदा संविदा में संशोधन किया, जो डी.ओ.एस. क्रय प्रक्रिया का उल्लंघन था।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (जनवरी 2020) कि भले ही उन्हें आर.के.ई. से मूल्य लाभ था, फिर भी उन पर पूरी तरह से निर्भर रहना उचित नहीं था क्योंकि यह पी.एस.एल.वी. कार्यक्रम की हार्डवेयर आवश्यकता को प्रभावित करेगा। डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि वितरण की प्रक्रिया पहचान किए गए ठेकेदारों के बीच प्रतिस्पर्धी मूल्य पर क्रय भविष्य के आदेशों में करने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जाना है कि वी.एस.एस.सी. ने डब्ल्यू.आई.एल. द्वारा दी जा रही न्यूनतम कीमतों के मिलान पर विचार नहीं किया, और न ही मूल्य लाभ के लिए दो पहचाने गए ठेकेदारों के बीच क्रय को वितरित करने का प्रयास किया।

(iii) डब्ल्यू.आई.एल. को संविदा प्रदान करते समय (मार्च 2008) जैसा कि उपर्युक्त क्रम संख्या (i) में उल्लिखित रूप से, पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर केस के प्रत्येक सेट के निर्माण के लिए मूल्य ₹ 28.80 लाख और जनवरी 2004 को मूल्य स्तर पर अनुक्रमित डिलीवरी की निर्धारित तिथि के अनुसार मूल्य वृद्धि के रूप में उद्धृत किया गया था। वी.एस.एस.सी. ने आगे पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर केसों की मात्रा 20 से 56 तक संशोधन किया (अगस्त 2012) और मूल्य निर्धारण अनुच्छेद में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद, वी.एस.एस.सी. ने समान मूल्य शर्तों पर 12 पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर केसों के निर्माण के लिए एकल निविदा आधार पर डब्ल्यू.आई.एल. के साथ नई

⁷ जनवरी 2004 और अगस्त 2012 चेन्नई के लिए श्रमिक वर्ग सी.पी.आई. क्रमशः 539 और 994.95 (201 x 4.95) था। ₹ 19.35 लाख प्रति सेट का मूल मूल्य ₹ 5.32 लाख {0.65 x 0.50 x 19.35 x (994.95-539)/539} बढ़ा था।

संविदाएं (मई 2016 और फरवरी 2017) कीं (अर्थात, पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर केसों के प्रत्येक सेट का निर्माण ₹ 28.80 लाख प्लस मूल्य वृद्धि जनवरी 2004 को मूल्य स्तर पर अनुक्रमित डिलीवरी की निर्धारित तिथि के अनुसार)। इस प्रकार, वी.एस.एस.सी. ने वृद्धिशील वृद्धि लागत के साथ जुलाई 2003 में निर्धारित कीमतों पर डब्ल्यू.आई.एल. से पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर केसों की अपनी आवश्यकता के प्रापण को जारी रखा। डब्ल्यू.आई.एल. के पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर केस की वास्तविक कीमत प्रति यूनिट मई 2016 को ₹ 53.64 लाख⁸ थी और फरवरी 2017 को ₹ 53.23 लाख⁹ थी।

इस बीच, एक समिति की अनुशंसा के आधार पर, वी.एस.एस.सी. ने 12 पी.एस.ओ.-एक्स.एल. मोटर केसों के सेट के निर्माण के लिए अतिरिक्त स्रोतों¹⁰ को विकसित करने का निर्णय लिया (सितंबर 2015)। तदनुसार, वी.एस.एस.सी. ने सीमित निविदा प्रक्रिया (सितंबर 2015 और अगस्त 2016) मूल्य वृद्धि की कोई अवधारणा के बिना की और मैसर्स के बाउवेट, सतारा को ₹ 19.50 लाख के यूनिट मूल्य पर और मैसर्स ए.आर.एफ. इंजीनियरिंग लिमिटेड, चेन्नई और द के.सी.पी. लिमिटेड, चेन्नई की यूनिट मूल्य ₹ 24.60 लाख प्रति सेट पहचान की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डब्ल्यू.आई.एल. द्वारा प्रभारित ₹ 53.64 लाख की प्रति यूनिट कीमत के प्रति, मई 2016 में अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रभारित प्रति यूनिट मूल्य ₹ 19.50 लाख और ₹ 24.60 लाख था जो डब्ल्यू.आई.एल. द्वारा प्रस्तावित मूल्य से काफी कम था। इस बात से अवगत होने के बावजूद कि बाजार में बहुत सस्ते और प्रतिस्पर्धी नए स्रोत उपलब्ध थे, मूल्य वृद्धि पर डब्ल्यू.आई.एल. को एक नई संविदा देना, 12 साल पुराने आधार मूल्य के प्रति देय होना विवेकपूर्ण नहीं था। इसके

⁸ जनवरी 2004 और मई 2016 शोलापुर के लिए मजदूर वर्ग सी.पी.आई. क्रमशः 528 और 1395.35 (295 x 4.73) था। ₹ 28.80 लाख प्रति सेट का मूल मूल्य ₹ 24.84 लाख [0.75 x 0.70 x 28.80 x (1395.35-528)/528] बढ़ाया गया था।

⁹ जनवरी 2004 और जनवरी 2017 में शोलापुर के लिए मजदूर वर्ग सी.पी.आई. क्रमशः 528 और 1381.16 (292 x 4.73) था। ₹ 28.80 लाख प्रति सेट का मूल मूल्य ₹ 24.43 लाख [0.75 x 0.70 x 28.80 x (1381.16-528)/528] बढ़ाया गया था।

¹⁰ मौजूदा तीन स्रोतों की उत्पादन क्षमता 54 सेट थी। 11 पी.एस.एल.वी. उड़ानों के अनुमोदन के कारण पी.एस.ओ. एक्स.एल. मोटर केसों की आवश्यकता 66 सेट (11 x 6 मोटर केस प्रति उड़ान 6 मोटर केस की दर से) है। इसलिए 12 सेटों के निर्माण के लिए अतिरिक्त स्रोतों की पहचान की जानी है।

परिणामस्वरूप संविदाओं के तहत वृद्धि¹¹ के कारण ₹ 6.51 करोड़ का वृद्धिशील भुगतान हुआ।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (जनवरी 2020) कि 2017 में पी.एस.एल.वी. की बढ़ी हुई आवश्यकता को देखते हुए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की गई थी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पी.एस.एल.वी. की आवश्यकता वर्ष 2012 में ही 20 से बढ़कर 56 हो गई, लेकिन वी.एस.एस.सी. ने उस स्तर पर वैकल्पिक विक्रेताओं की पहचान करने का प्रयास नहीं किया था। इसके अलावा, वी.एस.एस.सी. के पास 2016 में पहले से ही वैकल्पिक विक्रेता थे और फिर भी मई 2016 और फरवरी 2017 में उच्च कीमत पर डब्ल्यू.आई.एल. से आवश्यकता के स्रोत का विकल्प चुना गया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि वी.एस.एस.सी. ने उचित पहल की है और संतोषजनक मूल्य स्तर के साथ अधिक स्रोत विकसित किए हैं।

2.1.2.1.सी हल्की मिश्र धातु संरचनाओं का निर्माण

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलूर (एच.ए.एल.-ए.एस.डी.) के एयरोस्पेस डिवीजन में इसरो के लॉन्च वाहन कार्यक्रमों के लिए लाइट अलॉय स्ट्रक्चर (एल.ए.एस.) और टैंकेज की प्राप्ति के लिए इसरो फंडिंग के साथ एक समर्पित सुविधा है। वी.एस.एस.सी. ने पी.एस.एल.वी. और जी.एस.एल.वी. के लिए एल.ए.एस. और टैंकेज की आपूर्ति के लिए एच.ए.एल. के साथ संविदा की जैसा कि तालिका 2.1 में दिखाया गया है।

तालिका 2.1: एल.ए.एस. और टैंकेज के निर्माण के लिए एच.ए.एल. को दी गई संविदाएं और क्रय आदेश

पी.एस.एल.वी.		जी.एस.एल.वी.	
संविदा की तिथि	मूल्य (₹ करोड़)	संविदा की तिथि	मूल्य (₹ करोड़)
फरवरी 1996	25.07	मार्च 1997	39.43
मार्च 2004	67.46 (संशोधित रूप में 75.70)	जुलाई 2003	46.14
मार्च 2007	4.77	दिसंबर 2003	46.13
मार्च 2008	55.67	मार्च 2004/मार्च 2005	92.65
जनवरी 2016	298.02	मार्च 2007	40.18
		मार्च 2010	55.39

¹¹ मई 2016 के क्रय आदेश में ₹ 3.27 करोड़ तथा फरवरी 2017 के क्रय आदेश में ₹ 3.24 करोड़।

इस प्रकार, वी.एस.एस.सी. ने फरवरी 1996 से जनवरी 2016 तक लगभग 20 वर्षों तक एक ही आपूर्तिकर्ता से एल.ए.एस. और टैंकेज की क्रय जारी रखी थी। तत्काल पी.एस.एल.वी. लॉन्च आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पांच वैकल्पिक विक्रेताओं (तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड, केसीपी लिमिटेड, गेजेज इंडस्ट्रीज, श्री वेंकटेश्वर और एल. एंड टी.) वर्ष 2008 से 2019 की अवधि के दौरान फास्ट ट्रैक मोड पर कार्यरत थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन वैकल्पिक विक्रेताओं की दरें एच.ए.एल. की कीमतों की तुलना में कम थीं (अनुबंध-2.2 की तालिका 1 और तालिका 3)। एच.ए.एल. और अन्य विक्रेताओं की कीमतों के बीच का अंतर ₹ 77.10 करोड़ (अनुबंध-2.2 की तालिका 2 और तालिका 4) की सीमा तक था। एच.ए.एल. की निर्माण संविदाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी पता चला कि वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को केवल आपातकालीन आदेश दिए गए थे और एच.ए.एल. से नियमित आपूर्ति जारी रखी गई थी। एकल पक्ष के आधार पर संविदा देना जबकि वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता सस्ती कीमत पर उपलब्ध थे, ठीक नहीं था और इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (जनवरी 2020) कि एच.ए.एल. उस समय उपलब्ध एकमात्र स्रोत था जो इसरो की आवश्यकता के लिए एल.ए.एस. संरचनाओं को वितरित करने में सक्षम था और हार्डवेयर की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक विक्रेताओं को बाद में विकसित किया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वी.एस.एस.सी. ने वर्ष 2008 में वैकल्पिक विक्रेताओं की पहचान के बाद भी एकल निविदा आधार पर एच.ए.एल. को ₹ 387 करोड़ मूल्य का क्रय आदेश (अप्रैल 2019) जारी किया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि जब अतिरिक्त विक्रेता अपनी विशेषज्ञता और उत्पादन की दर को साबित करते हैं, तो वी.एस.एस.सी. को एच.ए.एल. और इन नए विक्रेताओं के बीच अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पहुंचने की उम्मीद है, जैसा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में परिकल्पित है। डी.ओ.एस. का उत्तर उनकी तकनीकी क्षमता और बुनियादी ढांचे के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद बड़े भारी उद्योगों को पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, ताकि ये इसरो द्वारा आवश्यक गुणवत्ता को पूरा करने और मूल्य निर्धारण के रूप में इसरो को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता के लिए उपलब्ध हों।

2.1.2.1.डी स्टील का प्रापण

वी.एस.एस.सी. ने मैसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के साथ छह प्रकार के फोर्जिंग रिंग्स और एम 250 ग्रेड मैराजिंग स्टील¹² से बने दो प्रकार की प्लेटों के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक संविदा की (फरवरी 2016)। इस क्रय को मालिकाना आधार पर इस औचित्य के साथ निष्पादित किया गया था कि मिधानी एकमात्र स्वदेशी निर्माता थी जिसके पास वी.एस.एस.सी. के विनिर्देशों के लिए एम 250 उत्पादों को साकार करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं थीं। इस संविदा के तहत कीमतों को मिधानी के साथ पिछले संविदाओं (दिसंबर 2009 से मार्च 2012) के तहत कीमतों में 25 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक की वृद्धि करके निकाला गया था।

मिधानी दिसंबर 2015 तक वी.एस.एस.सी. को एम250 मैराजिंग स्टील रॉड्स का एकमात्र आपूर्तिकर्ता भी था। दिसंबर 2015 में, वी.एस.एस.सी. ने एक वैकल्पिक ठेकेदार, मैसर्स स्टार वायर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की पहचान की थी। और वैकल्पिक ठेकेदार को भी एम 250 मैराजिंग स्टील रॉड के निर्माण और आपूर्ति के लिए ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2015 से अगस्त 2017 की अवधि के दौरान, वी.एस.एस.सी. ने मिधानी और मैसर्स स्टार वायर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड दोनों से मैराजिंग स्टील रॉड्स का प्रापण किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2015 और मई 2016 के बीच दिए गए तीन क्रय आदेशों में मिधानी द्वारा प्रभारित मूल्य मैसर्स स्टार वायर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड से 32-34 प्रतिशत तक अधिक था, मिधानी की कीमतों में दिसंबर 2017 के दौरान दो आपूर्तिकर्ताओं के बीच केवल सात प्रतिशत के अंतर के साथ तेजी से गिरावट आई (अनुबंध -2.3 की तालिका -1)। यह इंगित करता है कि वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता से कड़ी प्रतिस्पर्धा का मिधानी द्वारा लगाए गए मूल्य पर प्रभाव पड़ा, जो पहले एकमात्र आपूर्तिकर्ता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, हालांकि मैसर्स स्टार वायर (इंडिया) दिसंबर 2015 से एम250 मैराजिंग स्टील रॉड्स का एक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता रहा है, वी.एस.एस.सी. ने इसे एम250 मैराजिंग स्टील रिंग्स और प्लेट्स के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित नहीं किया था। वी.एस.एस.सी. ने मैराजिंग स्टील के रिंग्स और प्लेटों के किसी अन्य संभावित आपूर्तिकर्ता की भी खोज नहीं की और नई संविदा (फरवरी 2016) के तहत मिधानी द्वारा वसूले गए बढ़े हुए मूल्यों पर मिधानी से उनकी आवश्यकता को पूरा

¹² मैराजिंग स्टील्स लो-कार्बन अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ स्टील्स का एक वर्ग है

करना जारी रखा था। दिसंबर 2009 और फरवरी 2016 की कीमतों में वृद्धि के कारण क्रय पर वृद्धिशील व्यय ₹ 59.79 करोड़ की सीमा तक था, जैसा कि अनुबंध-2.3 की तालिका 2 में वर्णित है।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (जनवरी 2020) कि कीमत में अंतर इसलिए था क्योंकि मिधानी ने स्वदेशी रूप से अपनी सुविधा में मैराजिंग स्टील प्लेट्स विकसित की थी जबकि स्टार वायर ने सीधे कच्चे माल का आयात किया था। वी.एस.एस.सी. ने बताया कि लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के लिए रिंगों और प्लेटों की बड़ी और समयबद्ध आवश्यकता को देखते हुए आयात विकल्प व्यवहार्य नहीं था। डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि स्वदेशी विकास आयात की तुलना में महंगा है क्योंकि सामग्री प्रोसेसिंग, कच्चे माल से लेकर प्लेटों की प्राप्ति तक, चरणों में कठोर बहु मंजूरी शामिल है जो उपज को प्रभावित करती है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वी.एस.एस.सी. ने लागत बचाने के लिए आयात विकल्प के रूप में मिधानी में सुविधा¹³ स्थापित की थी।

2.1.2.2 संविदाओं में मूल्य वृद्धि संविदा को अंतिम रूप देने वाली समिति को सूचित नहीं किया गया था

डी.ओ.एस. क्रय प्रक्रिया (अक्टूबर 2009 संस्करण) के पैरा 7.8 और डी.ओ.एस. क्रय नियमावली 2015 के पैरा 12.5 (एफ) के अनुसार, क्रय समिति उद्धृत भुगतान शर्तों पर विचार करेगी और उनकी स्वीकृति पर निर्णय लेगी।

जैसा कि पैरा 2.1.2.1.ए और 2.1.2.1.बी में उल्लेख किया गया है, वी.एस.एस.सी. ने ठोस मोटर केस और स्ट्रैप ऑन (पी.एस.ओ. एक्स.एल.) मोटर्स के निर्माण के लिए डब्ल्यू.आई.एल. और एल. एंड टी. की पहचान की थी। इन वस्तुओं के लिए संविदा अगस्त 2003 में की गई थी और कीमतें एच.ई.एस. के लिए ₹ 1.02 करोड़ प्रति यूनिट, एन.ई.एस. के लिए ₹ 93.50 लाख प्रति यूनिट, एम.डी.एस. के लिए ₹ 96 लाख प्रति यूनिट और पी.एस.ओ. एक्स.एल. मोटर्स के लिए ₹ 28.80 लाख तय की गई थीं। बाद की संविदा के लिए बड़ी हुई कीमतों की गणना पिछली संविदा (जुलाई 2003/अगस्त 2003) की कीमतों पर डब्ल्यू.आई.एल. के लिए आधार वर्ष जनवरी 2004 और एल. एंड टी. के लिए दिसंबर 2007 से की जानी थी। हालांकि, वी.एस.एस.सी. ने न तो गणना की और न ही संविदा को अंतिम रूप देने के लिए संवर्धित मूल्य अर्थात्

¹³ वी.एस.एस.सी. ने वर्ष 2005 और 2006 के दौरान मिधानी में ₹ 34.30 करोड़ में सुविधा स्थापित की।

एच.ई.एस. के लिए ₹ 1.84 करोड़ प्रति यूनिट, एन.ई.एस. के लिए ₹ 1.69 करोड़, एम.डी.एस. के लिए ₹ 1.39 करोड़ और ₹ 1.84 करोड़ और पी.एस.ओ. एक्स.एल. मोटर्स के लिए ₹ 53.64 लाख की बढ़ी हुई कीमतों को बाद की संविदाओं (मई/जून 2016) को अंतिम रूप देते समय समिति (सी.एफ.सी.-1)/उपयुक्त अनुमोदन प्राधिकारियों¹⁴ को सूचना दी थी।

इस प्रकार, वी.एस.एस.सी. ने स्वीकृति देने वाले अधिकारियों को प्रति यूनिट सही लागत का खुलासा नहीं किया ताकि वे एक सुविचारित निर्णय ले सकें।

डी.ओ.एस./वी.एस.एस.सी. (मार्च 2022/जनवरी 2020) ने बताया कि अनुमोदन करने वाले अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, केवल आधार मूल्य शामिल किया गया था क्योंकि वृद्धि सेगमेंट डिलीवरी के समय ज्ञात होगा। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मई 2016/जून 2016 तक बढ़ा हुआ मूल्य जनवरी 2004/दिसंबर 2007 के आधार मूल्य से गिना जाना था। क्रय समिति की तिथि पर संवर्धित मूल्य उनकी जानकारी लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

2.1.2.3 टाइटेनियम स्पंज प्लांट का कम उपयोग

देश की सामरिक और एयरोस्पेस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, टाइटेनियम स्पंज प्लांट¹⁵ के स्वदेशीकरण के महत्व पर विचार करते हुए एक राष्ट्रीय समिति का गठन (2005) किया गया था। समिति की सिफारिश (मई 2005) के आधार पर, डी.ओ.एस. ने केरल मेटल्स एंड मिनरल्स लिमिटेड, चावरा (के.एम.एम.एल.) में टाइटेनियम स्पंज प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2006) और टाइटेनियम स्पंज के निर्माण के लिए के.एम.एम.एल. के साथ समझौता ज्ञापन (जनवरी 2006) पर हस्ताक्षर किए थे। केएमएमएल को मिथानी को टाइटेनियम अलॉय¹⁶ रोल्ड रिंग्स के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करनी थी, जो लॉन्च वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। यह सुविधा डी.ओ.एस. (अक्टूबर 2012) द्वारा के.एम.एम.एल. के परिसर में ₹ 143.11 करोड़ की कुल लागत से स्थापित की गई थी।

¹⁴ मांगपत्र समीक्षा समिति, आवश्यकता पहलू समीक्षा समिति, वरिष्ठ क्रय समिति, आदि।

¹⁵ टाइटेनियम स्पंज 2004 से खुले बाजार में आयात के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि विभिन्न स्पंज उत्पादों की उत्पादन क्षमता को प्रमुख यू.एस.ए./यू.के./यूरोप आधारित उद्योगों द्वारा पूरी तरह से बुक किया गया है।

¹⁶ लॉन्च वाहनों और उपग्रहों में टाइटेनियम मिश्र धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। उच्च शुद्धता वाली टाइटेनियम मिश्र धातु टाइटेनियम स्पंज है।

वी.एस.एस.सी. ने एयरोस्पेस टाइटेनियम स्पंज की आपूर्ति के लिए के.एम.एम.एल. के साथ 21 साल की अवधि के लिए एक संविदा की थी (अक्टूबर 2012)।

2018 तक, जून 2013 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान फर्म को ₹ 54.98 करोड़ मूल्य के नौ ऑर्डर जारी किए गए और के.एम.एम.एल. ने वी.एस.एस.सी. को टाइटेनियम की आपूर्ति की। वी.एस.एस.सी. ने के.एम.एम.एल. द्वारा विकसित टाइटेनियम स्पंज में मुद्दों (फरवरी 2019) की सूचना दी और आयात के माध्यम से टाइटेनियम मिश्र धातु की क्रय का निर्णय लिया था। इसके बाद वी.एस.एस.सी. ने 21 आयात क्रय आदेशों (अप्रैल 2019 से जनवरी 2021 तक) के माध्यम से टाइटेनियम उत्पादों की क्रय की, जिसका कुल मूल्य ₹ 13.58 करोड़ था। डी.ओ.एस. ने सितंबर 2017 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान टाइटेनियम उत्पादों का ऑर्डर नहीं दिया था। परिणामस्वरूप, ₹ 143.11 करोड़ की लागत से निर्मित संयंत्र का उपयोग अवधि के दौरान वी.एस.एस.सी. की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं किया गया था।

डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि के.एम.एम.एल. में विकसित टाइटेनियम स्पंज का उपयोग कार्यनीति कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के लिए किया गया था और इसरो की तत्काल आवश्यकताओं को आयात मार्ग के माध्यम से पूरा किया गया था। डी.ओ.एस. ने बताया कि उसने नवंबर 2021 में के.एम.एम.एल. पर आदेश जारी किए थे। डी.ओ.एस. ने हालांकि स्पष्ट रूप से यह इंगित नहीं किया कि क्या फरवरी 2019 में के.एम.एम.एल. द्वारा विकसित टाइटेनियम स्पंज में सूचित किए गए मुद्दों को विशेष रूप से इस तथ्य की पृष्ठभूमि में हल किया गया था कि के.एम.एम.एल. में संयंत्र को सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है।

2.1.2.4 दंडात्मक ब्याज की वसूली न होना

डी.ओ.एस. क्रय नियमावली 2015 के पैरा 5.4.1.2 के साथ पठित पैरा 10 (3) (5) (एफ) के अनुसार, चुनिंदा मामलों में स्वदेशी आपूर्ति में एक संविदा/क्रय आदेश के प्रति अग्रिम भुगतान का सहारा लिया जाना चाहिए। जहां भी अग्रिम भुगतान आवश्यक या अपरिहार्य समझा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के मामलों में स्वीकार्य क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने के बाद इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

वी.एस.एस.सी. ने 60 कोलबियम अलॉय सी103 शीट्स/प्लेट्स के निर्माण और आपूर्ति के लिए स्वामित्व के आधार पर मिथानी (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज) के साथ

एक संविदा किया (जनवरी 2011)। संविदा की शर्तों के अनुसार मिधानी द्वारा संविदा की पुष्टि, प्रोफार्मा चालान और क्षतिपूर्ति बांड जमा करने पर वी.एस.एस.सी. द्वारा कुल संविदा मूल्य का 40 प्रतिशत भुगतान किया जाना था। संविदा के अनुसार सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि 31 मार्च 2013 थी। शेष 60 प्रतिशत प्लस बैंकिंग शुल्क और कर सामग्री की स्वीकृति और दस्तावेजों को भेजने के पश्चात् 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना था।

तदनुसार, वी.एस.एस.सी. ने ₹ 4.52 करोड़ की अग्रिम राशि जारी (फरवरी 2011) की, जो ₹ 11.30 करोड़ के कुल संविदा मूल्य का 40 प्रतिशत था। संविदा के अनुसार वितरण, मार्च 2013 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, मिधानी समय पर डिलीवरी पूरी नहीं कर सका और मार्च 2015 तक 60 शीटों में से केवल पांच की आपूर्ति करने में सक्षम था। निरंतर देरी के कारण, वी.एस.एस.सी. ने संविदा को शॉर्ट क्लोज्ड (जनवरी 2018) किया और एक संशोधन जारी करके आपूर्ति की मात्रा को कम कर दिया और आदेश मूल्य को घटाकर ₹ 2.72 करोड़ कर दिया गया था।

आपूर्ति मात्रा में कमी के परिणामस्वरूप मिधानी के पास ₹ 3.43 करोड़¹⁷ का अतिरिक्त अग्रिम निष्क्रिय पड़ा हुआ था। यद्यपि वी.एस.एस.सी. ने मिधानी से दंडात्मक ब्याज के साथ अतिरिक्त अग्रिम वापस करने का अनुरोध किया (मार्च 2015), हालांकि, मिधानी (जून 2015) दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं था। वी.एस.एस.सी. ने वितरित वस्तुओं के भुगतान के प्रति अतिरिक्त अग्रिम राशि को समायोजित करने का निर्णय लिया (जून 2017), हालांकि ऐसी वसूली की स्थिति रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि संविदा में अग्रिम के रूप में एक बड़ी राशि के भुगतान की परिकल्पना की गई थी, सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, वी.एस.एस.सी. ने संविदा की शर्तों के अनुसार डिलीवरी को पूरा करने में ठेकेदार की अक्षमता की स्थिति में दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए एक अनुच्छेद शामिल नहीं किया, जिसके कारण वी.एस.एस.सी. फर्म से दंडात्मक ब्याज की वसूली को लागू करने में असमर्थ था।

¹⁷ ₹ 1129.82 लाख का 40 प्रतिशत में से ₹ 272.24 लाख का 40 प्रतिशत घटाकर

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, डी.ओ.एस./वी.एस.एस.सी. (मार्च 2022/जनवरी 2020) ने बताया कि भविष्य की संविदाओं में उपयुक्त दंड ब्याज अनुच्छेद पर जोर दिया जाएगा। डी.ओ.एस. ने आगे बताया (मार्च 2022) कि विक्रेता से ₹ 3.43 करोड़ का अतिरिक्त अग्रिम वसूल किया गया था।

2.1.2.5 पी.एस.एल.वी. मिश्र धातु संरचनाओं के क्रय में वृद्धि का परिहार्य भुगतान
एकल निविदा आधार पर संसाधित किए जाने वाले पी.एस.एल.वी. मिश्र धातु संरचनाओं के 24 सेटों की क्रय के लिए एक मांगपत्र (जनवरी 2018) के आधार पर, वी.एस.एस.सी. ने डी.ओ.एस. का अनुमोदन (मार्च 2018) लेने के बाद एच.ए.एल. से एक उद्धरण प्राप्त किया (अप्रैल 2018) था। एच.ए.एल. ने आधार वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 451.51 करोड़ की कीमत उद्धृत की, जिसमें वर्ष 2019-20 से सात प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि देय था। वी.एस.एस.सी. ने अप्रैल 2019 में एच.ए.एल. के साथ संविदा को अंतिम रूप दिया था। क्रय के प्रत्येक चरण में लगने वाला समय तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: पी.एस.एल.वी. मिश्र धातु संरचनाओं के क्रय के लिए एच.ए.एल. के साथ संविदा को अंतिम रूप देना

गतिविधि	दिनांक	लिया गया समय (महीने)
मांगपत्र प्रस्तुत करना	जनवरी 2018	0
डी.ओ.एस. का अनुमोदन	मार्च 2018	2
एच.ए.एल. से उद्धरण की प्राप्ति	अप्रैल 2018	1
उद्धरण पर बातचीत करने के लिए डी.ओ.एस. के सी.एफ.सी.-I द्वारा उप-समिति का गठन	अगस्त 2018	4
₹ 427.56 करोड़ की कीमत पर उप-समिति द्वारा बातचीत को अंतिम रूप दिया गया	अक्टूबर 2018	2
क्रय प्रस्ताव डी.ओ.एस. को अनुमोदन के लिए भेजा गया	दिसंबर 2018	2
डी.ओ.एस. द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन	फरवरी 2019	2
संविदा प्रदान की गई	अप्रैल 2019	2
कुल समय		15

जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, वी.एस.एस.सी. ने अपनी मांगपत्र की तिथि से अपनी संविदा जारी करने में 15 महीने का समय लिया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वी.एस.एस.सी. ने उपरोक्त मामले में क्रय के प्रत्येक चरण के लिए वास्तविक समय सीमा निर्धारित नहीं की थी जैसा कि डी.ओ.एस. क्रय नियमावली में निर्धारित है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बातचीत के दौरान, वी.एस.एस.सी. ने 2018-19 से 2019-

20 तक एच.ए.एल. के उद्धरण में इंगित आधार वर्ष को नहीं बदला, जिसके परिणामस्वरूप वी.एस.एस.सी. ने संविदा में प्रवेश करने के वर्ष (मई 2019) से ₹ 10.32 करोड़ का वृद्धि भुगतान किया था। वी.एस.एस.सी. द्वारा किया गया मूल्य वार्ता अभ्यास इस सीमा तक कम था।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (मार्च 2021) कि संविदा को अंतिम रूप देने में प्रक्रियात्मक देरी के परिणामस्वरूप एच.ए.एल. को वृद्धि भुगतान हुआ था। उत्तर केवल क्रय के प्रत्येक चरण के लिए एक निर्धारित समय रेखा का पालन करने की आवश्यकता को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करता है जो देरी को कम करने या उससे बचने और लागत में परिणामी वृद्धि का कार्य करता है। डी.ओ.एस. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (मार्च 2022) बताया कि भविष्य में मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के समय को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे। हालांकि, डी.ओ.एस. अपनी कार्यनीति और अंतर्निहित संविदा प्रबंधन मुद्दों को कारगर बनाने के लिए की गई कार्रवाई पर चुप था।

2.1.2.6 विधि मंत्रालय के अनुमोदन के बिना हल्की मिश्रधातु संरचनाओं के लिए सुविधा का विस्तार

जी.एफ.आर., 2005 के नियम 204 (iii) के अनुसार; ऐसे मामलों में जहां संविदाओं के मानक रूपों का उपयोग नहीं किया जाता है, संविदा में अनुच्छेदों का मसौदा तैयार करने में कानूनी सलाह ली जानी चाहिए।

जैसा इस ड्राफ्ट प्रतिवेदन के पैरा 2.1.2.1.सी में उल्लिखित है, ₹ 81.80 करोड़ की अनुमानित लागत पर जी.एस.एल.वी. एम.के. III परियोजना के लिए 62 (11 प्रकार) हल्के मिश्र संरचनाओं (एल.ए.एस.) के निर्माण और आपूर्ति के लिए एच.ए.एल. को एक एकल निविदा जांच जारी की (अगस्त 2002)। निविदा प्रस्तुत करते समय, एच.ए.एल. ने कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (सी.एन.सी.) मशीनों, असंबली हैंगर, कच्चे माल/तैयार हार्डवेयर के लिए स्टोर आदि के लिए मशीनरी और भंडारण आवश्यकताओं के माध्यम से सुविधा वृद्धि की आवश्यकता व्यक्त की।

सुविधा संवर्धन का प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय (एम.ओ.एल.जे.), कानूनी मामलों के विभाग को भेजा गया था, जो एच.ए.एल. की भूमि में सिविल कार्य, संयंत्र और मशीनरी शुरू करने से सहमत नहीं था (मार्च 2003)। एम.ओ.एल.जे. ने बताया कि

लाइसेंसधारी होने के नाते, वी.एस.एस.सी. को भवन या किसी अन्य मशीनरी के निर्माण या भूमि में सुधार करने का कोई अधिकार नहीं था और सुझाव दिया कि वी.एस.एस.सी. का एच.ए.एल. के साथ एक पट्टा समझौता होना चाहिए।

हालांकि, डी.ओ.एस. ने 62 एल.ए.एस. (11 प्रकार) के निर्माण के लिए संविदा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी (मार्च 2003) और सुविधा में वृद्धि हेतु अनुमोदन यह कहते हुए दिया था कि संविदा करने का वी.एस.एस.सी. का प्रस्ताव 1996 में एम.ओ.एल.जे. द्वारा स्वीकृत संविदा के समान था। तदनुसार, वी.एस.एस.सी. (मार्च 2003) ने ₹ 120.06 करोड़¹⁸ की लागत पर प्रापण हेतु एच.ए.एल. के साथ संविदा की थी जिसमें मशीनरी और सिविल कार्यों के लिए सुविधा वृद्धि की ₹ 70.60 करोड़ की लागत शामिल थी। संविदा की लागत को दो बार (मार्च 2004 और मार्च 2005) संशोधित कर ₹ 152.49 करोड़¹⁹ किया गया था जिसमें सुविधा वृद्धि की लागत ₹ 82.95 करोड़ शामिल थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एच.ए.एल. में सुविधा वृद्धि की स्वीकृति में जब एम.ओ.एल.जे. ने विशेष रूप से इससे असहमति प्रकट की थी, इसलिए यह ठीक नहीं था और परिणामस्वरूप ₹ 82.95 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ था।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (जनवरी 2020) कि डी.ओ.एस. द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम था। यह उत्तर स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि एम.ओ.एल.जे. द्वारा सहमत एक पुराने (1996) प्रस्ताव के आधार पर एच.ए.एल. में सुविधा वृद्धि करने का डी.ओ.एस. का निर्णय था। हालांकि, सुविधा वृद्धि के सबसे हाल के प्रस्ताव को एम.ओ.एल.जे. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। एक पुराने आदेश पर भरोसा करने से एम.ओ.एल.जे. द्वारा किए गए यथोचित परिश्रम को विफल कर दिया, जो कि वर्तमान मामले में जी.एफ.आर. द्वारा आवश्यक है। डी.ओ.एस. ने कारण नहीं बताया (मार्च 2022) कि विभाग ने एम.ओ.एल.जे. के निर्देशों के विरुद्ध एच.ए.एल. के साथ पट्टा समझौता क्यों किया था।

¹⁸ निर्माण लागत ₹ 49.46 करोड़ और सुविधा वृद्धि की लागत ₹ 70.60 करोड़ जिसमें ₹ 40.91 करोड़ की मशीनरी उपकरण और ₹ 29.69 करोड़ के सिविल कार्य शामिल हैं।

¹⁹ 96 एल.ए.एस. ₹ 69.54 करोड़ की निर्माण लागत और ₹ 82.95 करोड़ की सुविधा वृद्धि की लागत जिसमें ₹ 47.51 करोड़ की मशीनरी उपकरण और ₹ 35.44 करोड़ के सिविल कार्य शामिल हैं।

2.1.2.7 लाइट अलॉय संरचनाओं के लिए थर्मल पेंटिंग में जनशक्ति प्रभार का अनियमित भुगतान

जैसा कि पैरा 2.1.2.1.सी में उल्लेख किया गया है, एच.ए.एल.-ए.एस.डी. के पास इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों के लिए लाइट अलॉय स्ट्रक्चर्स (एल.ए.एस.) की प्राप्ति के लिए एक समर्पित सुविधा है। डी.ओ.एस. ने इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों के 148 एल.ए.एस. जैसे पी.एस.एल.वी. (62), जी.एस.एल.वी. एम.के. II (30) और जी.एस.एल.वी. एम.के. III (56) पर थर्मल प्रोटेक्शन पेंटिंग के आवेदन के लिए एच.ए.एल. के साथ एक संविदा (अक्टूबर 2011) की थी जिसका कुल संविदा मूल्य ₹ 18.49 करोड़ था। आदेश मूल्य के विरुद्ध, एच.ए.एल. (मार्च 2021) को सात प्रतिशत वृद्धि सहित ₹ 53.66 करोड़ का भुगतान किया गया था।

एच.ए.एल. के साथ संविदा एक जनशक्ति संविदा थी (सामग्रियाँ मुफ्त जारी के रूप में जारी की गई थी), क्योंकि यह सुविधा डी.ओ.एस. द्वारा स्थापित की गई थी। तथापि, जिस आधार पर कार्य के लिए आवश्यक कार्य घंटे की दर और आवश्यक कार्य घंटों की संख्या की गणना की गई थी, वह रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पायी कि क्या वी.एस.एस.सी. द्वारा तय किया गया संविदा मूल्य उचित और प्रतिस्पर्धी था या नहीं। इसके अलावा, हालांकि केवल एल.ए.एस. की थर्मल पेंटिंग के लिए संविदा प्रदान की गई थी, वी.एस.एस.सी. ने अतिरिक्त संरचनाओं की थर्मल पेंटिंग के लिए भी ₹ 34.86 करोड़ का भुगतान किया था। तथापि, संविदा में कार्य के क्षेत्र में संशोधन अभिलेख में मौजूद नहीं था।

डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) एच.ए.एल. में लॉग किए गए घंटों के आधार पर अतिरिक्त कार्य किया गया और वी.एस.एस.सी. निवासी इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समझौते के पैरा 11.4 के अनुसार, कोई भी कार्य जो संविदा के कार्य के दायरे से बाहर है, संविदा प्रबंधक (उप निदेशक, एम.एम.ई.) के विशिष्ट लिखित निर्देश के आधार पर एच.ए.एल. द्वारा या वी.एस.एस.सी. और एच.ए.एल. के बीच आवधिक समीक्षा बैठकों में लिए निर्णय के अनुसार किया जा सकता है ना कि अतिरिक्त घंटों में लॉग इन के आधार पर।

2.1.2.8 प्रापण की अनियमित क्लबिंग

डी.ओ.एस. क्रय प्रक्रिया 2009 के पैरा 1.5 के अनुसार (डी.ओ.एस. क्रय नियमावली 2015 का पैरा 4.5.1); केंद्र/इकाइयां वस्तुओं के उपभोग पैटर्न, शेल्फ लाइफ, अप्रचलन आदि पर विचार करते हुए आवश्यकताओं को क्लब करेंगी। हालांकि, वी.एस.एस.सी. ने दो मामलों में आवश्यकताओं को क्लब नहीं किया, जैसा कि तालिका 2.3 में चर्चा की गई है।

तालिका 2.3: प्रापणों को क्लब नहीं किया गया

मद	विक्रेता	छूट की हानि (₹ लाख)	टिप्पणियां
जो बोल्ट्स	मैसर्स वेस्को और मैसर्स अवडेल	56.61	दोनों विक्रेता अपने उद्धृत मूल्यों पर एक से चार प्रतिशत तक की छूट की पेशकश करते हैं और मात्रा में वृद्धि के लिए अतिरिक्त छूट भी प्रदान करते हैं। 2013-14 से 2015-16 ²⁰ के दौरान, वी.एस.एस.सी. ने जो बोल्ट्स की अपनी आवश्यकताओं को क्लब नहीं किया और इसलिए ₹ 56.61 लाख की मात्रा में छूट का लाभ उठाने में असमर्थ था।
एल्युमिनियम मिश्र धातु शीट	मैसर्स कलापूर्णा और मैसर्स वैल-मेट	41.68	एल्युमिनियम एलॉय शीट से संबंधित आदेशों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ए.एल.सी.ए.डी. शीट्स दोनों विक्रेताओं के माध्यम से कम अंतराल (एक दिन से नौ महीने) के भीतर खरीदी गई थी, लेकिन आवश्यकता को जोड़ा नहीं गया था जिसके कारण ₹ 41.68 लाख की मात्रा छूट प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि जो बोल्ट की आवश्यकताओं को विभिन्न परियोजना प्रभागों द्वारा अलग-अलग समय सीमा में अनुमानित किया गया था और मात्रा छूट प्राप्त करने के लिए अधिकांश मामलों में समान वस्तुएं नहीं थीं। यह उतर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि थोक छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न परियोजना प्रभागों की वार्षिक आवश्यकताओं को सामान्य उपभोग्य सामग्रियों जैसे 'जो बोल्ट' के लिए जोड़ा जाना है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान जारी किए गए जो बोल्ट्स के लिए 18 क्रय आदेशों में से 17 क्रय आदेश वी.एस.एस.सी. के एक ही प्रभाग से जारी किए गए थे।

²⁰ वेस्को के लिए वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 और अवडेल से संबंधित 2014-15 और 2015-16।

डी.ओ.एस. ने आगे बताया (मार्च 2022) कि एल्युमिनियम अलॉय शीट की आवश्यकता को विभिन्न परियोजनाओं द्वारा अलग-अलग समय सीमा में प्रक्षेपित किया गया था, इसलिए मात्रा छूट प्राप्त करने के लिए इसे जोड़ा नहीं जा सकता था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की वार्षिक आवश्यकताओं को जोड़ा जाना है। इसके अलावा, एल्युमिनियम एलॉय शीट के क्रय आदेश जारी करने में एक दिन से लेकर कुछ महीनों के कम अंतराल को ध्यान में रखते हुए, वी.एस.एस.सी. को विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकताओं को मिलाकर प्रापण का प्रबंधन करना चाहिए था।

2.1.2.9 स्वदेशीकरण के अपर्याप्त प्रयास

डी.ओ.एस. क्रय नियमावली का पैरा 2.1 आपूर्ति के स्वदेशी स्रोतों जैसे आयात प्रतिस्थापन, भरोसेमंद स्रोत की पहचान, ऑर्डर किए गए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उनकी समय पर आपूर्ति को विकसित करने के लिए डी.ओ.एस. की नीति को निर्धारित करता है। हालांकि वी.एस.एस.सी. ने स्वदेशी रूप से जो बोल्ट एल्युमिनियम एलॉय, विकसित किया था, आगे के विकास के प्रयास, जैसा कि तालिका 2.4 में वर्णित है, रिकॉर्ड में नहीं पाए गए थे।

तालिका 2.4: स्वदेशीकरण के आंशिक प्रयास

मद	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
जो बोल्ट्स	वी.एस.एस.सी. ने अपने एक कार्य केंद्र मैसर्स अंकित फास्टनर्स में इन-हाउस रूप से जो बोल्ट (भाग संख्या पी.एल.टी. 215 0812) सफलतापूर्वक विकसित किया (वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट) था। हालांकि, फर्म के साथ एक समझौता जापन/समझौते पर हस्ताक्षर करके आगे के विकास के प्रयास अमल में नहीं आए। वी.एस.एस.सी. ने बताया (मार्च 2021) कि कार्यक्रम में शामिल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप योग्यता परीक्षण और उत्पाद के अनुमोदन की समीक्षा की जा रही थी। डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि जल्द ही स्वदेशी जो बोल्ट शामिल किए जाएंगे।
एल्यूमीनियम मिश्र धातु	वी.एस.एस.सी. ने ए.ए.2014-टी.651 मिश्र धातु स्वदेशी रूप से सफलतापूर्वक विकसित किया था (वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट) जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (एल.वी.एम.3) के स्ट्रैप के निर्माण के लिए आवश्यक है। ए.ए.2014-टी.4/टी.6 शीट (फरवरी 2018 तक) की वार्षिक आवश्यकता ₹ 2.84 करोड़ की सीमा तक थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वी.एस.एस.सी. ने सितंबर 2019 में बताया कि उसने बाल्को में एक सुविधा शुरू की थी जो परिचालनात्मक नहीं है। वी.एस.एस.सी. ने हिंडाल्को को सुविधा के हस्तांतरण को अंतिम रूप दे दिया था लेकिन यह अभी तक अमल में नहीं आया था (मार्च 2021)। डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि इसरो द्वारा वित्त

मद	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
	पोषित सुविधाओं को बाल्को से हिंडाल्को में स्थानांतरित करने का एक एकीकृत प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस प्रकार, वी.एस.एस.सी. अपने प्रक्षेपण वाहनों में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा।

2.1.2.10 रॉयल्टी की प्राप्ति पर ब्याज की हानि

जी.एफ.आर. (जी.एफ.आर. 2005 के नियम 64) के अनुसार मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्ति का प्रापण लागत प्रभावी तरीके से किया जाता है।

उत्पादन शुरू होने की तिथि से (जुलाई 2004) 21 वर्षों की अवधि के लिए यानी 2025 तक वी.एस.एस.सी. ने रिंग रोलर मिल की स्थापना के लिए तथा सीमलेस रोलड हीट ट्रीटेड और प्रूफ मशीनी रिंग्स की आपूर्ति के लिए मैसर्स फोमास , तमिलनाडु (वर्तमान में मैसर्स बे फोर्ज लिमिटेड - बी.एफ.एल.) के साथ एक संविदा की (फरवरी 2002) थी। संविदा के अनुच्छेद 31 के अनुसार, बी.एफ.एल. को रोलड रिंग्स की घरेलू बिक्री के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के छह प्रतिशत और निर्यात आदेश के लिए 4.5 प्रतिशत की रॉयल्टी का भुगतान करना था। इसके अलावा, मैसर्स बे फोर्ज के परिसर में स्क्रैप धातु की भी नीलामी की जानी थी और उत्पन्न राजस्व को वी.एस.एस.सी. को हस्तांतरित किया जाना था। संविदा के अनुच्छेद 31 के अनुसार, बी.एफ.एल., वी.एस.एस.सी. को तिमाही आधार पर भुगतान करेगा।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धातु स्क्रैप की नीलामी से बिक्री और प्राप्तियों से रॉयल्टी की वसूली के लिए, वी.एस.एस.सी. ने न तो त्रैमासिक मांग उठाई थी और न ही देय प्राप्तियों को समय से एकत्रित किया था (मार्च 2021)। परिणामस्वरूप, वी.एस.एस.सी. को राजस्व के भुगतान में एक से 14 महीने की देरी हुई। ब्याज की हानि ₹ 80.51 लाख की सीमा तक हुई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मार्च 2022) को स्वीकार करते हुए, डी.ओ.एस. ने यह भी बताया कि बे फोर्ज को बिना किसी असफलता के हर तिमाही में वी.एस.एस.सी. को प्राप्ति को तुरंत क्रेडिट करने का सख्त निर्देश दिया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व के प्रेषण में उस माह से जिसमें वह प्राप्त होने तक देय है एक माह से 14 माह तक विलम्ब हुआ।

2.1.2.11 लागत लाभ की दर में संशोधन न करना

वी.एस.एस.सी. ने ₹ 60 करोड़ की लागत से डी.ओ.एस. के विभिन्न लॉन्च वाहन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक एम 250 मैराजिंग स्टील उत्पादों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए मिधानी में मेल्टिंग और हीट ट्रीटमेंट सुविधाओं की स्थापना (फरवरी 2004/मार्च 2005) की थीं। एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार, मिधानी, वी.एस.एस.सी. को निधीकरण के एवज में कुछ लाभ प्रदान करेगी, जैसे मेल्टिंग की सुविधा के लिए रिंग और प्लेट में ₹ 300 प्रति किलोग्राम की और रोलर हर्थ भट्टी में किए गए हीट ट्रीटमेंट के लिए प्रति प्लेट ₹ 50,000 लागत में कमी।

वी.एस.एस.सी. ने एम.250 मैराजिंग स्टील से बने छह प्रकार के जाली के छल्ले और दो प्रकार की प्लेटों के निर्माण और आपूर्ति के लिए स्वामित्व के आधार पर मिधानी के साथ एक संविदा (फरवरी 2016) की। इस संविदा के तहत कीमतों को पिछली संविदा (दिसंबर 2009) के तहत कीमतों में 25 से 48 प्रतिशत की वृद्धि करके निकाला गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि नई संविदा के तहत प्रभारित मूल्य पिछली संविदा की तुलना में बढ़ाए गए थे, वी.एस.एस.सी. को दिए जाने वाले लागत लाभ फरवरी 2004/मार्च 2005 में निर्धारित दर के अनुसार इंगित किए गए थे। हालांकि वी.एस.एस.सी. ने मिधानी द्वारा बढ़े हुए/संशोधित उद्धृत मूल्य को स्वीकार किया था, इसने मिधानी से लागत लाभ प्राप्त करने की दर में वृद्धि सुनिश्चित नहीं की थी। इसके बजाय इसने 11 साल पुरानी दर पर लागत लाभ प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप जैसा कि **अनुबंध 2.4** में वर्णित है, इस संविदा के तहत मिधानी को ₹ 4.35 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए कि मिधानी ने वी.एस.एस.सी. को समान मूल्य कटौती प्रदान करना जारी रखा, डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि एक अनुच्छेद यह भी है कि मिधानी अपनी कीमत में मूल्यहास और वित्तपोषण लागत को शामिल नहीं करेगा। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कीमतों पर मूल्यहास और वित्तीय लागत की छूट हालांकि मिधानी द्वारा प्रदान किया गया एक लाभ है क्योंकि उपकरण को डी.ओ.एस. द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और यह लाभ लागत लाभ की दर के अतिरिक्त है। उत्तर, तथापि, लागत लाभ दरों में संशोधन पर मौन था।

2.1.2.12 विलंबित सुपुर्दगी के मामलों में ठेकेदारों को अनुचित लाभ

डी.ओ.एस. क्रय नियमावली, 2015 के पैरा 10.3(6)(सी) के साथ पठित पैरा 10.3 (5)(ई) के अनुसार (डी.ओ.एस. क्रय प्रक्रिया-अक्टूबर 2009 सातवें संस्करण का पैरा 13.3.4) अग्रिम भुगतान के प्रावधान प्रति सप्ताह ऑर्डर मूल्य के बिना सुपुर्दगी वाले हिस्से के लिए 0.5 प्रतिशत की दर से लिक्विडेटेड डैमेज (एल.डी.) क्लॉज, (अधिकतम 10 प्रतिशत) के अधीन के साथ संविदा अनिवार्य रूप से शामिल करने होंगे। जी.एफ.आर. 2005 का नियम 204 (जी.एफ.आर. 2017 का नियम 225) आगे परिकल्पित करता है कि आपूर्तिकर्ता की ओर से चूक के लिए मूल निर्धारित डिलीवरी तिथि के बाद कोई मूल्य परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने 47 संविदाओं में से आठ में इन प्रावधानों के अनुपालन की नमूना जांच की (उन मदों से संबंधित जिनके लिए पूरा डाटा उपलब्ध था) और पाया कि वी.एस.एस.सी. ने ठेकेदारी के कारण डिलीवरी में देरी के बावजूद ठेकेदारों पर ₹ 18.26 करोड़ की सीमा तक एल.डी. नहीं लगाया था या कम लगाया था। इसके अलावा, 10 प्रतिशत की निर्धारित दर के प्रति वी.एस.एस.सी. ने दो संविदाओं में एल.डी. की वसूली की अधिकतम दर 2.5 प्रतिशत और दो और संविदाओं में पांच प्रतिशत पर निर्धारित की। वी.एस.एस.सी. ने एक संविदा में एल.डी. अनुच्छेद को शामिल नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जी.एफ.आर. के उल्लंघन में वी.एस.एस.सी. ने देरी की अवधि के लिए मूल्य परिवर्तन के कारण, ठेकेदार की ओर से देरी होने पर भी ₹ 11.44 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.70 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, जैसा कि अनुबंध-2.5 में वर्णित है।

इस प्रकार, ठेकेदारों की ओर से विलम्ब की अवधि के लिए परिसमापन हर्जाना का उदग्रहण/गैर-उदग्रहण और मूल्य परिवर्तन के कारण भुगतान जारी करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 29.70 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। लेखापरीक्षा में पाए गए आठ मामलों के विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत किए बिना, डी.ओ.एस. ने एक सामान्य उत्तर (मार्च 2022) प्रस्तुत किया कि एल.डी. वसूली क्रय आदेश में शामिल प्रतिशतता और उचित अनुमोदन के आधार पर की जाती है।

2.1.2.13 दोषपूर्ण सामग्री का व्यर्थ पड़े रहना

पी.एस.ओ.-एक्स.एल. के फैब्रिकेटर्स को मुफ्त निर्गम सामग्री (एफ.आई.एम.) के रूप में आपूर्ति करने के लिए वी.एस.एस.सी. ने ₹ 1.59 करोड़ की लागत से मैसर्स जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड से स्टील प्लेटों के क्रय के लिए क्रय आदेश (नवंबर 2018) जारी किया। निविदा के निबंधन एवं शर्तों के पैरा 4 में प्रावधान है कि ठेकेदार, स्टोर की स्वीकृति के बाद 12 महीने की अवधि के लिए उत्पाद की गारंटी देगा और यदि कोई दोष पाया जाता है तो उसे ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर ठीक किया जाएगा। इसके अलावा, मैसर्स जिंदल के साथ जारी किए गए क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार, सभी शीटों का अल्ट्रासोनिक रूप से या तो अंतिम उत्पाद चरण या मध्यवर्ती चरण में निरीक्षण किया जाएगा, वी.एस.एस.सी. से पूर्व-प्रेषण मंजूरी प्राप्त करने के बाद और वी.एस.एस.सी. इंजीनियरों की उपस्थिति में प्लेटों के निरीक्षण के बाद प्रेषण किया जाएगा। प्लेटों की आपूर्ति (जुलाई 2019) के प्रति फर्म को ₹ 1.40 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। तीन फैब्रिकेटर्स को एफ.आई.एम. की आपूर्ति की गई और उन्हें ₹ 35.26 लाख के प्रोसेसिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई थी।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (नवंबर 2019) कि सामग्री में अस्वीकार्य कम घनत्व समावेशन के कारण स्टील प्लेटों को खारिज कर दिया गया था और परिणामस्वरूप सामग्री को उपयोग में नहीं लाया जा सका था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वी.एस.एस.सी. ने संपूर्ण दोषपूर्ण सामग्री को बदलवाने के लिए कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने ₹ 39.93 लाख मूल्य की केवल 64 नई शीटों का प्रतिस्थापन प्रदान किया था। शेष ₹ 99.85 लाख²¹ की सामग्री अनुपयोगी रही।

डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि ये शीट सभी स्वीकृति मानदंडों को पूरा करती थीं लेकिन कम घनत्व वाले समावेशन के कारण, उन्हें प्रचुर सावधानी के उपाय के रूप में अलग रखा गया था। डी.ओ.एस. ने बताया कि इसकी गुणवत्ता का पता लगाने के लिए इस पर अतिरिक्त परीक्षण किए जा रहे हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपूर्ति की गई सामग्री इसरो की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी और अनुपयोगी रही।

²¹ ₹ 1.40 करोड़ में से ₹ 39.93 लाख घटाकर

2.1.2.14 संविदाओं में मूल्य परिवर्तन अनुच्छेदों पर अधिकतम सीमा निर्धारित न करना

जी.एफ.आर., 2005 के नियम 204 के साथ पठित डी.ओ.एस. क्रय नियमावली 2015 के पैरा 10.10 (एच) (iv) के संदर्भ में, मूल्य परिवर्तन खंड में मूल्य परिवर्तनों पर उच्चतम सीमा का प्रावधान होना चाहिए, विशेष रूप से जहां वृद्धि शामिल है। यह प्रति वर्ष प्रतिशत या समग्र सीमा या दोनों हो सकता है।

52 संविदाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जहां 32 संविदाओं में कोई मूल्य परिवर्तन अनुच्छेद नहीं था, वहीं 10 संविदाओं²² में मूल्य परिवर्तन अनुच्छेद को संचयी आधार पर निश्चित वार्षिक दर पर शामिल किया गया था। शेष 10 संविदाओं में, मूल्य सूचकांकों के आधार पर विभिन्न सूत्रों का उपयोग करके मूल्य परिवर्तन को शामिल किया गया था। इसके अलावा, इन 10 संविदाओं में मूल्य परिवर्तन पर कोई सीमा नहीं थी। इन 10 संविदाओं में से चार में ₹ 11.70 करोड़ की कीमत परिवर्तन का भुगतान किया गया था। शेष छह संविदाओं में मूल्य परिवर्तन अपर्याप्त सूचना के कारण नहीं निकाली जा सकी थी। विवरण **अनुबंध-2.6** में दिया गया है।

वी.एस.एस.सी. ने एक समान मानक मूल्य परिवर्तन अनुच्छेद और मूल्य परिवर्तन पर उच्चतम सीमा को नहीं अपनाने के कारणों को दर्ज नहीं किया था। भविष्य के मार्गदर्शन और अंगीकरण के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि मूल्य परिवर्तन सूत्र अलग-अलग संविदाओं में भिन्न होता है, सूत्र का सार जी.एफ.आर. में मामूली भिन्नता के साथ निर्धारित किया जाता है। डी.ओ.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने डी.ओ.एस. क्रय नियमावली तथा जी.एफ.आर. के तहत प्रदत्त मूल्य परिवर्तन की सीमा और समान मानक मूल्य परिवर्तन अनुच्छेद को नहीं अपनाया था।

2.1.2.15 आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान के कारण सरकारी धन का अवरूद्ध होना

(i) वी.एस.एस.सी. उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए विभिन्न खंडों/घटकों के निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति के लिए निजी ठेकेदारों के साथ विभिन्न दीर्घकालिक अनुबंध करता है। ऐसे 21 दीर्घकालिक अनुबंधों की जांच से पता चला कि जहां वी.एस.एस.सी. ने अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पर ₹ 127.83 करोड़ का भारी अग्रिम भुगतान जारी किया,

²² अनुबंध-2.6 की क्रमांक संख्या 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17 और 20

वहीं आपूर्ति अग्रिम जारी होने की तिथि से सात से 73 महीने के अंतराल के बाद शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के लिए सरकारी पैसा अवरूद्ध हुआ। इन 21 ठेकों में से 20 में अग्रिम प्राप्त होने के 12 माह बाद ही आपूर्ति प्रारंभ हुई। विवरण **अनुबंध-2.7** में दिया गया है। केवल इस राशि पर ही ₹ 36.53 करोड़²³ का ब्याज बन गया था। इसके अलावा, 11 मामलों में अग्रिम, मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए थे, जो खराब बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

वी.एस.एस.सी. ने उत्पाद की डिलीवरी, प्रक्रिया के विकास, उत्पाद के डिजाइन में बदलाव, एफ.आई.एम. की आपूर्ति में देरी और योग्यता परीक्षण आयोजित करने में ठेकेदारों द्वारा आवश्यक समय के लिए अग्रिम भुगतान (मार्च 2021) को उचित ठहराया। लेखापरीक्षा में पाए गए 21 मामलों के विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत किए बिना, डी.ओ.एस. ने एक सामान्य उत्तर (मार्च 2022) प्रस्तुत किया कि हार्डवेयर की डिलीवरी में देरी आम तौर पर एक नए विक्रेता विकास के कारण, जिसे टूलिंग और प्रक्रिया समझनी होती है, या एफ.आई.एम. मुद्दे के कारण देरी होती है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा गया कि निर्माण संविदा मुख्य रूप से श्रम गहन होती हैं, क्योंकि इसरो के समर्थन से आवश्यक सुविधाएं स्थापित की जाती हैं और कच्चे माल की आपूर्ति वी.एस.एस.सी. द्वारा एफ.आई.एम. के रूप में की जाती है। इस प्रकार, वी.एस.एस.सी. में प्रबंधन के मुद्दों के कारण बहुत अग्रिम अवरूद्ध हो गए थे। अतः वी.एस.एस.सी. को एफ.आई.एम. की आपूर्ति और प्रक्रिया के विकास का प्रबंधन करने की आवश्यकता है और इस तरह अनुबंधों का बेहतर वित्तीय प्रबंधन करना है। इसके अलावा, तीन मामलों में, संविदाओं में अग्रिम भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था और एक अन्य मामले में, आपूर्तिकर्ता ने किसी अग्रिम राशि का दावा नहीं किया।

(ii) वी.एस.एस.सी. ने ₹ 76.91 लाख में पी.एस.4 प्रोपेलेंट टैंक के लिए टाइटेनियम मिश्र धातु शीट की छह इकाइयों की आपूर्ति के लिए मिथानी को एक क्रय आदेश जारी किया (जून 2016/अक्टूबर 2017)। वी.एस.एस.सी. ने मिथानी को ₹ 20.94 लाख का अग्रिम भुगतान जारी किया (अक्टूबर 2017), हालांकि, मार्च 2021 तक मिथानी द्वारा टैंकों की आपूर्ति नहीं की गई थी। वी.एस.एस.सी. द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान की वापसी प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

²³ प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर पर गठित जो जी.पी.एफ. की ब्याज दर से तीन ज्यादा है।

वी.एस.एस.सी. ने बताया (जनवरी 2020) कि मिथानी में मौजूदा सुविधा टाइटेनियम स्पंज को टाइटेनियम प्लेट्स में बदलने में सक्षम नहीं थी। डी.ओ.एस. ने आगे बताया (मार्च 2022) कि मिथानी में एक बड़ी मिल चालू हो रही थी। तथ्य यह रहा कि आपूर्तिकर्ता के पास अग्रिम भुगतान लगभग चार वर्षों तक अवरुद्ध रहा था।

2.1.2.16 एल्युमिनियम एलॉय की क्रय में तकनीकी विनिर्देश में अनियमित परिवर्तन

नियम 225 (xiv) 2017 के अनुसार एक बार दर्ज करने के बाद दायरे और विनिर्देश सहित संविदा की शर्तें मूर्त रूप से नहीं बदलनी चाहिए। जहां कहीं भी किसी भी नियम और शर्तों में मूर्त परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, इसमें शामिल वित्तीय और अन्य प्रभावों की जांच की जानी चाहिए और उन्हें दर्ज किया जाना चाहिए और शर्तों को बदलने से पहले संशोधित वित्तीय और अन्य प्रतिबद्धताओं को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। ऐसे सभी परिवर्तन संविदा में संशोधन के रूप में संविदा के सभी पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होने चाहिए।

वी.एस.एस.सी. और मैसर्स कलापूर्णा स्टील (फरवरी 2018) के बीच की गई संविदा की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पांच प्रकार की मिश्र धातु शीट की ऑर्डर की गई मात्रा के प्रति, विक्रेता ने 7.5 से लेकर 17 प्रतिशत तक की छूट के साथ क्रय आदेश में बताए आकार से भिन्न वैकल्पिक आकार की पेशकश की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वी.एस.एस.सी. विक्रेता द्वारा प्रस्तावित संशोधन के लिए सहमत हो गया बिना इस औचित्य को दर्ज किए कि वैकल्पिक आकार कैसे इच्छित उद्देश्य की पूर्ति करेगा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आदेश में औपचारिक संशोधन भी जारी नहीं किया गया था।

डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2022) कि पार्टी द्वारा दी जाने वाली छूट उचित है। डी.ओ.एस. ने आगे बताया कि क्रय आदेश संशोधन प्रस्ताव पर विधिवत चर्चा, समीक्षा की गई थी और क्रय समिति द्वारा विस्तार से अनुमोदित किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि कार्यक्षेत्र और विनिर्देश का संशोधन सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध है।

2.1.3 निष्कर्ष

वी.एस.एस.सी. ने डी.ओ.एस. क्रय नियमावली के प्रावधानों के सख्त अनुपालन और यथोचित कर्मठता को सुनिश्चित किए बिना अपने विभिन्न लॉन्च वाहन कार्यक्रमों के लिए मोटर केसों, हल्की मिश्र धातु संरचनाओं और इस्पात संरचनाओं के निर्माण की संविदाओं को निष्पादित किया। एकल निविदा अनुबंधों के लंबे समय तक जारी रहने के मामले भी थे। वी.एस.एस.सी. ने इन वस्तुओं के लिए वैकल्पिक विक्रेताओं का पता नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के अवसर का नुकसान हुआ।

प्रापण में नियत प्रक्रिया तथा कोडल प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। जिसके कारण सॉलिड मोटर केसों, स्ट्रैप ऑन मोटर्स, हल्की मिश्र धातु संरचनाओं और स्टील के क्रय में परिहार्य और अधिक भुगतान, कानून मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सुविधा में संवर्धन के कारण अनियमित व्यय, टेंडर को अंतिम रूप देने में अनुचित समय (15 महीने) लगने के कारण परिहार्य भुगतान में वृद्धि आदि हुई।

लेखापरीक्षा ने खराब संविदा प्रबंधन के उदाहरण भी पाए। संविदा के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के अभाव के परिणामस्वरूप रॉयल्टी की प्राप्ति पर ब्याज की हानि, लागत लाभ में संशोधन न करने के कारण हानि, देरी से सुपुर्दगी में ठेकेदारों को अनुचित लाभ और दोषपूर्ण सामग्री की व्यर्थता आदि हुई।

आंतरिक नियंत्रण की कमी जैसे कि अनुबंध समिति को मूल्य वृद्धि की सूचना नहीं देना, आवश्यकताओं की अनियमित क्लबिंग, अपर्याप्त स्वदेशीकरण प्रयास, संविदाओं में मूल्य परिवर्तन खंडों पर अधिकतम सीमा का निर्धारण न करना तीसरे पक्ष के परिसर में स्थापित टाइटेनियम स्पंज का कम उपयोग, क्रय आदेश के तकनीकी विनिर्देश में अनियमित परिवर्तन आदि के कारण डी.ओ.एस. क्रय नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन के भी उदाहरण थे।

इस प्रकार, वी.एस.एस.सी. यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है कि क्रय के किसी भी निर्णय से पहले डी.ओ.एस. क्रय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाए।

2.2 ₹ 28.09 करोड़ का परिहार्य निवेश

वी.एस.एस.सी. ने ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड (टी.सी.सी.) में एक प्योर ग्रेड सोडियम क्लोरेट क्रिस्टल्स विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने हेतु ₹ 28.09 करोड़ का निवेश किया। निवेश परिहार्य था क्योंकि बाजार में वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता उपलब्ध थे। टी.सी.सी. में निवेश के बावजूद, वी.एस.एस.सी. ने टी.सी.सी. से बाजार दर से उच्चतर दर पर इन क्रिस्टल्स की अधिप्राप्ति की, जिसका परिणाम ₹ 3.23 करोड़ के परिहार्य अधिक भुगतान के रूप में हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 (जी.एफ.आर. 2017 का नियम 173) कहता है कि धन के उत्तम मूल्य के संरक्षण हेतु सभी सरकारी खरीदों को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। संविदाओं को सामान्यतः न्यूनतम मूल्यांकित बोलीदाता को प्रदान किया जाना चाहिए जिसकी बोली अनुक्रियाशील पायी गयी हो और जो पात्र हो तथा संबंधित बोली दस्तावेज में निगमित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संतोषजनक रूप से संविदा का निष्पादन करने हेतु योग्यता प्राप्त हो।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वी.एस.एस.सी.), तिरुवनंतपुरम, अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक इकाई, लांच प्रक्षेपण वाहनों के अभिकल्प एवं विकास हेतु उत्तरदायी है। वी.एस.एस.सी. अपने लांच प्रक्षेपण वाहनों के लिए सोडियम क्लोरेट²⁴ की अधिप्राप्ति करता है। वी.एस.एस.सी. ने, सामग्री के आयात में शामिल अनिश्चितता तथा घरेलू बाजार में संशयात्मकता, क्योंकि केवल एक स्वदेशी स्रोत²⁵ उपलब्ध था, का हवाला देते हुए ₹ 28.09 करोड़ की लागत पर मैसर्स ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड (टी.सी.सी.), कोच्चि, केरल सरकार का उपक्रम, के परिसर में सोडियम क्लोरेट हेतु एक विनिर्माण संयंत्र की स्थापना का निर्णय (मार्च 2010) लिया। डी.ओ.एस. द्वारा संयंत्र की स्थापना का अनुमोदन प्रदान करने के उपरांत, वी.एस.एस.सी. ने मार्च 2010²⁶ में टी.सी.सी. के साथ एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये जिसमें उपबंधित था कि वी.एस.एस.सी. संयंत्र के आरंभ (जनवरी 2014) होने की

²⁴ अलूवा में स्थित वी.एस.एस.सी. अमोनियम परक्लोरेट एक्सपेरीमेंटल प्लांट में अमोनियम परक्लोराइट के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त सोडियम क्लोरेट एक आधारभूत कच्ची सामग्री (प्रक्षेपण वाहन उपभोज्य) है। अमोनियम परक्लोरेट आई.एस.आर.ओ. की सोलिड रॉकेट मोटर्स में एक ऑक्सीडाइजर स्वरूप प्रयुक्त होता है।

²⁵ गुजरात एल्कलिस तथा कैमिकल्स लिमिटेड (जी.ए.सी.एल.), वडोदरा

²⁶ एम.ओ.यू. मई 2011, जनवरी 2013 तथा अप्रैल 2014 में संशोधित किया गया था।

तिथि से 15 वर्षों तक ₹ 52587.25 प्रति एम.टी. की दर पर प्रति वर्ष 1000 एम.टी. सोडियम क्लोरेट क्रिस्टल्स का क्रय करेगा।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

क) सामग्री प्राप्त करने में कोई अनिश्चितता सम्मिलित नहीं थी क्योंकि तत्समय बाजार में पहचाने गये स्वदेशी और विदेशी स्रोत²⁷ उपलब्ध थे। वी.एस.एस.सी. ने अपनी तीन पहचानी हुई फर्मों में से एक निर्माता को चुनने के लिए एक सर्वे किया। अतः ₹ 28.09 करोड़ की लागत पर संयंत्र की स्थापना का निर्णय सोडियम क्लोरेट क्रिस्टल्स की आपूर्ति के बारे में तथ्यों पर आधारित नहीं था तथा परिहार्य था।

ख) वी.एस.एस.सी. ने सोडियम क्लोरेट क्रिस्टल्स के संविदा मूल्य का निर्धारण करते समय टी.सी.सी. में ना तो ₹ 28.09 करोड़ के अपने निवेश को कारक बनाया और ना ही टी.सी.सी. से कोई बट्टा²⁸ प्राप्त किया। एक वेन्डर के परिसर में संयंत्र की स्थापना तथा वार्षिक रूप से 1000 एम.टी. की आश्वस्त अधिप्राप्ति सहित 15 वर्षों की क्रय प्रतिबद्धता जबकि अन्य पहचाने गये आपूर्तिकर्ता उपलब्ध थे, जी.एफ.आर. के प्रावधानों, कि सरकारी अधिप्राप्तियाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोलीदाता से की जायेंगी, के विरुद्ध था।

ग) अंतरिक्ष आयोग के वित्त सदस्य²⁹ ने वी.एस.एस.सी. को इंगित (जुलाई 2016) किया था कि एकल निविदा आधार पर प्रक्षेपण वाहन उपभोज्यों की अधिप्राप्ति, जबकि बाजार में वैकल्पिक वेन्डरों की उपलब्धता थी, जी.एफ.आर. के वित्तीय प्रावधानों, कि सरकारी खरीदें न्यूनतम मूल्यांकित बोलीदाता से की जानी हैं, के विरुद्ध थी। वित्त सदस्य ने आगे पुनः दोहराया था कि समान मद की आपूर्ति हेतु भिन्न-भिन्न मूल्यों के साथ भिन्न-भिन्न वेन्डरों का उपयोग करना जी.एफ.आर. के प्रावधानों के विरुद्ध है तथा न्यूनतम मूल्यों के सुमेलित होने के अध्यक्षीन, मानक अधिप्राप्ति शर्तों के साथ पहचाने गये वेन्डरों से सीमित निविदायें कार्यान्वित करने के लिए डी.ओ.एस. को अनुदेशित किया गया था।

²⁷ वी.एस.एस.सी. मार्च 2010 से पूर्व भी (टी.सी.सी. के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर करने से पूर्व) स्वदेशी स्रोतों (मैसर्स केमफैब एल्कलिस, पुडुचेरी तथा मैसर्स श्री क्लोरेट इण्डस्ट्रीज, इन्दौर) तथा ₹ 33442 से ₹ 42000 की दर पर भारतीय अभिकर्ताओं के माध्यम से विदेशी स्रोतों जैसे भिन्न-भिन्न स्रोतों से स्पेस ग्रेड सोडियम क्लोराइड की अधिप्राप्ति कर रहा था।

²⁸ टी.सी.सी. के साथ किये गये एम.ओ.यू. में वी.एस.एस.सी. को सोडियम क्लोरेट क्रिस्टल्स की आपूर्ति में वी.एस.एस.सी. हेतु किसी बट्टे/क्रेडिट का उपबंध नहीं था।

²⁹ वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

घ) जबकि जनवरी 2014 में टी.सी.सी. स्थित संयंत्र परिचालनात्मक था, तब मार्च 2014 से गुजरात एल्कलिस तथा कैमिकल्स लिमिटेड (जी.ए.सी.एल.), गुजरात सरकार का राजकीय पी.एस.यू., भी परिचालनात्मक था जो वी.एस.एस.सी. के लिए निम्नतम मूल्यों पर सोडियम क्लोरेट का स्रोत हो सकता था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2014 से मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान, सोडियम क्लोरेट ₹ 39800 प्रति एम.टी. से ₹ 48500 प्रति एम.टी.³⁰ की मूल्य सीमा में वैकल्पिक वेन्डरों पर उपलब्ध था। तथापि, विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के इसके निर्णय के कारण, वी.एस.एस.सी. को ₹ 52587.25 की अधिक उच्चतर दर पर टी.सी.सी. से कुल 7900 एम.टी. खरीदना पड़ा था जिससे ₹ 3.23 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय³¹ हुआ।

वी.एस.एस.सी. ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि एम.ओ.यू. के अनुसार, वी.एस.एस.सी. वार्षिक रूप से टी.सी.सी. से 1000 एम.टी. के क्रय हेतु बाध्य था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। संयंत्र की स्थापना निर्धारित प्रक्रिया के बिना की गयी थी तथा न्यूनतम मूल्य पर खरीद को सुनिश्चित नहीं किया गया था जो कि जी.एफ.आर. प्रावधानों के विपरीत था। इस प्रकार, संयंत्र की स्थापना में ₹ 28.09 करोड़ के निवेश के बाद भी, वी.एस.एस.सी. को टी.सी.सी. से अधिक उच्चतर लागत पर सामग्री का क्रय करना पड़ा था।

डी.ओ.एस. ने बताया (फरवरी 2022) कि वर्ष 2009 में तीन विनिर्माताओं से संभाव्य उद्योगों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण का संचालन किया गया था। समिति ने संभाव्यता का मूल्यांकन किया और टी.सी.सी. को एक दीर्घकालीन स्रोत के रूप में चयनित किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वी.एस.एस.सी. द्वारा संचालित राष्ट्रीय सर्वेक्षण एक सीमित सर्वेक्षण था क्योंकि सर्वेक्षण तीन जानकार स्रोतों के बीच था जिनमें से एक (टी.सी.सी.) का चयन किया गया था। डी.ओ.एस. ने आगे बताया कि (फरवरी 2022) केवल टी.सी.सी. उपर्युक्त अवधि (2014-2021) के दौरान की गयी अधिप्राप्तियों हेतु उपलब्ध अर्हक स्वदेशी आश्वस्त स्रोत था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2014-21 तक की अवधि के दौरान केवल टी.सी.सी. ही स्वदेशी स्रोत नहीं था। जब जनवरी 2014 में टी.सी.सी. स्थित संयंत्र परिचालनात्मक था, जी.ए.सी.एल. स्थित संयंत्र भी मार्च 2014 से परिचालनात्मक था जहाँ से वी.एस.एस.सी. सोडियम

³⁰ ₹ 41851.88 प्रति एम.टी. की दर पर मैसर्स केमस्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई तथा अगस्त 2017 से ₹ 39800 प्रति एम.टी. की दर पर तथा नवंबर 2019 से ₹ 48500 प्रति एम.टी. की दर पर मैसर्स गुजरात एल्कलिस, वडोदरा

³¹ 7900 एम.टी. x ₹ 4087.25 (₹ 52587.25 - ₹ 48500) प्रति एम.टी.

क्लोरेट ले सकता था। इसके अतिरिक्त, वी.एस.एस.सी. समान उद्देश्य हेतु जी.ए.सी.एल. से पहले ही सोडियम क्लोरेट की अधिप्राप्ति कर रहा था।

यद्यपि, ₹ 28.09 करोड़ की लागत पर संयंत्र की स्थापना परिहार्य थी, तथापि वी.एस.एस.सी. को बाजार दर की तुलना में अधिक उच्चतर दर के भुगतान के बजाय टी.सी.सी. से छूट प्राप्त दर मांगनी थी जिसका परिणाम सोडियम क्लोराइट क्रिसटल्स की अधिप्राप्ति में वी.एस.एस.सी. द्वारा ₹ 3.23 करोड़ के परिहार्य अधिक भुगतान के रूप में हुआ।

2.3 करों एवं शुल्कों का ₹ 69.02 लाख का परिहार्य भुगतान

गलत वर्गीकरण के कारण वी.एस.एस.सी. ने प्रक्षेपण वाहन कंज्यूमेबल्स के आयात पर सुरक्षा शुल्क के रूप में ₹ 26.37 लाख का परिहार्य भुगतान वहन किया। साथ ही वी.एस.एस.सी. ने डी.सी. कन्वर्टर के आयात पर ₹ 42.65 लाख का अनियमित भुगतान आई.जी.एस.टी. के रूप में किया।

अंतरिक्ष विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की एक इकाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम, प्रक्षेपण वाहनों की डिजाइन एवं निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रोग्राम के लिए वी.एस.एस.सी. कई एजेंसियों से प्रक्षेपण वाहन कंज्यूमेबल्स खरीदता है। हमने पी.ए.ओ. (परियोजना), वी.एस.एस.सी. की लेखापरीक्षा के दौरान चुनिंदा क्रय फाईलों की जांच की जो कि वर्ष 2017-19 से संबंधित थीं। इस दौरान सुरक्षा शुल्क और आई.जी.एस.टी. के रूप में परिहार्य भुगतान के दो मामले देखे गए जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

(i) सुरक्षा शुल्क का परिहार्य भुगतान

एम.ओ.एस.एफ.ई.टी. (एक प्रकार की सॉलिड-स्टेट डिवाइस) की 1500 इकाइयों की खरीदी के लिए 451500 अमेरिकी डॉलर (₹ 2.97 करोड़) का आर्डर मैसर्स आइरिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर्विसेस, पुणे को (मई 2018) में दिया गया था। इन डिवाइसों की डिलीवरी निर्धारित समय फरवरी 2019 के बजाए अगस्त से दिसंबर 2018 के दौरान ली गई तथा इस पूर्ति के लिए ₹ 3.69 करोड़ का भुगतान किया गया।

भारत में किसी वस्तु के बढ़ते आयात के कारण बाजार में उत्पन्न होने वाले व्यवधान से घरेलू उद्योगों की रक्षा हेतु सुरक्षा शुल्क नामक एक शुल्क लगाया जाता है। सीमा

शुल्क अधिनियम³² के अनुसार बिल ऑफ इंट्री में उल्लिखित सुरक्षा शुल्क भारत में निर्मित वस्तुओं के लिए देय है। साथ ही 30 जुलाई 2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01/2018 के तहत हेडिंग 8541³³ के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर भी 30 जुलाई 2018 से सीमा शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वी.एस.एस.सी. के कस्टम हाउसिंग एजेंट मैसर्स एस्पिनवॉल ने ऊपर वर्णित ऑर्डर, अगस्त 2018 में, के अंतर्गत आयात की गई 497 इकाईयों को टैरिफ 8541 1000 के अंतर्गत गलत रूप से बिल आफ एंट्री में वर्गीकृत कर दिया तथा सुरक्षा शुल्क के रूप में बिना किसी विरोध के ₹ 26.37 लाख का भुगतान कर दिया गया। शुल्क का भुगतान इस तथ्य के बाद भी किया गया कि एम.ओ.एस.एफ.ई.टी. पर कोई सुरक्षा शुल्क³⁴ नहीं लगता तथा टैरिफ '8541 1000' के अंतर्गत असैंबल/गैर असैंबल सोलर पैनल/ मॉड्यूल या अन्य इस तरह के घटकों पर सुरक्षा शुल्क लगाया जाता है।

वी.एस.एस.सी. द्वारा बाद में इस मुद्दे को सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष (जुलाई 2019) रखा गया तथा एम.ओ.एस.एफ.ई.टी. पर सीमा शुल्क लागू ना होने के कारण पुनर्भुगतान की सिफारिश की गई। सीमा शुल्क प्राधिकरण ने यह कहते हुए पुनर्भुगतान से मना कर दिया (मार्च 2019) कि (ए) आयातक (वी.एस.एस.सी.) ने स्व-वर्गीकरण तथा स्व-मूल्यांकन चुना था। (बी) वी.एस.एस.सी. के कस्टम एजेंट द्वारा (बी.ई.) बिल ऑफ एंट्री में वस्तु को गलत रूप से वर्गीकृत किया तथा (सी) शुल्क का भुगतान बिना किसी विरोध के किया गया। वी.एस.एस.सी. के अनुरोध (जुलाई 2019) को भी सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा इसके ऑर्डर में (फरवरी 2020) खारिज कर दिया गया। इस तरह वी.एस.एस.सी. की कस्टम हाउसिंग एजेंसी द्वारा वस्तु के गलत वर्गीकरण के कारण सुरक्षा शुल्क के रूप में ₹ 26.37 लाख का अपरिहार्य भुगतान किया गया।

वी.एस.एस.सी. और मैसर्स एस्पिनवॉल के मध्य हुए रेट समझौते (जून 2015) के क्लॉज 9.9.2 के अनुसार क्लियरिंग एजेंटों की लापहवाही या विफलता के कारण हुए

³² सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 34/2002 दिनांक 11 जून 2002

³³ डायोड, ट्रांजिस्टर तथा समान अर्धचालक उपकरण, प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक उपकरण, फोटोवॉल्टिक सेल्स के साथ, चाहे मॉड्यूल में असैंबल किए गए हों या पैनल में बनाये गए हों। लाईट इमिटिंग डायोड; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल।

³⁴ सीमा शुल्क अधिनियम सं. 01/2018-सीमा शुल्क (एस.जी.) दिनांक 30 जुलाई 2018 शीर्षक 8541 या टैरिफ आइटम "8541 4011" में आने वाले सोलर सेल्स, चाहे मॉड्यूल या पैनलों में जोड़े (असैंबल) किए गए हों या नहीं, पर सुरक्षा शुल्क लगाता है।

नुकसान की भरपाई एजेंट द्वारा ही की जाती है। लेखापरीक्षा में यह बात इंगित करने के बाद वी.एस.एस.सी. द्वारा क्लियरिंग एजेंट से क्षतिपूर्ति (अक्टूबर 2021) के रूप में ₹ 26.37 लाख की मांग की जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई थी।

डी.ओ.एस. ने बताया (फरवरी 2022) कि भले ही पुनर्भुगतान की एक अपील (जुलाई 2019) सीमा शुल्क द्वारा खारिज (फरवरी 2020) कर दी गई हो पुनर्भुगतान की निजी सुनवाई की एक अपील अभी भी सीमा शुल्क के पास बाकी है।

इस तरह वी.एस.एस.सी. द्वारा सुरक्षा शुल्क के रूप में ₹ 26.37 लाख का भुगतान किया गया जो कि अपरिहार्य था।

(ii) आई.जी.एस.टी. के ₹ 42.65 लाख का अपरिहार्य भुगतान

अगस्त 2017 में वी.एस.एस.सी. ने इंटर प्वाइंट कन्वर्टर्स की खरीदी के लिए मैसर्स आइरिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रा.लि. पुणे को ₹ 236.92 लाख का एक और क्रय आदेश दिया। ये कन्वर्टर्स इसरो के प्रक्षेपण वाहनों (पी.एस.एल.वी. एवं जी.एस.एल.वी.) की इंटरफेस इकाईयों के निर्माण के लिए खरीदे गए हैं। ये कन्वर्टर्स अक्टूबर 2017 में प्राप्त किए गए तथा फर्म को ₹ 2.8 करोड़ का (दिसंबर 2017) भुगतान किया गया।

सीमा शुल्क अधिसूचना³⁵ सं. 50/2017 दिनांक 30 जून 2017 के अनुसार प्रक्षेपण वाहनों के लिए आवश्यक कच्चे माल एवं कंज्यूमेबल्स इंटीग्रेटेड जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 05 के अंतर्गत लगने वाला (आई.जी.एस.टी.), निरंक है।

इन कन्वर्टर्स के आयात की लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह पता चला कि अक्टूबर 2017 में प्राप्त उक्त वस्तुओं के लिए वी.एस.एस.सी. ने 18 प्रतिशत की दर से आई.जी.एस.टी. का भुगतान (दिसंबर 2017) ₹ 42.65 लाख के रूप में किया है जबकि प्रक्षेपण यानों के कच्चे माल एवं कंज्यूमेबल्स के आयात पर आई.जी.एस.टी. का भुगतान नहीं किया जाता। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वी.एस.एस.सी. द्वारा सप्लायर से कोई रिफंड नहीं मांगा जिसके चलते ₹ 42.65 लाख का अपरिहार्य भुगतान किया गया। वी.एस.एस.सी. ने बताया कि (अक्टूबर 2021) इलेक्ट्रॉनिक सर्किट (एच.एस.एन. कोड 8542) और इलेक्ट्रीकल मशीन एवं संयंत्र (एच.एस.एन. कोड 8543) के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना जून 2017 के अनुसार लागू जी.एस.टी. 18 प्रतिशत है। वी.एस.एस.सी.

³⁵ अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका का क्रम सं. 539

ने आगे बताया कि नवंबर 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत आई.जी.एस.टी. को 5 प्रतिशत तक कर दिया गया था।

वी.एस.एस.सी. का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कन्वर्टर्स प्रक्षेपण वाहनों में उपयोग किए जाने वाले कंज्यूमेबल्स हैं। जून 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत (तालिका का क्र.सं. 539) प्रक्षेपण वाहनों के लिए आवश्यक कंज्यूमेबल्स के लिए लागू आई.जी.एस.टी. निरंक है।

डी.ओ.एस. ने बताया कि (फरवरी 2022) भले ही वस्तु को सप्लायर द्वारा उसके विदेशी प्रधान से आवश्यक सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र के आधार पर सीधा आयातित किया जा रहा है। लेकिन दाम के हिसाब से 18 प्रतिशत का आई.जी.एस.टी. लगना था क्योंकि सप्लायर से वी.एस.एस.सी. को बिक्री द्वितीय बिक्री थी। यह उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि वस्तु के अंतिम खरीददार के लिए लागू होने वाला आई.जी.एस.टी. निरंक है। इसके अलावा वी.एस.एस.सी. के अंतिम खरीददार होने के नाते भारतीय एजेंट द्वारा प्रधान प्रिंसिपल से वी.एस.एस.सी. के लिए आइटम आयात करने के कारण इसे दूसरा विक्रय नहीं माना जा सकता।

इस तरह ₹ 42.65 लाख का आई.जी.एस.टी. का भुगतान परिहार्य था।

2.4 जीसैट-6 सैटलाइट का उपयोग ना होना

अंतरिक्ष विभाग ने ₹ 508 करोड़ की लागत से जीसैट-6 उपग्रह का प्रक्षेपण किया लेकिन उपग्रह के भूखंड के तैयार ना होने की स्थिति के कारण उपग्रह का परिकल्पित उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप उपग्रह अपनी उम्र के आधे समय तक अनुपयोगी रहा।

अंतरिक्ष विभाग ने मोबाईल संचार अनुप्रयोगों एवं सामरिक अनुप्रयोगों के साथ-साथ सामायिक अनुप्रयोगों के लिए सैटलाइट डिजीटल मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए जीसैट-6 उपग्रह मिशन ₹ 269 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति (दिसंबर 2005) के साथ शुरू किया। उपग्रह की परिचालन अवधि अगस्त 2015 से 12 वर्ष होने की उम्मीद थी। एस.डी.एम.बी. सेवाओं के वाणिज्यिक उपयोग के लिए, मैसर्स एट्रिक्स कॉरपोरेशन³⁶ ने एक निजी फर्म मैसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के

³⁶ अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और वितरित करने के लिए डी.ओ.एस. के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

साथ एक समझौता (जनवरी 2005) किया। ऐंट्रिक्स-देवास समझौते में पारदर्शिता³⁷ की कमी का हवाला देते हुए तथा सामारिक और सामाजिक अनुप्रयोगों का हवाला देते हुए देवास-ऐंट्रिक्स समझौते को रद्द (फरवरी 2011) कर दिया गया और तत्पश्चात, जीसैट-6 उपग्रह के लिए एक संशोधित उपयोगिता योजना तैयार की गई (दिसंबर 2013) जिसे डी.ओ.एस. द्वारा उपग्रह विकास (अंतरिक्ष खंड) के लिए ₹ 235 करोड़³⁸ की संशोधित लागत पर अनुमोदित किया गया (फरवरी 2015) तथा भूमि खंड विकास के लिए ₹ 63 करोड़ का लागत डी.आर.डी.ओ. द्वारा वहन की जानी थी।

जीसैट-6 के दो मुख्य घटक थे; अंतरिक्ष खंड³⁹ और भूमि खंड⁴⁰ संशोधित उपयोगिता योजना के तहत अंतरिक्ष खंड का उपयोग सामरिक⁴¹ और सामाजिक क्षेत्र⁴² की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना था। अंतरिक्ष खंड के लिए डी.ओ.एस. जिम्मेदार था जिसके अंतर्गत उपग्रह को साकार करना तथा प्रक्षेपण शामिल था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन⁴³, डी.ओ.एस. की तकनीकी मदद के साथ भूमि खंड के लिए जिम्मेदार था जिसके अंतर्गत हब स्टेशन और संयुक्त नेटवर्क प्रबंधन का विकास शामिल था।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि अंतरिक्ष खंड के अंतर्गत जिस उपग्रह को डी.ओ.एस. द्वारा 2014 की दूसरी तिमाही में प्रक्षेपित किया जाना चाहिए था उसे एक वर्ष की देरी के बाद 2015 अगस्त में प्रक्षेपित किया गया। विलंब के कारण अभिलेख में नहीं थे।

इसके अलावा उपग्रह मिशन के भूमि खंड को डी.आर.डी.ओ. द्वारा दो चरणों में किया जाना था। लेखापरीक्षा के दौरान देखा कि डी.ओ.एस. ने जमीनी खंड के विकास के लिए डी.आर.डी.ओ. के साथ कोई समझौता/अनुबंध नहीं किया था। यह डी.आर.डी.ओ. से परामर्श के आधार पर लक्ष्य आधारित कार्य योजना तैयार करने में भी विफल रहा।

³⁷ इन मुद्दों को सी.ए.जी. की वर्ष 2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 4 में देवास के साथ हाईब्रिड सैटेलाइट डिजिटल मल्टीमीडिया प्रसारण सेवा अनुबन्ध में उल्लिखित किया गया है।

³⁸ बीमा लागत (₹ 34 करोड़) को हटाने के बाद लागत अनुमान कम हो गया था जोकि सामरिक क्षेत्र के लिए अब उतना उपयोगी नहीं था।

³⁹ स्वयं उपग्रह

⁴⁰ फिक्स्ड या मोबाईल ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और सहायक उपकरण शामिल हैं

⁴¹ रक्षा और अर्धसैनिक बल

⁴² आपदा प्रबंधन सहायता और भारतीय रेलवे

⁴³ रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास विंग

परिणामस्वरूप डी.आर.डी.ओ. उपग्रह प्रक्षेपण (अगस्त 2015) से पहले भूमि खंड की गतिविधियों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं था रहा जैसा कि नीचे वर्णित है:-

- चरण 1 के तहत डी.आर.डी.ओ. ने उसके तहत एक इकाई रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला लेबोरेटरी को दो परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य सौंपा। जनवरी 2013 में सौंपी गई पहली परियोजना में एस बैंड हब और उपग्रह संचार टर्मिनलों का विकास शामिल था। परियोजना दो साल से अधिक की देरी के बाद (जनवरी 2018) में पूर्ण हुई। अगस्त 2013 में डी.ई.ए.एल. को स्वीकृत दूसरी परियोजना में तीन सेवाओं नागरिक, समाज एजेंसियों और सामरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ देने के लिए एक समर्पित हब का विकास शामिल था। इसे जनवरी 2015 तक पूरा किया जाना था लेकिन पांच साल की देरी के बाद जुलाई 2020 में इसे पूरा किया जा सका। हालांकि, इन दोनों परियोजनाओं के विलंब में पूर्ण होने के कारण की प्रस्तुत नहीं किया गया था। भूमि खंड के पहले चरण में ₹ 40.17 करोड़ खर्च किए गए थे।
- अंतरिक्ष विभाग को चरण 2 (परिचालन चरण) की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिसमें जीसैट-6 को तीन सेवाओं, नागरिक समाज एजेंसियों और सामरिक उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क केंद्रित संचालन में शामिल करना था।

अतः जीसैट-6 उपग्रह का उद्देश्य जिसे अगस्त 2015 में ₹ 508 करोड़⁴⁴ के खर्च के बाद प्रक्षेपित किया गया था, भूमि खंड के तहत की जाने वाली गतिविधियों के अधूरा होने के कारण पूरा नहीं हो सका क्योंकि उपग्रह प्रक्षेपण के बाद से अनुपयोगी रहा था। लेखापरीक्षा ने अंतरिक्ष विभाग एवं डी.आर.डी.ओ. के बीच समन्वय की कमी देखी। हालांकि उपग्रह का अगस्त 2015 में प्रक्षेपण किया गया था लेकिन भूमि खंड का प्रथम चरण जुलाई 2020 तक अधूरा रहा। जीसैट-6 मिशन वास्तुदार के रूप में अंतरिक्ष विभाग ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र उपलब्ध थे तथा उनका उपयोग किया गया।

अंतरिक्ष विभाग ने कहा (मार्च 2021) डी.ई.ए.एल. द्वारा स्थापित भूमि स्टेशन को अंतरिक्ष विभाग द्वारा सत्यापित किया गया (नवंबर 2015) था और संचालन की अनुमति दे दी गई थी। डी.ओ.एस. ने कहा कि (नवंबर 2021) विभाग ने अपने सामाजिक अनुप्रयोगों और अनुसंधान परियोजनाओं में अपनी क्षमता के 20 प्रतिशत

⁴⁴ जिसमें उपग्रह पर ₹ 232 करोड़ और प्रक्षेपण वाहन पर ₹ 276 करोड़ शामिल हैं।

का बेहतर उपयोग दिया। हालांकि अंतरिक्ष विभाग (मार्च 2021) ने स्वीकार किया कि भूमि स्टेशन के संचालन और उपयोग की वर्तमान स्थिति से वह अनाभिज्ञ था। इस प्रकार अंतरिक्ष विभाग को उपग्रह की शेष 80 प्रतिशत क्षमता के उपयोग की जानकारी नहीं थी।

उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है कि मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष विभाग और डी.आर.डी.ओ. के बीच समन्वय की कमी थी। जिसके चलते प्रक्षेपण के बाद से उपग्रह काफी हद तक अनुपयोगी रहा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपग्रह का आधा परिचालन जीवन पहले ही बेकार हो चुका है।

2.5 सुल्लुरुपेटा के विकास पर ₹ 7.57 करोड़ का अनियमित व्यय।

अंतरिक्ष विभाग ने सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र के सुल्लुरुपेटा के विकास से संबंधित कार्य को उसके अधिनिर्णय से परे करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसके चलते ₹ 7.57 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, (एस.डी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर.) श्री हरिकोटा अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) के प्रमुख केंद्रों में से एक है। एस.डी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर., श्री हरिकोटा भारत का एक रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है जो कि आंध्रप्रदेश के सुल्लुरुपेटा शहर के निकट स्थित है। प्रक्षेपणों के दौरान एस.डी.एस.सी. एस.एच.ए.आर. सुल्लुरुपेटा में वी.वी.आई.पी. के लगातार दौरें होते हैं। भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन नियम 1961), के अनुसार अंतरिक्ष विभाग के बजट से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) ही करेगा।

लेखापरीक्षण में यह सामने आया कि मई 2013 में एस.डी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर. ने सुल्लुरुपेटा⁴⁵ नगर पालिका तथा एस.डी.एस.सी. एस.एच.ए.आर. के आसपास के क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र विकास का कार्य लेने का प्रस्ताव रखा। यह (अगस्त 2011/जनवरी 2013) नेल्लोर जिले⁴⁶ के जिलाधिकारी तथा सुल्लुरुपेटा नगर पालिका के नगर पालिका कमिश्नर, आंध्रप्रदेश सरकार के निवेदन पर आधारित था। सुल्लुरुपेटा में एस.डी.एस.सी.

⁴⁵ सुल्लुरुपेटा नगरपालिका एस.डी.एस.सी. का द्वार है जहां एस.डी.एस.सी., श्रीसिटी और मंगबादु विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिकतर कर्मचारी निवासरत हैं।

⁴⁶ औपचारिक रूप से श्री पोट्टी श्री रामुलु, नैल्लोर जिला

एस.एच.ए.आर. द्वारा दो काम किए जाने थे (i) आर.टी.सी.⁴⁷. बस सेटेंड तथा लाइटिंग सिस्टम में सुधार (2) जलनिकासी व्यवस्था में सुधार तथा इन्हें जून 2013 में अंतरिक्ष विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।

आगे लेखापरीक्षण जांच में यह सामने आया कि तिरुपति के सांसद, सुल्लुरुपेटा के विधायक तथा सुल्लुरुपेटा नगरपालिका के निवेदन (जनवरी/नवम्बर 2015) पर एस.डी.एस.सी. ने सुल्लुरुपेटा में नई सब्जी मंडी बनाने के कार्य लेने का प्रस्ताव रखा जिसे अंतरिक्ष विभाग ने जुलाई 2016 में अनुमति दे दी थी। चौथे काम कम्मा- कंडरीगा से तनियाली डी.वी. सतराम मंडल में स्थित एस.एच.ए.आर. के पंपिंग स्टेशन तथा मिट्टी के पहुंच मार्ग के निर्माण को साथ ही साथ सितंबर 2016 में अनुमति दे दी गई थी।

इन चारों मुख्य कामों को अंतरिक्ष विभाग ने पहले ₹ 6.01 करोड़ के अनुमानित बजट पर स्वीकृति दी थी जिसे बाद में ₹ 7.88 करोड़ में संशोधित कर दिया गया था। अंतरिक्ष विभाग के निर्माण एवं रखरखाव समूह/प्रभाग जो कि अंतरिक्ष विभाग के कार्य करते हैं ने इन चारों कार्यों को लिया एवं खातों शीर्ष अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एस.एच.ए.आर., प्रमुख कार्य⁴⁸ के अंतर्गत ₹ 7.57 करोड़ के कुल व्यय पर पूरा किया।

भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन नियम 1961) के अनुसार; अंतरिक्ष विभाग के बजट से निष्पादित होने वाले कार्यों को अंतरिक्ष विभाग ही करेगा। ऊपर वर्णित कार्यों के संदर्भ में अंतरिक्ष विभाग के अधिदेश/कार्यों से संबंधित ना होने के बावजूद भी ₹ 7.57 करोड़ की राशि के व्यय को अंतरिक्ष विभाग के बजट से लिया गया। अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुमोदित और एस.डी.एस.सी.- एस.एच.ए.आर. द्वारा किए गए कार्य सुल्लुरुपेटा में विकास कार्यों/परिसंपत्तियों के निर्माण/मौजूदा परिसंपत्तियों में बड़े सुधार की प्रकृति के थे। सुल्लुरुपेटा नगरपालिका और एस.डी.एस.सी. के आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नगर पालिका तथा आंध्र प्रदेश सरकार की एजेंसियों की है तथा इन पर हुआ किसी प्रकार का व्यय उनके खाते से लिया जाना चाहिए।

⁴⁷ सड़क परिवहन निगम

⁴⁸ 540200101.17.00.53

इस तरह अंतरिक्ष विभाग ने अपने नियमों के विरुद्ध एस.डी.एस.सी.- एस.एच.ए.आर. के सुल्लुरुपेटा के विकास कार्यों को करने का अनुमोदन दिया परिणामस्वरूप चलते ₹ 7.57 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

एस.डी.एस.सी.- एस.एच.ए.आर. ने उत्तर दिया (जून 2019) कि व्यवसाय के आवंटन नियमों के खण्ड 5 के अनुसार अंतरिक्ष विभाग के कार्मिकों से संबंधित सभी मामले विभाग के नियंत्रण में आते हैं। एस.डी.एस.सी. ने कहा कि भले ही काम सुल्लुरुपेटा के लोगों के लिए किया गया हो इससे वहां तीन कॉलोनियों में रहने वाले एस.डी.एस.सी. के कार्मिकों के 2000 से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। एस.डी.एस.सी. ने आगे बताया कि कार्य अंतरिक्ष विभाग के अपेक्षित अनुमोदन से ही किए गए थे। डी.ओ.एस. ने जनवरी 2022 में बताया कि भले ही कार्य सुल्लुरुपेटा और एस.डी.एस.सी. के आसपास के क्षेत्रों का स्थानीय कार्य प्रतीत होता हो, सही अर्थ में उक्त सभी कार्य एस.डी.एस.सी.- एस.एच.ए.आर. और उसके कार्मिकों के अधिक हित में किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष विभाग का अधिदेश 'अंतरिक्ष विभाग/अंतरिक्ष अनुसंधान' बजट से डेबिट करने योग्य कार्यों को शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। इसी तरह एस.डी.एस.सी. के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग का अधिदेश 'अंतरिक्ष विभाग/अंतरिक्ष अनुसंधान' बजट से डेबिट करने योग्य कार्य करना है जो एस.डी.एस.सी. की परिसंपत्तियों का हिस्सा है ना कि सुल्लुरुपेटा और आसपास के क्षेत्र के 'स्थानीय विकास' के कार्य को शुरू करने के लिए।

अध्याय - III

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का प्रबंधन

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कुशलतापूर्वक प्रबंध नहीं किया। महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जैसे परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन, अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना, परियोजनाओं का आवधिक अनुवीक्षण तथा सभी परियोजनाओं का समय पर मूल्यांकन नहीं किया गया था। उच्च प्रभाव जर्नलों में प्रकाशनों की संख्या, परियोजना की खराब गुणवत्ता को इंगित करते हुए, बहुत निम्न थी। वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता थी। चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं पर ₹ 1,203.40 करोड़ के संवितरण के बावजूद केवल एक पेटेन्ट को मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण सुधार क्षेत्र में ट्रांसलेशनल अनुसंधान हेतु परियोजनाओं की खराब योजना एवं परिणामों को इंगित करते हुए बिना किसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के स्वीकृत किया गया है।

3.1.1 प्रस्तावना

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने, जैव-प्रौद्योगिकी विनिर्माताओं के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) में सहयोग प्रदान करने के अधिदेश सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन की गयी थी। चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी एक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से विभाग जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी⁴⁹; मानव विकास एवं रोग जीव विज्ञान; मानव आनुवांशिकी एवं जीनोम; संक्रामक एवं असंक्रामक रोग; स्टेम कोशिकी जीव विज्ञान; टीका अनुसंधान और निदान; आर.एन.ए. प्रौद्योगिकी; एच.आई.वी. एड्स तथा माइक्रोबाइसाइस तंत्रिका विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य, खाद्य और पोषण के क्षेत्रों में आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए विभिन्न अभिकरणों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराता

⁴⁹ जीवविज्ञान एवं औषध के लिए जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी के सिद्धांतों तथा समस्या-समाधान तकनीकों का अनुप्रयोग है।

है। लाखों लोगों के जीवन एवं जीविका में सुधार के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी उन्मुखी अनुसंधान करने के साथ-साथ दक्ष कार्यबल पर जोर देना है।

वर्ष 2012-17 के दौरान विभाग ने 793 परियोजनाएं संस्वीकृत की तथा चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के भिन्न-भिन्न उप कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल ₹ 1,203.40 करोड़ का अनुदान संवितरित किया। हमने चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को विभिन्न घटकों के अंतर्गत 155 परियोजनाओं⁵⁰ की लेखापरीक्षा की, जिन्हें परियोजना अनुमोदनों, परिणाम, वित्तीय प्रबंधन और अनुवीक्षण सहित उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2012-17 के दौरान संस्वीकृत किया गया था। इन पहलुओं पर हमारे निष्कर्षों की चर्चा अग्रलिखित पैराग्राफों में की गयी है।

3.1.2 परियोजना अनुमोदन

क. परियोजना प्रस्ताव पर समकक्ष समीक्षा अनुशंसा का अभाव

समकक्ष समीक्षा के लिए अनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों में परियोजना प्रस्ताव बाह्य विशेषज्ञों को भेजा जाना होता है। हमने पाया कि 155 परियोजनाओं में से 41 (26 प्रतिशत) परियोजनाओं में बाह्य विशेषज्ञों द्वारा कोई समकक्ष समीक्षा नहीं की गयी थी। इन परियोजनाओं को आरंभ करने से पूर्व, महत्वपूर्ण अंतराल इन परियोजनाओं की उपयोगिता और व्यवहार्यता पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन के अभाव को इंगित करता है।

विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2022) में कहा कि सभी परियोजनायें समकक्ष समीक्षा हेतु प्रेषित की जाती हैं, परंतु कुछ अवसरों पर, कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है। चूँकि परियोजना समीक्षा प्रक्रिया समयबद्ध होती है, अतः परियोजनाओं को तत्पश्चात तकनीकी विशेषज्ञ समिति/ संबंधित कार्यक्रम-विशिष्ट समिति की टिप्पणियों के आधार पर अनुशंसित और विमर्श किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति/ कार्यबल को प्रस्तुत करने से पूर्व परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन हेतु अनिवार्य समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया था। इस प्रकार, विभाग के पास इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता/ उपयोगिता पर कोई विशेषज्ञ मार्गदर्शन नहीं था।

⁵⁰ सभी चयनित परियोजनाओं को उनकी संस्वीकृत अवधि के संबंध में पूर्ण माना गया था। इन परियोजनाओं में केवल एक परियोजना कार्यान्वयन में अनुचित विलंब के कारण पहले की बंद कर दी गयी थी।

ख. सांविधिक निर्बाधताओं की प्राप्ति न होना

खतरनाक सूक्ष्मजीव, पशुओं पर प्रयोग, मानव जाति की सहभागिता, स्टेमकोशिका संबंधित अनुसंधान गतिविधियाँ इत्यादि को सम्मिलित करने वाली चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं को आरंभ करने से पूर्व कुछ सांविधिक अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। हमने बहुत सी चयनित परियोजनाओं में पाया कि इनके पूर्व अनुमोदन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जैसा कि तालिका-3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन

क्र. सं.	अनुमोदन की प्रकृति	परियोजनाओं की संख्या जिनमें अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ
1.	प्रजनन और पशुओं पर प्रयोग नियमावली, 1998 ⁵¹ (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) के अनुसार एक प्रतिष्ठान ⁵² में निष्पादित पशुओं पर प्रयोगों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के उद्देश्य से एक संस्थागत पशु आचार समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।	13
2.	जैव चिकित्सा अनुसंधान, 2006 हेतु राष्ट्रीय नैतिक दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान को नैतिक समीक्षा और अनुवीक्षण हेतु समुचित तथा सतत्-प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक समिति ⁵³ की स्थापना हेतु मानव सहभागियों को सम्मिलित करते हुए अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करना है।	14
3.	विनिर्माण, उपयोग/ आयात/ निर्यात और खतरनाक सूक्ष्म जीवों का भण्डारण/ आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत	13

⁵¹ चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा के क्रम में पशुओं पर प्रयोग पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत समाविष्ट है।

⁵² यह निश्चित करने के लिए कि पशुओं पर प्रत्येक प्रयोग उस संबंध में विधिवत रूप से योग्यता प्राप्त एक व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन और उसके द्वारा यथावत देखरेख तथा मानवीयता सहित निष्पादित किया जाना चाहिए। आई.ए.ई.सी. अनुसंधान आरंभ करने से पहले छोटे पशु प्रयोग को सम्मिलित करने वाले अनुसंधान हेतु सभी प्रकार के प्रोटोकॉलों की समीक्षा और अनुमोदन प्रदान करता है।

⁵³ मानव सहभागियों को शामिल करते हुए स्वास्थ्य के लिए जैव चिकित्सा, सामाजिक और व्यावहारिक विज्ञान अनुसंधान पर सभी अनुसंधान प्रस्तावों के लिए समस्त अनुसंधान सहभागियों की प्रतिष्ठा, अधिकार, सुरक्षा तथा कल्याण की रक्षा हेतु गठित ई.सी. द्वारा समुचित रूप से उनकी जैविक सामग्री और आँकड़ों की समीक्षा करना और अनुमोदन प्रदान किया जाना आवश्यक होता है।

क्र. सं.	अनुमोदन की प्रकृति	परियोजनाओं की संख्या जिनमें अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ
	जीवों/ कोशिकाओं हेतु नियमावली, 1989 ⁵⁴ के अनुसार इन नियमों के अनुरूप सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत जैव-सुरक्षा समिति की स्थापना करने की आवश्यकता है।	
4.	स्टेम कोशिका अनुसंधान, 2013 हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार स्टेम कोशिका अनुसंधान में विनियोजित संस्थानों को संस्थागत समिति की स्थापना करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि स्टेम कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में सभी अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा, अनुमोदन और अनुवीक्षण कड़ाई से तथा प्रभावी रूप से किया जाता है।	3

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग ने इन परियोजनाओं हेतु अनुमोदन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताओं के पूरा करने को सुनिश्चित किये बिना प्रदान किया। इस प्रकार, विभाग के पास कोई आश्वासन नहीं था कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन, पशु तथा मानवीय परीक्षणों हेतु नैतिक सिद्धान्तों या अनुसंधानकर्ता जो खतरनाक सूक्ष्मजीवों को संभालेंगे, का ध्यान रखते हुए किया जाएगा।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2022) कि मेजबान संस्थानों को सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुकरण करने तथा परियोजना संस्वीकृत करते समय आवश्यक अनुप्रयोग निर्बाधताएं प्राप्त करने की सलाह दी है। मेजबान संस्थानों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संस्वीकृत आदेश में इस प्रकार के उपबंधों को निगमित किया जाता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि संस्वीकृति आदेश में केवल उपबंधों का निगमन, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा नैतिक सिद्धान्तों का अनुवीक्षण पर्याप्त नहीं है। नैतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन, परियोजना की अव्यवहार्यता का मार्ग प्रशस्त करते हुए, परियोजना परिणामों को नष्ट करने का कारण बनता है।

⁵⁴ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम (1986) के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) द्वारा अधिसूचित विनिर्माण/ उपयोग/ आयात/ निर्यात तथा खतरनाक सूक्ष्मजीवों/ आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी जीवों या कोशिकाओं हेतु नियमावली, 1989 (आमतौर पर नियम 1989 के रूप में जाना जाता है)

3.1.3 परियोजना कार्यान्वयन

परियोजना का प्राथमिक प्रयोजन राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दक्ष कार्यबल के विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकी-उन्मुखी अनुसंधान था। तथापि, हमने निर्धारित लक्ष्यों के प्रति इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतराल पाये। इनमें से कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी है।

3.1.3.1 प्रौद्योगिकी का विकास एवं वाणिज्यीकरण

विभाग की राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति (2015-20) ने प्रौद्योगिकियों के ट्रांसलेशन अनुसंधान⁵⁵ तथा वाणिज्यीकरण पर प्राथमिक जोर देने के साथ सामाजिक रूप से बायोटेक उत्पादों हेतु नवाचार पर बल दिया। विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी पेटेंट सुविधा प्रकोष्ठ (बी.पी.एफ.सी.) की स्थापना (जुलाई 1999) प्राथमिकता के आधार पर (बी.पी.एफ.सी.) के माध्यम से पेटेंट फाइलिंग को सुलभ बनाते हुए हितधारकों के लाभ हेतु इसके उपयोग तथा अनुसंधान परिणाम के मध्य अंतराल को पाटने के लिए की गयी थी।

हमने पाया कि 107 परियोजनाओं में से, जिनमें परियोजना समापन प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया गया था, 11 परियोजनाओं में 16 अनंतिम पेटेंट फाइल किये गये थे, जिनमें से केवल एक⁵⁶ पेटेंट स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, बी.पी.एफ.सी के माध्यम से केवल दो⁵⁷ पेटेंट फाइल किये गये थे जो सुविधा केन्द्र के उपानुकूलतम उपयोग को इंगित करता है।

विभाग ने कहा कि बी.पी.एफ.सी की स्थापना पेटेंटों के लिए पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया को सुगम बनाना था तथा इसका उपयोग अनिवार्य नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ताओं के मध्य बौद्धिक संपदा अधिकार

⁵⁵ ट्रांसलेशन अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसका उद्देश्य आधारभूत अनुसंधानों में परिणामों को ऐसे परिणामों में ट्रांसलेट करना जो प्रत्यक्ष रूप से मानव को लाभ पहुँचाते हैं।

⁵⁶ “सीमित शर्तों के अंतर्गत क्षेत्र में घटना के चयन के लिए संकल्पना के साक्ष्य हेतु विधिमान्यकरण/ सत्यापन से महत्वपूर्ण परजीवी लक्ष्यों पर आधारित ट्रांसलेशनल रिसर्च ऑन रूट नॉट नेमाटोड टोलरेन्ट आरएनएआई ट्रांसजेनिक्स” परियोजना में एक अमेरिकन पेटेंट।

⁵⁷ (i) “सीमित शर्तों के अंतर्गत क्षेत्र में घटना के चयन के लिए संकल्पना के साक्ष्य हेतु विधिमान्यकरण/ सत्यापन से महत्वपूर्ण परजीवी लक्ष्यों पर आधारित ट्रांसलेशनल रिसर्च ऑन रूट नॉट नेमाटोड टोलरेन्ट आरएनएआई ट्रांसजेनिक्स” परियोजना में एक भारतीय पेटेंट। (ii) “सीमित शर्तों के अंतर्गत क्षेत्र में घटना के चयन के लिए संकल्पना के साक्ष्य हेतु विधिमान्यकरण/ सत्यापन से महत्वपूर्ण परजीवी लक्ष्यों पर आधारित ट्रांसलेशनल रिसर्च ऑन रूट नॉट नेमाटोड टोलरेन्ट आरएनएआई ट्रांसजेनिक्स” परियोजना में एक भारतीय पेटेंट।

(आई.पी.आर.) के बारे में एक एकल खिड़की जाकरुकता सह-सुविधा क्रियाविधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बी.पी.एफ.सी. की स्थापना की गयी थी बी.पी.एफ.सी. का उपयोग न करना विभाग के लिए आई.पी.आर. के क्षेत्र में विकास से अनभिज्ञ होने का कारण बनेगा और इस प्रकार, विभाग महत्वपूर्ण प्रकरणों को नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, बायोटेक उद्योगों इत्यादि के ध्यान में लाने में असमर्थ रहेगा।

इसके अतिरिक्त, विभाग परियोजनाओं से फाइल किये गये पेटेंटों की सफलता की खराब दर के बारे में मौन था। चूँकि यह जोर दिये जाने वाला मुख्य क्षेत्र था, इस क्षेत्र में विभाग की सफलता की कमी से ट्रांसलेशनल अनुसंधान पर इसके दबाव का प्रभाव पड़ेगा। प्रौद्योगिकियों के गैर-वाणिज्यीकरण का सीधा प्रभाव भी मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्मुखी और ट्रांसलेशन अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु योजना के विस्तृत प्रयोजनों पर पड़ेगा।

3.1.3.2 प्रकाशन

प्रभाव कारक (आई.एफ.)⁵⁸ सामान्यतः जर्नल की अपने क्षेत्र में सापेक्ष महत्व का मूल्यांकन करने के लिए एक संकेतक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक क्षेत्रों में, 10 या अधिक का प्रभाव कारक उत्कृष्ट माना जाता है।

हमने पाया कि 20 परियोजनाओं में, किसी भी समीक्षित जर्नल⁵⁹ में कोई प्रकाशन नहीं किये गये थे। 66 परियोजनाओं में, समकक्ष समीक्षा की गयी जर्नलों में कुल 261 प्रकाशन किये गये थे। जिनमें से 242 प्रकाशनों के आई.एफ. उपलब्ध थे। इन 242 प्रकाशनों के आई.एफ. का विश्लेषण तालिका-3.2 में दिया गया है।

⁵⁸ प्रभाव कारक (आई.एफ.) बारंबारता की एक माप है जिसके साथ एक विशिष्ट वर्ष में एक जर्नल में लेख उद्धृत किया गया हो। गणना दो वर्ष की अवधि पर आधारित है तथा जिसमें उद्धृत योग्य लेखों की संख्या द्वारा उद्धृत टाइम्स लेखों की संख्या का विभाजन सम्मिलित होता है। एक जर्नल के 2010 आई.एफ.सी. गणना: ए= वर्ष 2008 और 2009 में प्रकाशित टाइम्स लेखों की संख्या को वर्ष 2010 के दौरान इंडेक्सड जर्नल द्वारा उद्धृत किया गया था। बी= 2008 और 2009 में प्रकाशित की जाने योग्य वस्तुओं की कुल संख्या। ए/बी = 2010 प्रभाव कारक

⁵⁹ एक समकक्ष समीक्षा किये गये प्रकाशन को कभी-कभी एक वैज्ञानिक प्रकाशन के रूप में संदर्भित किया जाता है। समकक्ष-समीक्षा प्रक्रिया में एक लेखक का विद्वतापूर्ण कार्य, अनुसंधान या विचार अन्यों की संवीक्षा के अध्यधीन होता है जो समान क्षेत्र (समकक्ष) में विशेषज्ञ होते हैं तथा यह अकादमिक वैज्ञानिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है।

तालिका 3.2: प्रकाशनों का प्रभाव कारक

आई.एफ. रेन्ज ⁶⁰	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	>11	कुल
प्रकाशन की संख्या	16	23	46	56	43	23	15	02	06	07	00	05	242
प्रतिशतता	07	10	19	23	18	10	06	01	02	03	00	02	-

तालिका से देखा जा सकता है कि केवल पाँच प्रकाशन 10 से अधिक आई.एफ. वाले थे, जबकि प्रकाशनों का 75 प्रतिशत पाँच से कम आई.एफ. के जर्नलों का था जो अनुसंधान कार्य के मूल्यांकन की कम गुणवत्ता को इंगित करता है।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2022) की उच्च प्रभाव कारक जर्नलों में प्रकाशन, यद्यपि वांछनीय है, महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उक्त कई परिवर्ती कारकों पर निर्भर होता है तथा आई.एफ. जर्नल की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उपायों में से मात्र एक उपाय है और निश्चित रूप से कार्य की गुणवत्ता का सूचक नहीं हो सकता। उत्तर की समीक्षा इस तथ्य के आलोक में की जानी चाहिए कि वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन की प्रमुख उपलब्धियों को इसके अनुसंधान प्रकाशनों में प्रतिबिम्बित किया जाता है। उच्च प्रभाव कारक जर्नलों को सामान्यतया निम्न प्रभाव जर्नलों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है, तत्पश्चात प्रभाव कारक विश्व में जर्नल के स्थायित्व को इंगित करता है और यह अनुसंधान आउटपुटों की गुणवत्ता का सूचक है।

3.1.4 परियोजनाओं का वित्तीय प्रबंधन

3.1.4.1 लेखा के अंतिम निपटारे के लिए समय सीमा का अनुपालन नहीं करना

विभाग द्वारा वित्त पोषित बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं हेतु मानदण्डों में यह भी उपबंधित है कि (जुलाई 2015) परियोजना समापन प्रतिवेदन की स्वीकृति पर, परियोजनाओं के लेखाओं के अंतिम निपटारे (एफ.एस.ए.) को परियोजना के समापन से नौ महीनों के अंदर पूरा किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त अनुदानों के निबंधन एवं शर्तों में उपबंधित था कि सहायता अनुदानों की संपूर्ण या आंशिक राशि के प्रतिदाय के मामलों में, उस राशि पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की वसूली की जाएगी।

⁶⁰ 10 या उससे अधिक का प्रभाव कारक उत्कृष्ट माना जाता है। इस तरह, 3 का स्कोर 'अच्छा' तथा 1 से कम का स्कोर 'औसत' माना जाता है। (स्रोत: <https://menuscryptededit.com/scholar-hangout/good-impact-factor-journal>)

142 परियोजनाओं में, लेखाओं का अंतिम निपटारा या तो नहीं किया गया था या परियोजना के समापन से नौ महीनों के उपरांत किया गया था। 91 प्रतिशत परियोजनाओं में, विभाग लेखाओं के निपटारे के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं कर सका। इस प्रकार, विभाग कार्यान्वयन अभिकरणों के पास कुल अव्ययित शेष राशि, यदि कोई हो, का आंकलन नहीं कर पाया था, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2022) कि लेखाओं का अंतिम निपटारा (एफ.एस.ए.) एक वित्तीय प्रक्रिया है जिसमें प्रायः मेजबान संस्थानों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय का विवरण, जनशक्ति विवरण, परिसंपत्ति अधिग्रहीत प्रमाण-पत्र इत्यादि की आवश्यकता के कारण विलंब हो जाता है। लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि परियोजना के समापन के पश्चात अव्ययित रही कुल राशि, यदि कोई हो, का मूल्यांकन समय पर ही किया जाना चाहिए तथा अनुदानों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इस प्रकार की राशि की वसूली की जानी चाहिए।

3.1.4.2 राजस्व और पूँजीगत के मध्य पुनर्विनियोजन

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (डी.एफ.पी.आर.) 1978 के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के निर्णय (4) के अनुसार, अनुदानों की समान मांग में राजस्व अनुभाग में उपलब्ध करायी गयी निधियों में, बचत पूँजीगत अनुभाग या विलोमतः में अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं।

55 परियोजनाओं में, उपर्युक्त नियमावली के उल्लंघन में, विभाग द्वारा पूँजीगत शीर्ष से राजस्व शीर्ष में पुनर्विनियोजन किया गया था जैसा कि तालिका-3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.3: पूँजीगत शीर्ष से राजस्व शीर्ष में पुनर्विनियोजन

वर्ष	पुनर्विनियोजन की संख्या	राशि (₹ लाख में)
2013-14	05	01.628
2014-15	11	05.539
2015-16	11	16.027
2016-17	15	41.759
2017-18	10	08.022
2018-19	03	09.965
कुल	55	82.94

इस प्रकार, ₹ 82.94 लाख की संस्वीकृति और व्यय अनियमित था और विभाग द्वारा इन पुनर्विनियोजनों को नियमित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2022) कि निधियों का पुनर्विनियोजन विभाग के एकीकृत वित्त प्रभाग (आई.एफ.डी.) की सहमति से किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय का अनुमोदन पूँजीगत से राजस्व शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोजन हेतु आवश्यक है।

3.1.5 परियोजना अनुवीक्षण

3.1.5.1 अपेक्षित अंतरालों पर परियोजना का अनुवीक्षण न करना

विभाग के कार्यदल/ परियोजना अनुवीक्षण समिति⁶¹ को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार परियोजना का अनुवीक्षण करना था। विभाग को परियोजना उद्देश्यों की शीघ्र प्राप्ति के लिए उपाय सुझाते हुए तथा प्रगति की समीक्षा हेतु आवधिक रूप से कार्यान्वयन अभिकरणों को दौरों हेतु विशेषज्ञों को नामित भी करना था। हमने पाया कि ये शर्तें बहुत-सी परियोजनाओं में पूरी नहीं की गयी हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है।

सभी 155 परियोजनाओं के कार्यान्वयन अभिकरणों ने विभाग को अर्धवार्षिक परियोजना प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं किया था। इसके बजाय, प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक रूप से प्रस्तुत किये गये थे, जो अनुदानों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नहीं थे। विभाग ने कहा (नवंबर 2019) कि सामान्य रीति के अनुसार, लगभग सभी परियोजनाओं की प्रगति का अनुवीक्षण वार्षिक आधार पर किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अनुदानों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रगति प्रतिवेदनों को अर्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना जिनकी विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम एक बार समीक्षा की जानी थी। विलंब से किया गया अनुवीक्षण परियोजना परिणाम प्राप्त करने में परिणामी प्रभाव रखता है तथा कार्यप्रणाली सुधार हेतु कोई विषय क्षेत्र नहीं छोड़ता है।

⁶¹ टास्क फोर्स/ परियोजना अनुवीक्षण समिति/ टी.ई.सी. को विभाग से एक सदस्य सचिव तथा संबंधित क्षेत्र के 8-10 सदस्यों, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष को संगठन द्वारा गठित किया गया था। सामान्यतया, टी.ई.सी. प्रस्तावों को उनके अगले चरण, अर्थात् प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्ताव को शॉर्ट लिस्ट करना, एस.टी.ए.जी. समिति को विचारार्थ परियोजनाओं की अनुशंसा करना, पर ले जाने के लिए मूल्यांकन करती है। यह कुल ₹ 5.00 करोड़ तक की संस्वीकृत बजट वाली चालू, पूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा/ अनुवीक्षण भी करती है।

हमने आगे पाया कि विभाग ने इन 155 परियोजनाओं में से किसी में भी स्थल दौरा का संचालन नहीं किया। विभाग ने कहा (अप्रैल 2022) कि स्थल दौरों का संचालन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान विशेषज्ञ समिति की विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। तथापि, विभाग संचालित स्थल दौरों के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा सका। इस प्रकार, समय पर अनुवीक्षण के अभाव के कारण, विभाग परियोजनाओं की कार्यशैली हेतु प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने या कार्यप्रणाली में सुधार करने में असमर्थ था।

3.1.5.2 पूर्ण परियोजनाओं का मूल्यांकन

विभाग द्वारा वित्तपोषित व्यक्तिगत केन्द्रित बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं (जुलाई 2015)⁶² हेतु मानदण्डों में उपबंधित है कि परियोजना के समापन पर, परियोजना अन्वेषण (पी. आई.) द्वारा परियोजना के समापन के छह महीनों के अन्दर परियोजना समापन प्रतिवेदन (पी.सी.आर.) प्रस्तुत किया जाना होता है। कार्यदल या विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के समापन के नौ महीनों के अन्दर पी.सी.आर. का मूल्यांकन पूरा करना अपेक्षित होता है। हमने पाया कि:

(i) 47⁶³ परियोजनाओं में परियोजना के समापन के पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा पी.सी.आर. प्रस्तुत नहीं किये गये थे जिसके कारण परियोजना के अंतिम परिणाम का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(ii) 107 परियोजनाओं में से जिनमें विभाग को पी.सी.आर. प्रस्तुत किये गये थे, 34 परियोजनाओं में कार्य दल/विशेषज्ञ समिति द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के कार्य निष्पादन का आंकलन नहीं किया गया था।

(iii) कार्यदल या परियोजना अनुवीक्षण समिति को कार्यान्वयन अभिकरणों⁶⁴ से प्राप्त पी.सी.आर. का मूल्यांकन करना और परियोजनाओं के निष्पादन के आधार पर पाँच श्रेणियों में ग्रेडिंग देना अपेक्षित है। 107 परियोजनाओं हेतु विभाग द्वारा पी.सी.आर.

⁶² विभागीय का.जा. संख्या: बी.टी./2/2015-आई.एफ.डी. दिनांक 14/07/2015 क्रम सं. (XII) (डी)

⁶³ “भारतीय शहर में अनकॉम्प्लीकेटिड सीवियर एक्वूट मालन्यूट्रिशन के प्रबंधन हेतु गृह आधारित परिशोधित विद्यमान रीतियाँ बनाम उपयोग हेतु तैयार गृह आधारित थैरापॉटिक फूड (आर.यू.टी.एफ.)” शीर्षक वाली परियोजना को छोड़ते हुए जिसे बंद कर दिया गया था। परियोजना की कुल अवधि तीन वर्ष थी तथा परियोजना के कार्यान्वयन में अनुचित विलंब होने के कारण परियोजना को आरंभ के दो वर्षों के पश्चात् ही बंद कर दिया गया था।

⁶⁴ तकनीकी विशेषज्ञ समिति की संदर्भ शर्तों के अनुसार।

प्राप्त किये गये थे। इनमें से, विभाग ने 73 परियोजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया परंतु केवल 62 परियोजनाओं को ग्रेडिंग दी। इन परियोजनाओं के कार्य निष्पादन पर कार्य दल द्वारा प्रदान की गयी ग्रेडिंग तालिका-3.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका-3.4: विभाग द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन

ग्रेडिंग	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशतता
असाधारण/उत्कृष्ट	08	05
बहुत अच्छा	12	07
अच्छा	13	08
संतोषजनक	28	18
असंतोषजनक	01	01

तालिका से देखा जा सकता है कि केवल पाँच प्रतिशत परियोजनायें असाधारण थी जबकि कुल 155 परियोजनाओं के लगभग 18 प्रतिशत ने संतोषजनक रूप से कार्य निष्पादन किया तथा 15 प्रतिशत परियोजनाओं (अर्थात् 73 मूल्यांकित परियोजनाओं में से 11 परियोजनायें) में परियोजना आउटपुट की गुणवत्ता अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2022) कि कुछ मामलों में, निष्कर्षों के संकलन एवं व्याख्या में समय लगता है जिसका परिणाम समापन प्रतिवेदन की प्रस्तुति में विलंब के रूप में होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को समापन प्रतिवेदन के मूल्यांकन हेतु विलंब से बचने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों से पी.सी.आर. की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए। पी.सी.आर. की कमी विभाग को अनुसंधान परियोजनाओं की गुणवत्ता का आंकलन करने से रोकेगी।

3.1.6 निष्कर्ष

जैव प्रौद्योगिकी विभाग मानव स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-उन्मुखी/ट्रांसलेशनल अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का संचालन करता है। लेखापरीक्षा में इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं के प्रबंधन में कमियाँ प्रेक्षित की गयी। निर्धारित कार्य विधियों जैसे विशेषज्ञों द्वारा परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा और इस प्रकार के अनुसंधान को करने के लिए अनिवार्य प्रोटोकॉलों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना बहुत-सी परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु संस्वीकृत किया गया था। परियोजनाओं की प्रगति का अर्धवार्षिक

अनुवीक्षण नहीं किया गया था, जैसा कि उपबंधित था। लेखापरीक्षा में चयनित 154 पूर्ण परियोजनाओं में से, केवल 107 परियोजनाओं हेतु समापन प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से विभाग केवल 73 परियोजनाओं का आंकलन करने में समर्थ था।

परियोजनाओं के समग्र परिणाम भी कार्यक्रम के परिकल्पित उद्देश्य के अनुरूप नहीं पाये गये थे। 155 नमूना परियोजनाओं में से एक को पेटेन्ट प्राप्त हुआ था। विभाग के स्वयं के आंकलन से केवल 12 प्रतिशत (विभाग द्वारा आंकलित परियोजनाओं में से) को असाधारण/ बहुत अच्छा ग्रेड दी गयी थी। इस परिदृश्य में, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धि मानव और कल्याण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-उन्मुखी/ ट्रांसलेशनल अनुसंधान के प्रोत्साहन में कम रही। लेखापरीक्षा में संस्वीकृत परियोजनायें के वित्तीय प्रबंधन में कमियाँ भी पायी गयी। पूर्ण परियोजनाओं के लेखाओं के अंतिम निपटारों में विलंब हुआ था तथा ₹ 82.94 लाख की सीमा तक परियोजना अनुदानों का पुनर्विनियोजन अनियमित था।

परियोजना प्रस्तावों के अपूर्ण आंकलन तथा चालू परियोजनाओं के अनियमित अनुवीक्षण ने यह सुनिश्चित करने के विभाग के उत्तदायित्व को समाप्त कर दिया कि केवल महत्वपूर्ण परिणामों हेतु संभाव्यता रखने वाली अधिकांश व्यवहार्य परियोजनायें संस्वीकृत और कार्यान्वित की गयी थी। इन मूल प्रक्रियाओं में व्यपगमनों ने परियोजनाओं के परिणामों पर विपरीत प्रभाव डालने का मार्ग प्रशस्त किया।

परियोजना प्रबंधन में कमी और खराब अनुवीक्षण के कारण, योजनांतर्गत परियोजनाओं पर ₹ 1,203.40 करोड़ का व्यय करने के बावजूद ट्रांसलेशनल अनुसंधान के माध्यम से मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण के सुधार से संबंधित विस्तृत उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

अध्याय - IV

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

4.1 प्रोत्साहनों और भत्तों की अनियमित स्वीकृति

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन अर्थात् विशेष वेतन, अतिरिक्त वेतन वृद्धि और व्यावसायिक अद्यतन भत्ते को स्वीकृति प्रदान की। अकेले अनियमित व्यावसायिक अद्यतन भत्ते के भुगतान का वित्तीय निहितार्थ ₹ 54.60 करोड़ सीमा तक था।

व्यवसाय संव्यवहार नियमावली, 1961 के नियम 4 (2) (सी) कहता है कि जब तक एक प्रकरण वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) द्वारा जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय संस्वीकृति हेतु शक्तियों में पूर्णरूपेण कवर नहीं हो जाता, कोई भी विभाग सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों या वित्तीय निहितार्थ रखने वाली उनकी सेवाओं की किसी अन्य शर्त से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं करेगा। स्वायत्त संस्थानों के संबंध में, शासी निकाय पदों⁶⁵ के सृजन के अतिरिक्त, संबंधित मंत्रालय/ विभाग द्वारा प्रयुक्त शक्तियों की सीमा तक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) ने वर्तमान नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं भत्ते स्वीकृति किये, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

एम.ओ.एफ. ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) हेतु अनुमोदित पैटर्न के आधार पर वैज्ञानिकों (समूह IV) को प्रोत्साहन अर्थात् ₹ 2,000 प्रति माह⁶⁶ के

⁶⁵ एस. एण्ड टी. विभाग संस्थानों के अंतर्गत आर. एण्ड डी. स्वायत्त संस्थानों के प्रकार्यात्मक शासन की वृद्धि हेतु दिशानिर्देशों पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का का.जा. सं. ए.आई./एम.आई.एस.सी./002/98 दिनांक 27 जनवरी 1999

⁶⁶ ₹ 18,400-22,400 के वेतनमान में वैज्ञानिकों (समूह IV) हेतु।

विशेष वेतन, दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि⁶⁷ तथा ₹ 5,000 प्रति वर्ष⁶⁸ के व्यावसायिक अद्यतन भत्ते (पी.यू.ए.) की स्वीकृति हेतु सी.एस.आई.आर. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रेषित (जनवरी 2001) किया। एम.ओ.एफ. का अनुमोदन, अन्य बातों के साथ-साथ, इस शर्त के अध्यक्षीन था कि प्रोत्साहन योजना के कारण अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ सी.एस.आई.आर. द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से प्राप्त किये जाएंगे। तदनुसार, सी.एस.आई.आर. के शासी निकाय ने समूह IV में वैज्ञानिकों को इन प्रोत्साहनों की स्वीकृति अनुमोदित (फरवरी 2001) की।

छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के समय, सी.एस.आई.आर. ने (नवंबर 2008) वैज्ञानिकों (समूह IV) को परिशोधित वेतन संरचना में उपर्युक्त प्रोत्साहनों की निरंतरता अनुमोदित की तथा विशेष वेतन की दरों को ₹ 4,000 प्रति माह तथा पी.यू.ए. को ₹ 10,000- 30,000 प्रति वर्ष⁶⁹ तक बढ़ा दिया। सातवे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के उपरांत आगे कोई परिशोधन नहीं किया गया था। वर्ष 2009-10 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान, सी.एस.आई.आर. मुख्यालय एवं इसकी 40 प्रयोगशालाओं ने अपने वैज्ञानिकों (समूह IV) को पी.यू.ए. के भुगतान के प्रति ₹ 54.60 करोड़ की राशि का व्यय किया। विशेष वेतन और दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों पर किया गया व्यय सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में उपलब्ध नहीं था, क्योंकि इन्हें संबंधित प्रयोगशालाओं के वेतन शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.आर.डी.ओ. द्वारा अपने वैज्ञानिकों के लिए जारी किये गये समान आदेशों पर आधारित छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं (2008) के पश्चात् परिशोधित वेतन संरचना के अंतर्गत सी.एस.आई.आर. ने प्रोत्साहनों को अनुमोदन प्रदान किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.आर.डी.ओ. ने अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभागों के साथ इन प्रोत्साहनों की निरंतरता हेतु विशेष रूप से एम.ओ.एफ. का अनुमोदन मांगा था तथा एम.ओ.एफ. ने केवल इन्हीं विभागों को यह स्वीकृति प्रदान की थी। सी.एस.आई.आर. ने एम.ओ.एफ. का अनुमोदन प्राप्त किये बिना परिशोधित

⁶⁷ वैज्ञानिकों (समूह IV) को उनके सामान्य वेतन निर्धारण के उपरांत ₹ 10,000-15,200, ₹ 12,000-16,500, ₹ 14,300-18,300 एवं ₹ 16,400-20,000 के वेतनमान में।

⁶⁸ सभी वैज्ञानिकों (समूह IV) हेतु।

⁶⁹ ₹ 5,400, ₹ 6,600 और ₹ 7,600 के ग्रेड वेतन सहित पी.बी.-3 में वैज्ञानिकों के लिए ₹ 10,000 प्रति वर्ष; ₹ 8,700 और ₹ 8,900 के ग्रेड वेतन सहित पी.बी.-4 में वैज्ञानिकों के लिए ₹ 20,000 प्रति वर्ष; ₹ 10,000 और ₹ 12,000 और इससे अधिक के ग्रेड वेतन सहित पी.बी.-4 में वैज्ञानिकों के लिए ₹ 30,000 प्रति वर्ष

वेतन संरचना के अंतर्गत इन प्रोत्साहनों को अंगीकार किया था, जोकि वर्तमान नियमावली का उल्लंघन था, जिसका परिणाम प्रोत्साहनों की अनियमित स्वीकृति के रूप में हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इन प्रोत्साहनों के प्रति सी.एस.आई.आर. द्वारा किया गया व्यय सी.एस.आई.आर. के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त नहीं किया गया था, परंतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से प्रभारित किया गया था।

सी.एस.आई.आर. ने कहा (जुलाई 2021) कि सी.एस.आई.आर. ने अपने वैज्ञानिकों को डी.आर.डी.ओ. के पैटर्न पर तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उचित अनुमोदन सहित व्यावसायिक अद्यतन भत्ते का भुगतान किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एम.ओ.एफ. द्वारा प्रोत्साहनों को विशेष रूप से डी.आर.डी.ओ. और अंतरिक्ष एवं आणविक ऊर्जा विभागों हेतु अनुमोदित किया गया था तथा ये सी.एस.आई.आर. के लिए अनुप्रयोज्य नहीं थे। इस प्रकार, सी.एस.आई.आर. को इन प्रोत्साहनों के प्रति कर्मचारियों को भुगतान की गयी राशि की वसूली की आवश्यकता है।

सी.एस.आई.आर. ने आगे कहा (नवंबर 2021) कि सी.एस.आई.आर. वैज्ञानिकों को व्यावसायिक अद्यतन भत्ते की परिशोधित दर के कार्यान्वयन से पूर्व सहमति एवं अनुमोदन हेतु एम.ओ.एफ. को नोट भेजेगा। इस पैरा को विभाग द्वारा (मार्च 2021) में जारी किया गया, हालांकि (मई 2022) तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

अध्याय - V

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

5.1 वनस्पति उद्यान योजना को सहायता

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एवं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.) के माध्यम से ₹ 48.07 करोड़ की लागत पर कार्यान्वित योजना 'वनस्पति उद्यान की सहायता (ए.बी.जी.)' संकटग्रस्त और स्थानिक पौधों के बाह्य स्थान संरक्षण और गुणन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी थी। लक्षित पौधों की प्रजातियों के गुणन ना होने के कारण, उन्हें पुनःपरिचय के लिए अन्य संगठनों को वितरित नहीं किया जा सका था। प्रमुख वनस्पति उद्यान और वनस्पति उद्यान एक दूसरे के साथ नेटवर्क नहीं बना सके और परिणामस्वरूप, उद्यान प्रजातियों के ज्ञान और विनिमय पौधों की सामग्री उत्पन्न करने में विफल रहे थे। इसके अलावा, संरक्षित पौधों की प्रजातियों को राज्य वन विभागों के सहयोग से प्राकृतिक आवासों में पुनर्वासित नहीं किया जा सका था। उद्यान भी प्रसार तकनीकों को विकसित करने में विफल रहे जिसने संरक्षण प्रयासों को प्रभावित किया था। इस प्रकार, ए.बी.जी. योजना के माध्यम से प्रजातियों के विलुप्त होने के संकट से बचने के लिए संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का उद्देश्य काफी हद तक अधूरा रह गया था।

5.1.1 योजना की पृष्ठभूमि और परिचय

मई 1992 में, संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) नैरोबी सम्मेलन में जैविक विविधता पर सम्मेलन (सी.बी.डी.) को अपनाया गया था। यह सम्मेलन मानव गतिविधियों के कारण जैविक संसाधनों के विलुप्त होने और इसके संरक्षण, सतत उपयोग और वैश्विक संपत्ति के रूप में जैविक विविधता की मान्यता की आवश्यकता के बारे में बढ़ती चिंता के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में था। 05 जून 1992 को, भारत सी.बी.डी. का एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया, जो 29 दिसंबर 1993 को प्रभावी हुआ था। जैविक विविधता के संरक्षण के

उद्देश्य से, भारत सरकार प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई.यू.सी.एन.)⁷⁰ के दिशानिर्देशों के अनुसार विलुप्त प्रजातियों के डाटाबेस की पहचान और रखरखाव करती है।

सी.बी.डी. के अनुच्छेद 6 के अनुसार, हस्ताक्षरकर्ता देश जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियों, योजनाओं या कार्यक्रमों का विकास करेंगे या मौजूदा कार्यनीतियों, योजनाओं या कार्यक्रमों को अनुकूलित करेंगे। इसके अलावा, अनुच्छेद 9 में परिकल्पित है कि सरकारों को पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों पर अनुसंधान के लिए सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव करना है और प्राकृतिक आवासों में उनके पुनः परिचय के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों को पुनर्प्राप्त और पुनरोपण करना है। अनुच्छेद 9 में यह भी परिकल्पित है कि सरकारों को प्राकृतिक आवासों से जैविक संसाधनों के संग्रह को नियंत्रित और प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि बाह्य स्थान⁷¹ संरक्षण उद्देश्यों के लिए पारिस्थितिक तंत्र और स्वस्थानी⁷² प्रजातियों की आबादी को खतरा न हो।

1992⁷³ में "वनस्पति उद्यान की सहायता(ए.बी.जी.)" की एक योजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य वनस्पति उद्यान (बी.जी.) के नेटवर्क और बाह्य स्थान संरक्षण के केंद्रों के माध्यम से संकटग्रस्त वाले और स्थानिक पौधों के बाह्य स्थान संरक्षण और प्रचार⁷⁴ को बढ़ावा देना था। ए.बी.जी. योजना के मूल दिशा-निर्देश जुलाई 2007 में जारी किए गए थे। इसके बाद, मई 2013 में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया था, जिसमें संकटग्रस्त वाले पौधों के बाह्य स्थान संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया गया

⁷⁰ आई.यू.सी.एन. 5 अक्टूबर 1948 को स्थापित किया गया था। पहले वैश्विक पर्यावरण संघ के रूप में, यह प्रकृति की रक्षा के लिए एक साझा लक्ष्य के साथ सरकारों और नागरिक समाज संगठनों को एक साथ लाया। आई.यू.सी.एन. प्रजातियों को उनके विलुप्त होने/संरक्षण की स्थिति के आधार पर विलुप्त (ई.एक्स.), जंगली में विलुप्त (ई.डब्ल्यू.), गंभीर रूप से लुप्तप्राय (सीआर), लुप्तप्राय (ई.एन.), कमजोर (वीयू), निकट संकटग्रस्त (एन.टी.), कम से कम चिंतित (एल.सी.), डाटा की कमी (डी.डी.) और मूल्यांकन नहीं (एन.ई.) के रूप में वर्गीकृत करता है।

⁷¹ बाह्य स्थान संरक्षण एक 'ऑफ साइट' संरक्षण नीति है जिसमें एक उद्देश्य प्रजाति के हस्तांतरण को जोड़ने वाली कुछ तकनीकों को शामिल किया गया है, विभिन्न खतरों का सामना करते हुए, अपने मूल आवास से दूर एक अधिक सुरक्षित निवास के लिए, जैसे वनस्पति उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन, बीज बैंक या जीन बैंक आदि।

⁷² स्वस्थानी संरक्षण पौधों या जानवरों की प्रजातियों की प्राकृतिक आबादी में साइट पर संरक्षण या आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण है।

⁷³ योजना 1992 में शुरू की गई थी और इस योजना के दिशानिर्देश मई 2013 में संशोधित किए गए थे, जो सी.बी.डी. के संदर्भ में है।

⁷⁴ बागवानी प्रथाओं में पौधों का नियंत्रित स्थायीकरण। इसके दो उद्देश्य संख्या में वृद्धि प्राप्त करना और पौधे की आवश्यक विशेषताओं को संरक्षित करना है।

था। संशोधित दिशानिर्देश सी.बी.डी. के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के मद्देनजर जैव विविधता संरक्षण के महत्व पर जोर देते हैं। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) द्वारा लागू किया जाना था, जो भारत सरकार के तहत प्रशासनिक संरचना में नोडल अभिकरण है, जो भारत की पर्यावरण और वानिकी नीतियों और कार्यक्रम के नियोजन, प्रचार, समन्वय और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए है।

वनस्पति उद्यान की सहायता (ए.बी.जी.) योजना के तहत, लोकप्रिय बागवानी या विषयगत उद्यानों⁷⁵ में 12^{वीं} पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरे देश में और इस तरह देश के 40 प्रतिशत नागरिक जिलों को कवर करके वनस्पति उद्यान/वनस्पति वर्गों के एक नेटवर्क की कल्पना की गई थी। इस योजना के माध्यम से विभिन्न वनस्पति उद्यानों को निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ वनस्पति उद्यान (बी.जी.) और बाह्य स्थान संरक्षण के केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश के संकटग्रस्त और स्थानिक पौधों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी:

- संकटग्रस्त और स्थानिक⁷⁶ पौधों का बाह्य स्थान संरक्षण और गुणन
- बीज बैंकों (अल्पकालिक), अर्बोरेटा⁷⁷ और धुंध प्रसार सुविधाओं⁷⁸ की स्थापना
- राज्य वन विभागों के सहयोग से प्राकृतिक आवासों में उक्त पौधों का पुनरुत्पादन और पुनर्पण।

मंत्रालय ने दिसंबर 2012 में निर्णय लिया कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.)⁷⁹ "वनस्पति उद्यान को सहायता" योजना के लिए कार्यान्वयन अभिकरण होगी। कोलकाता

⁷⁵ विषयगत उद्यान अद्वितीय स्थान हैं जहां सभी तत्व एक ही उद्देश्य का समर्थन करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह एक बगीचा है जहाँ हर पौधा एक विशेष विषय में फिट बैठता है। योजना के तहत कुल 279 उद्यान हैं, जिन्हें नेटवर्क बनाकर बाह्य स्थान संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2021 तक वित्तीय सहायता दी गई थी।

⁷⁶ स्थानिक प्रजातियां वे पौधे हैं जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं

⁷⁷ बोटेनिकल संग्रह विशेष रूप से या बहुत बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों से बना है।

⁷⁸ धुंध का प्रसार, कटिंग और अंकुरित अंकुरों को जड़ने का पेशेवर तरीका है। एक गर्म जड़ प्रणाली के लिए नीचे की गर्मी के साथ संयुक्त, धुंध प्रसार पौधों की पत्तियों को ठंडा और नम रखता है।

⁷⁹ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को देश के संयंत्र संसाधनों की खोज और आर्थिक गुणों के साथ पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के उद्देश्य से 1890 में स्थापित किया गया था। 1954 में, सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ बी.एस.आई. का पुनर्गठन किया: (1) गहन पुष्प सर्वेक्षण करना और देश में पौधों की घटना, वितरण, पारिस्थितिकी और आर्थिक उपयोगिता पर सटीक और विस्तृत जानकारी एकत्र करना; (2) शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए उपयोगी सामग्री का संग्रह, पहचान और वितरण; और (3) सुनियोजित हर्बरिया में प्रामाणिक संग्रह के संरक्षक के रूप में कार्य करना और स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय वनस्पतियों के रूप में पौधों के संसाधनों का दस्तावेजीकरण करना।

में मुख्यालय के अलावा, ईटानगर, शिलांग, गंगटोक, इलाहाबाद, सोलन, देहरादून, जोधपुर, पुणे, हैदराबाद, कोयंबटूर और पोर्ट ब्लेयर में 11 परिमंडल कार्यालय हैं।

योजना के प्रारंभ से (1991-92) मार्च 2021 तक कुल स्वीकृत राशि ₹ 48.07 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 10.07 करोड़ 2013 के बाद वितरित किए गए थे। हालांकि, बी.एस.आई. द्वारा उक्त अवधि के दौरान किए गए व्यय की राशि को प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। बी.एस.आई. के 279 वनस्पति उद्यानों के साथ-साथ अन्य उद्यानों और अन्य संगठनों के तहत कार्य करने वाले केंद्रों को अनुदान दिया गया था, जो मार्च 2021 से बाह्य स्थान संरक्षण के लिए काम कर रहे थे। 279 वनस्पति उद्यान और केंद्र जिन्हें अनुदान मिला, उनमें से 20⁸⁰ प्रमुख वनस्पति उद्यान (एल.बी.जी.) थे जो प्रत्येक फाइटो-भौगोलिक⁸¹ क्षेत्र में संस्थानों/संगठनों से जुड़े हुए थे। जबकि वनस्पति उद्यान (बी.जी.) थ्रेशोल्ड क्षेत्र⁸² के साथ विभिन्न संगठनों जैसे विश्वविद्यालयों, टाउन प्लानिंग प्राधिकारियों, एन.जी.ओ. आदि द्वारा बनाए गए उद्यान हैं, लीड वनस्पति उद्यान (एल.बी.जी.) वे उद्यान हैं जो संलग्न प्रयोगशाला सुविधाओं और देश के क्षेत्रों में विभिन्न फाइटो - भौगोलिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं। इन एल.बी.जी. की भूमिका देश के विभिन्न पादप - भौगोलिक क्षेत्रों की संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में एक रेफरल केंद्र और एक मॉडल के रूप में कार्य करना है।

5.1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

योजना की सफल उपलब्धि और उसके उद्देश्यों को देखने के लिए, लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित का आकलन करना था:

- ❖ परियोजनाओं के निष्पादन में नियोजन की पर्याप्तता ।
- ❖ परियोजनाओं के निष्पादन की एक कुशल प्रणाली की मौजूदगी ।
- ❖ निगरानी प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावकारिता ।
- ❖ परियोजना के उद्देश्यों, आउटपुट और परिणामों की उपलब्धियां ।

⁸⁰ जैसा कि लेखापरीक्षा में पाया गया। हालांकि बी.एस.आई. ने कुल प्रमुख वनस्पति उद्यानों की संख्या 19 सूचित की थी, अभिलेखों के अनुसार प्रमुख वनस्पति उद्यानों की संख्या 20 पाई गई थी। रिकॉर्ड में प्रमुख वनस्पति उद्यान पलिकुला निसाग्र धमा सोसाइटी साइंस सेंटर, मैंगलोर को अतिरिक्त पाया गया।

⁸¹ पौधों की प्रजातियों के भौगोलिक वितरण और पृथ्वी की सतह पर उनके प्रभाव से संबंधित क्षेत्र

⁸² 2 एकड़ का न्यूनतम क्षेत्र, अधिमानतः 5 एकड़ और उससे अधिक आकार का।

5.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

चूंकि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.) दिसंबर 2012 में सहायता अनुदान योजना "वनस्पति उद्यान को सहायता" के लिए कार्यान्वयन अभिकरण बन गया था, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 2012-13 से 2020-21 की अवधि के दौरान की गई परियोजनाओं की जांच शामिल थी।

5.1.4 लेखापरीक्षा नमूना

पांच⁸³ प्रमुख वनस्पति उद्यान (एल.बी.जी.) यानी कुल 20 प्रमुख वनस्पति उद्यानों में से 25 प्रतिशत को लेखापरीक्षा के लिए नमूने के रूप में चुना गया था। पांच चयनित एल.बी.जी. में से, कोयंबटूर और शिलांग में स्थित दो एल.बी.जी. भी बी.एस.आई. के क्षेत्रीय केंद्र थे। बी.एस.आई., शुष्क क्षेत्र क्षेत्रीय केंद्र, जोधपुर (बी.एस.आई.-ए.जेड.आर.सी.) को भी भारत के पश्चिमी क्षेत्र को कवर करने के लिए लेखापरीक्षा नमूने में चुना गया था, हालांकि बी.एस.आई.-ए.जेड.आर.सी. एक वनस्पति उद्यान था (प्रमुख वनस्पति उद्यान नहीं)।

इसके अलावा, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने 2012 से 23 वनस्पति उद्यानों (बी.एस.आई.-ए.जेड.आर.सी., जोधपुर सहित) को भी धनराशि वितरित की थी। लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए 23 वनस्पति उद्यानों (बी.एस.आई.-ए.जेड.आर.सी., जोधपुर सहित) में से 12 का चयन किया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में कुल 12 वनस्पति उद्यान और 5 एल.बी.जी. के अभिलेखों की जांच की गई थी।

5.1.5 लेखापरीक्षा पद्धति

(i) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/प्रमुख वनस्पति उद्यान से अभिलेखों के संग्रहण हेतु लेखापरीक्षा मांगपत्र जारी करके।

⁸³ पांच चयनित एल.बी.जी. हैं: (i) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, रांची (पूर्वी क्षेत्र) के प्रशासन नियंत्रण के तहत वन उत्पादकता संस्थान (आई.एफ.पी.), (ii) बी.एस.आई., दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र, कोयंबटूर (दक्षिणी क्षेत्र) (बी.एस.आई.-एस.आर.सी.), (iii) हिमालय जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर (उत्तरी क्षेत्र) (आई.एच.बी.टी.) केंद्रीय औद्योगिक और अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, (iv) बी.एस.आई., पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, शिलांग (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र), (v) सी.एस.आई.आर. के तहत राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (मध्य क्षेत्र)।

(ii) मंजूरी, बुनियादी ढांचे के निर्माण, संरक्षण/गुणा, रेड डाटा शीट्स⁸⁴, वन विभाग/अन्य संगठन के साथ पुनर्रोपण/दस्तावेजों के प्रकाशन आदि से संबंधित अभिलेखों की जांच करना।

(iii) उपरोक्त छह क्षेत्रीय इकाइयों में प्रसार के क्षेत्र और उन स्थलों का भौतिक सत्यापन जहां बुनियादी संरचना का निर्माण किया गया था।

5.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्यों के आधार पर, योजना, निष्पादन, निगरानी और परिणाम के क्षेत्र में लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों पर निम्नलिखित लेखापरीक्षा पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.1.6.1 परियोजनाओं के निष्पादन में नियोजन की पर्याप्तता

5.1.6.1.ए अपर्याप्त परियोजना स्क्रीनिंग तंत्र

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के दिसंबर 2012 में यह निर्णय लेने के बाद कि बी.एस.आई. योजना के लिए कार्यान्वयन अभिकरण होगा, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा बी.एस.आई. को धनराशि स्वीकृत और जारी की गई थी। बी.एस.आई. इन निधियों को एल.बी.जी./बी.जी. को बाह्य स्थान संरक्षण और लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों के सर्वेक्षण, मौजूदा उद्यानों में बाड़ लगाने, सिंचाई, ग्रीन/ग्लास हाउस जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए परियोजनाओं को लेने के लिए जारी करेगा। योजना के कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में, बी.एस.आई. को परियोजना प्रस्तावों की प्रारंभिक संविक्षा और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधि जारी करना सुनिश्चित करना था। योजना दिशानिर्देशों (मई 2013) के अनुसार, बी.एस.आई. की जिम्मेदारियां थीं:

- परियोजना प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच के लिए एल.बी.जी./बी.जी. से परियोजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त करें और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित गतिविधियों को करने के लिए एल.बी.जी./बी.जी. को सक्षमता/बुनियादी ढांचे आदि के संदर्भ में जांचना।

⁸⁴ रेड डाटा बुक एक सार्वजनिक दस्तावेज है जो लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों के पौधों, जानवरों, कवक के साथ-साथ कुछ स्थानीय उप-प्रजातियों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हैं।

- स्वीकृत परियोजना के लिए धनराशि जारी करने से पहले एल.बी.जी./बी.जी. की कार्य योजना की तकनीकी जांच करना। कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए बजट अनुमानों के साथ कार्य योजना के साथ होना था।
- मूल्यांकन और अनुशांसा के लिए प्रस्ताव को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के विशेषज्ञ समूह (ई.जी.) के समक्ष रखना।

एल.बी.जी./बी.जी. द्वारा कार्य योजना में विशेषज्ञ समूह की अनुशांसाओं को शामिल किया जाना था तथा एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. की सहमति और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बी.एस.आई. के माध्यम से एल.बी.जी./बी.जी. को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के समक्ष अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने 12 बी.जी. के अभिलेखों की जांच की और निम्नलिखित पाया:

- 12 बी.जी. में से, 4⁸⁵ उद्यानों के संबंध में परियोजना प्रस्ताव दिशानिर्देशों के उल्लंघन में बी.एस.आई. के माध्यम के बिना सीधे तौर पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार, इन चार मामलों में, बी.एस.आई./ई.जी. द्वारा कार्य योजना की पर्याप्तता पर कोई निरीक्षण नहीं किया जा सका था।
- योजना के दिशा-निर्देशों में यह परिकल्पित था कि बीजी, जिनका स्वदेशी, विशेष रूप से संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण और प्रसार में ट्रैक रिकॉर्ड साबित हुआ है, को प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 उद्यानों में से केवल 7⁸⁶ उद्यानों के संबंध में भौतिक सत्यापन/निरीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, 7 उद्यानों में से केवल 4⁸⁷ उद्यानों के निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे। इन भौतिक सत्यापन/निरीक्षण रिपोर्टों की संवीक्षा से पता चला कि सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के सत्यापन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। यह इंगित करता है कि सामान्य रूप से साबित ट्रैक रिकॉर्ड के पहलू को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया था।

⁸⁵ 1. बी.एस.आई., शुष्क क्षेत्र क्षेत्रीय केंद्र, जोधपुर (बी.एस.आई., ए.जेड.आर.सी.), 2. महाराष्ट्र उदयगिरि महाविद्यालय, 3. औषधीय पौधों के संरक्षण और संसाधन विकास के लिए सोसायटी, अशोक विहार और 4. सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (सी.पी.एम.बी.)

⁸⁶ 1. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (जी.एन.डी.यू.), 2. संभागीय वन अधिकारी, कोटगढ़ वन रेंज, 3. नैनीताल में हिमालयी वनस्पति उद्यान, कुमाऊं विश्वविद्यालय, 4. मॉडर्न कॉलेज, नागालैंड, 5. पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा, 6. उदयगिरि महाविद्यालय, महाराष्ट्र, और 7. केरल वन अनुसंधान संस्थान

⁸⁷ 1. नैनीताल में हिमालयी वनस्पति उद्यान, कुमाऊं विश्वविद्यालय, 2. केरल वन अनुसंधान संस्थान, 3. मॉडर्न कॉलेज, नागालैंड और 4. संभागीय वन अधिकारी, कोटगढ़ वन रेंज

- कार्य योजना पर तकनीकी संविधा के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि बी.एस.आई. द्वारा बी.जी. की कार्य योजनाओं की कोई तकनीकी संविधा नहीं की गई थी। हालांकि, बी.एस.आई. ने बताया कि उसने बजट अनुमानों की तकनीकी संविधा और पुनरीक्षण किया था। बी.एस.आई. ने यह भी बताया कि यह मंत्रालय के परामर्श से किया गया था। हालांकि, बी.एस.आई. इस संबंध में सहायक दस्तावेज पेश करने में विफल रहा था। लेखापरीक्षा ने एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के अभिलेखों की भी जांच की जहां यह पाया गया कि 12 उद्यानों में से, 8⁸⁸ उद्यानों के संबंध में बी.एस.आई. द्वारा बजट अनुमानों की जांच की गई थी, लेकिन कार्य योजना पर तकनीकी जांच के संचालन का कोई सबूत नहीं मिला था।

इस प्रकार, चार मामलों में बी.एस.आई. के पास परियोजना के प्रस्तावों की जांच करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। किसी भी मामले में बजटीय अनुमान के साथ कार्य योजना की जांच नहीं की गई थी। स्वदेशी, विशेष रूप से लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों के उद्यान के संरक्षण और प्रसार के लिए सक्षमता पर साबित ट्रैक रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति को भी बी.एस.आई. द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, अनुदान स्वीकृत करने से पहले, प्रभावी ढंग से जांच नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने जनवरी 2022 में बताया कि स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट, बजट अनुमान, कार्य योजना और उनकी निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए टिप्पणियों को भविष्य की परियोजनाओं में गंभीरता से लिया जाएगा।

5.1.6.1.बी नेटवर्क बनाने में अपर्याप्त योजना

ए.बी.जी. योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद, वनस्पति उद्यान (बी.जी.) को आर.ई.टी.⁸⁹ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण, गुणन और

⁸⁸ 1. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (जी.एन.डी.यू.) 2. संभागीय वन अधिकारी, कोटगढ़ वन परिक्षेत्र, 3. नैनीताल में हिमालयी वनस्पति उद्यान, कुमाऊं विश्वविद्यालय, 4. मॉडर्न कॉलेज, नागालैंड, 5. पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा, 6. एन.आर.सी., देहरादून, 7. केरल वन अनुसंधान संस्थान, और 8. बी.एस.आई., ए.जेड.आर.सी., जोधपुर

⁸⁹ प्रारंभ में आर.ई.टी. को दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में वर्णित किया गया था। संकटग्रस्त प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए, आई.यू.सी.एन. (प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ) ने भौगोलिक सीमा, जनसंख्या और विखंडन के आधार पर श्रेणियों को अद्यतन किया था। रेड डाटा बुक्स और रेड लिस्ट में अब उपयोग की जाने वाली संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं (तत्काल भविष्य में जंगल में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है), लुप्तप्राय (गंभीर नहीं, लेकिन निकट भविष्य में जंगल में विलुप्त होने के बहुत उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है) और कमजोर

संबंधित राज्य वन विभाग और एल.बी.जी. के साथ समन्वय सुनिश्चित करना था ताकि आर.ई.टी. प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सफल पुनरोपण किया जा सके। एल.बी.जी. नोडल अभिकरणों के रूप में काम करेंगे और बी.जी. के साथ आर.ई.टी. प्रजातियों के ज्ञान और पौधों की सामग्री का आदान-प्रदान करने और ऐसी पौधों की प्रजातियों की आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित करने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा, दिशानिर्देशों ने यह भी निर्धारित किया कि एल.बी.जी. और बी.जी. के बीच का नेटवर्क 2017 के अंत तक यानी 12^{वीं} पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक देश के लगभग 40 प्रतिशत नागरिक जिलों को कवर करेगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बी.जी. और एल.बी.जी. को एक साथ मिलकर एक नेटवर्क का निर्माण करना था, लेखापरीक्षा ने पाया कि दो संस्थाओं के बीच कोई औपचारिक समझौता/एम.ओ.यू. नहीं था जो भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और समय-सीमा को परिभाषित करता था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि योजना के तहत वित्त पोषित बी.जी. की गतिविधियों से संबंधित जानकारी संबंधित एल.बी.जी. के पास उपलब्ध नहीं थी। यह इंगित करता है कि एल.बी.जी. नोडल संस्थान के रूप में कार्य करने में विफल रहे और बी.जी. के साथ नेटवर्क स्थापित नहीं कर सके। यह इस तथ्य के बावजूद था कि ज्ञान सृजन गतिविधि के संदर्भ में एक नेटवर्क का गठन बाह्य स्थान संरक्षण के अंतिम प्रबंधन उद्देश्य से जुड़ा था। एल.बी.जी. द्वारा बी.जी. की कोई निगरानी भी नहीं की गई थी, जिसके विवरण की चर्चा पैराग्राफ 5.1.6.3 में की गई है। अक्टूबर 2021 तक, केवल कुल 724 जिलों में से 150 यानी सिर्फ 21 प्रतिशत नागरिक जिले इस योजना के तहत कवर किए जा सके थे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह योजना देश के विभिन्न पादप-भौगोलिक क्षेत्रों की संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में बी.जी. के नेटवर्क का विस्तार नहीं कर सकी थी।

मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि कम बजट प्रावधान, उपयुक्त जनशक्ति की कमी, संरक्षण कार्यक्रम से निपटने वाले विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञों की कमी, मेजबान संस्थानों में स्थायी सुविधा और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण जिलों के कम कवरेज को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उत्तर से, यह ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय खुद सुनिश्चित नहीं है कि जमीन पर क्या हो रहा था।

(गंभीर या संकटग्रस्त नहीं बल्कि मध्यम अवधि के भविष्य में जंगल में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है)

हालांकि, तथ्य यह है कि एल.बी.जी. और अन्य वनस्पति उद्यानों के बीच एक औपचारिक नेटवर्क के न होने के कारण, एल.बी.जी. विभिन्न संकटग्रस्त फाइटो-आईडेंटिफाईड और संकटग्रस्त स्थानिक प्रजातियों और स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में एक रेफरल केंद्र के रूप में काम नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, बी.जी. के साथ आर.ई.टी. प्रजातियों के ज्ञान और पौधों की सामग्री का आदान-प्रदान करने और ऐसी पौधों की प्रजातियों की आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने जनवरी 2022 में बताया कि भविष्य में यह सुनिश्चित करेगा कि बाह्य स्थान संरक्षण के प्रबंधन उद्देश्यों के बेहतर निष्पादन के लिए वनस्पति उद्यान और प्रमुख वनस्पति उद्यान के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा।

5.1.6.2 परियोजनाओं के निष्पादन की एक कुशल प्रणाली की मौजूदगी

बी.एस.आई. प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना था कि वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, संचालन की प्रभावशीलता और दक्षता और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए नियंत्रण मौजूद थे। हमने निम्नलिखित मामले पाए जो आंतरिक नियंत्रणों की कमी, परियोजनाओं के अनुचित निष्पादन और परियोजनाओं की अनियमित स्वीकृति को दर्शाते हैं:

5.1.6.2.ए आंतरिक नियंत्रण के अभाव के कारण निधि का दुर्विनियोजन

हमने लेखापरीक्षा के दौरान वनस्पति उद्यान के संबंध में तीन मामले पाए जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की जांच के अधीन थे जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

तालिका 5.1 आंतरिक नियंत्रण के अभाव के कारण निधि का दुर्विनियोजन

क्र. सं.	उद्यान का नाम	परियोजना का शीर्षक	स्वीकृत लागत (₹ में)	अनियमितता
1.	बी.एस.आई., डब्ल्यू.आर.सी., पुणे	"वनस्पति उद्यान के बाह्य स्थान संरक्षण के माध्यम से पश्चिमी घाट के स्वदेशी संकटग्रस्त और	14.66 लाख	यद्यपि, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के स्वीकृति आदेश में परियोजना हेतु बी.एस.आई. डब्ल्यू.आर.सी. पुणे का उल्लेख किया गया था, भुगतान "वनस्पति उद्यान के ई-नेटवर्क का विकास" नामक एक

क्र. सं.	उद्यान का नाम	परियोजना का शीर्षक	स्वीकृत लागत (₹ में)	अनियमितता
		स्थानिक पौधों के वृक्षारोपण का विकास"		काल्पनिक परियोजना के खाते में पारित किया गया था। निधि बी.एस.आई., डब्ल्यू.आर.सी. पुणे द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी और इस प्रकार इसका दुरुपयोग किया गया था।
2.	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	उत्तराखंड के नैनीताल में हिमालयी वनस्पति उद्यान में दुर्लभ, स्थानिक और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों का संरक्षण, प्रसार और पुनर्वास"	40.96 लाख	2019-20 के दौरान अनुदान की अव्ययित राशि पर ₹ 0.33 लाख का बैंक ब्याज उत्पन्न हुआ। ब्याज "वेतन और खाता कार्यालय, बी.एस.आई./जेड.एस.आई." के अधिकृत खाते के बजाय एक काल्पनिक खाते "डी.डी.ओ., बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया" में भेज दिया गया था।
3.	सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सी.पी.एम.बी.), उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	"सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सी.पी.एम.बी.), उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वनस्पति उद्यान में सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन"	34.80 लाख	अनुपयोगी अनुदान पर ₹ 26.79 लाख का अर्जित ब्याज फर्जी खाते "डी.डी.ओ., बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वापस किया गया था, हालांकि डी.डी.ओ., बी.एस.आई. के नाम पर डी.डी.ओ., के रूप में कोई खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं था। बी.एस.आई. एक गैर- चेक ड्राइंग डी.डी.ओ. था।

मंत्रालय ने जनवरी 2022 में उत्तर दिया कि एक विभागीय जांच की गई थी और आरोप पूरी तरह से साबित हो गए थे। मंत्रालय ने बताया कि एक एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थी और मामले की जांच जासूसी विभाग, बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा की जा रही थी।

तथापि, दुर्विनियोजन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान प्रबंधन द्वारा पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

5.1.6.2.बी परियोजनाओं की अनियमित स्वीकृति

संभागीय वन अधिकारी, कोटगढ़ वन प्रभाग⁹⁰, हिमाचल प्रदेश ने ए.बी.जी. योजना के तहत जुलाई 2018 में “कुमारसैन रेंज, कोटगढ़ वन प्रभाग में ओड्डी में वनस्पति उद्यान की स्थापना” शीर्षक से एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत ₹ 85.00 लाख थी। यद्यपि परियोजना के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख आर.ई.टी. पादपो के बाह्य स्थान संरक्षण और गुणन, बीज बैंकों की स्थापना, मौजूदा वनस्पति उद्यान के सुधार और सुदृढीकरण आदि के रूप में किया गया था। प्रस्ताव में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास जैसे बाड़ लगाना, भवन संरचना जैसे गेट, ग्लास हाउस, शौचालय, टोपायरी, साइनेज, उद्यान उपकरण की खरीद, जनशक्ति आदि विवरण शामिल थे। परियोजना के तहत की जाने वाली गतिविधियों के विवरण में बाह्य खदान संरक्षण, आर.ई.टी. के गुणन, बीज बैंक की स्थापना आदि जैसे मुद्दों से संबंधित कोई भी गतिविधि शामिल नहीं थी। इसके बावजूद, विशेषज्ञ समूह (ई.जी.) ने जुलाई 2018 में हुई अपनी बैठक में ₹ 79.00 लाख की लागत से परियोजना को मंजूरी दी थी। यह इंगित करता है कि विशेषज्ञ समूह ने ए.बी.जी. योजना के तहत मंजूरी के लिए गतिविधियों की अनुशंसा करने से पहले प्राप्तकर्ता उद्यानों के लिए पात्रता मानदंड की पहचान नहीं की और न ही स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध की थी।

मंत्रालय ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2022) कि भविष्य में ऐसी मंजूरी को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे और प्रस्तावों की समीक्षात्मक जांच के लिए आंतरिक जांच समिति का गठन किया जाएगा।

5.1.6.3 एल.बी.जी. द्वारा निगरानी की पर्याप्तता और प्रभावकारिता

योजना के दिशा-निर्देशों (मई 2013) के अनुसार, बी.एस.आई. का कर्तव्य था वह कि एल.बी.जी. के माध्यम से निगरानी और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा सुनिश्चित करें और सृजित सुविधाओं, संरक्षित/पुनर्वासित और जीवित रहने के लिए सृजित सुविधाओं की संख्या को भौतिक रूप से सत्यापित करें और फिर वार्षिक समीक्षा के

⁹⁰ उन 279 उद्यानों में से एक जिन्हें ए.बी.जी. योजना के तहत वित्तीय सहायता दी गई थी। कोटगढ़ वन प्रभाग एक वनस्पति उद्यान (बी.जी.) है।

लिए विशेषज्ञ समूह को प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपरोक्त संबंध में, लेखापरीक्षा ने बी.एस.आई. दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र कोयंबटूर (बी.एस.आई.-एस.आर.सी.), बी.एस.आई. पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र शिलांग (बी.एस.आई.-ई.आर.सी.) और बी.एस.आई. शुष्क क्षेत्र क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर (बी.एस.आई.-ए.जेड.आर.सी.) के अभिलेखों की जांच की थी। उपरोक्त संगठनों द्वारा समीक्षा और निगरानी पर टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

क) बी.एस.आई., एस.आर.सी., कोयंबटूर को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में अपने अधिकार क्षेत्र में अनुदान प्राप्त करने वाले 4⁹¹ उद्यानों की निगरानी करनी थी। परियोजनाओं में प्रस्तावित लक्ष्यों की प्रगति और उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किया जाना था। बी.एस.आई. एस.आर.सी. ने बताया कि उनके द्वारा 4 उद्यानों की भौतिक जांच की गई है और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तथापि, रिपोर्टों की संवीक्षा से पता चला कि चार उद्यानों में से केवल एक उद्यान के संबंध में निरीक्षण - केरल वन अनुसंधान संस्थान (के.एफ.आर.आई.) आयोजित किया गया था और वह भी 'के.एफ.आर.आई., उप केंद्र, नीलांबुर में टैक्सोनोमिक वनस्पति उद्यान' नामक एक अन्य परियोजना के लिए, जो ए.बी.जी. योजना का हिस्सा नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि के.एफ.आर.आई. ने 2018-2019 एवं 2020-2021 के दौरान क्रमशः ₹ 19.37 लाख और ₹ 4.25 लाख प्राप्त किए थे और अक्टूबर 2019 में प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट एक अन्य परियोजना से संबंधित थी जो योजना के दायरे में नहीं आती थी। इस प्रकार, बी.एस.आई., एस.आर.सी. न केवल अनुदान प्राप्त करने वाले चार उद्यानों की निगरानी करने में विफल रहे बल्कि उन्होंने अपनी भौतिक जांच में झूठे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे।

ख) बी.एस.आई., ई.आर.सी., शिलांग को असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में अपने अधिकार क्षेत्र में अनुदान प्राप्त करने वाले 2⁹² उद्यानों की निगरानी करनी थी। बी.एस.आई. ई.आर.सी. शिलांग ने बताया कि दो उद्यानों के संबंध में भौतिक जांच की थी और सहायक कागजात प्रस्तुत किए थे। उन अभिलेखों की जांच

⁹¹ 1) एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का गार्डन, वायानंद, केरल, 2) मालाबार वनस्पति उद्यान एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंस, कोझीकोड, केरल, 3) सदाकथुल्ला का प्रमुख वनस्पति उद्यान अप्पा कॉलेज, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु और 4) के.एफ.आर.आई. उप केंद्र, नीलांबुर, केरल के टैक्सोनोमिक वनस्पति उद्यान

⁹² 1. मॉडर्न कॉलेज, कोहिमा, नागालैंड और 2. फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्विसेज (एफ.ई.ई.डी.एस., मणिपुर)

से पता चला कि संरक्षित की गई लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों की संख्या और क्षेत्र में उनके जीवित रहने के साथ सृजित सुविधाओं की भौतिक जांच की बजाय, केवल प्रारंभिक निरीक्षण सह व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किया गया था जो कि अनुदान मंजूरी से पहले किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, बीएसआई ईआरसी शिलांग द्वारा गतिविधियों की कोई निगरानी नहीं की गई थी।

ग) बी.एस.आई., ए.जेड.आर.सी., जोधपुर को राजस्थान और गुजरात में अपने अधिकार क्षेत्र में अनुदान प्राप्त करने वाले 20 उद्यानों के संबंध में गतिविधियों की निगरानी करनी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बी.एस.आई. ए.जेड.आर.सी. जोधपुर द्वारा भी किसी उद्यान की निगरानी नहीं की गई थी। इंगित किए जाने पर, बी.एस.आई.-ए.जेड.आर.सी. ने अक्टूबर 2021 में बताया था कि उनके पास राजस्थान और गुजरात में उद्यानों के भौतिक सत्यापन और निगरानी के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था, जिन्हें योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था।

मंत्रालय ने जनवरी 2022 में बताया कि उनके पास सीमित जनशक्ति है और कभी-कभी वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत बगीचों का निरीक्षण करने के लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त करते हैं। तथापि, बी.एस.आई., एस.आर.सी., ई.आर.सी. और ए.जेड.आर.सी. तृतीय पक्षों द्वारा की गई निगरानी गतिविधियों के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि उद्यानों की निगरानी के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा दी गई टिप्पणियों को भविष्य की परियोजनाओं में गंभीरता से लिया जाएगा।

इस प्रकार, निगरानी एवं मूल्यांकन की कमी के कारण मंत्रालय द्वारा योजना के उद्देश्यों की उपलब्धि की सीमा का पता नहीं लगाया जा सका था।

5.1.6.4 एल.बी.जी. द्वारा परियोजना के उद्देश्यों, आउटपुट और परिणामों की प्राप्ति

योजना के दिशा-निर्देशों (मई 2013) के अनुसार, एल.बी.जी. को संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों को गुणन के माध्यम से संरक्षित करना था और बाद में उन्हें उनके प्राकृतिक आवासों में पुनर्वासित करना था। इस प्रकार, संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों के लिए पुनर्वासित/पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम करना सी.बी.डी. की प्रतिबद्धता को पूरा करने की प्राथमिक आवश्यकता थी। इससे संकटापन्न और स्थानिक प्रजातियों और उनके आवासों के स्वस्थान संरक्षण के साथ-साथ बाह्य-स्थान संरक्षण के बारे में जानकारी का निर्माण होगा।

इसके अलावा, एल.बी.जी. को संकटग्रस्त और स्थानिक पौधों के संसाधनों की निगरानी और प्रलेखन दोनों के लिए वानस्पतिक अनुसंधान करना था जिसके परिणामस्वरूप पौधों के लिए एक उत्कृष्ट रेफरल प्रणाली के रूप में प्रमाणित रूप से पहचान, वर्गीकृत और बगीचों में लाइव संग्रह और हर्बेरिया में सूखे संग्रह⁹³ के रूप में प्रदर्शित करना था।

5.1.6.4.ए लक्षित संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण न करना

5.1.6.4.ए.1 पश्चिमी घाट के अत्यधिक लुप्तप्राय पेड़ों की उच्च उत्पत्ति प्रजातियों को संरक्षित न किया जाना

जुलाई 2015 में प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति देते हुए, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बी.एस.आई. दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र कोयंबटूर (बी.एस.आई., एस.आर.सी.) के उच्च वर्ग उत्पत्ति⁹⁴ को एकत्र करने, संरक्षित करने और बनाए रखने का निर्देश दिया था। पश्चिमी घाट के पेड़ों की कम से कम 20 अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियों में से, योजना के तहत वैश्विक जैव विविधता के क हॉटस्पॉट स्थान का संग्रह, संरक्षण और रखरखाव करना था। परियोजना की लागत ₹ 99.83 लाख थी, जिसके प्रति सितम्बर 2021 तक ₹ 82.46 लाख का व्यय किया गया था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने जुलाई 2015 में 5 साल के लिए परियोजना को मंजूरी दी, जिसे जुलाई 2020 में पूरा किया जाना था। मंजूरी मिलने पर, बी.एस.आई. ने 24 पौधों की प्रजातियों में से पौधों की सूची और तथ्यों की सूची तैयार की थी। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

क) पौधों की सूची एवं तथ्य की सूची की जांच से पता चला कि बी.एस.आई., एस.आर.सी., कोयंबटूर ने मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में 24 प्रजातियों (3 पेड़, 20 जड़ी-बूटियों (ऑर्किड) और 1 झाड़ी) को संरक्षित करने का प्रस्ताव रखा, जो 'अत्यधिक संकटग्रस्त' प्रजातियां नहीं थीं। इस प्रकार, पश्चिमी घाट के पेड़ों की कम से कम 20 अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियों की कुलीन उत्पत्ति को इकट्ठा करने, संरक्षित करने और बनाए रखने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

⁹³ प्रेसड, संसाधित और माउंटिड नमूने

⁹⁴ उद्गम स्थान या किसी चीज के स्रोत को संदर्भित करता है – जैसे , एक संग्रह; एक प्रजाति, एक प्रजाति की आबादी वाला क्षेत्र जिसे अन्य आबादी से आनुवंशिक रूप से अलग माना जाता है। यह संरक्षण उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

मंत्रालय ने जनवरी 2022 में बताया कि पश्चिमी घाट की अत्यधिक लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों का संग्रह, संरक्षण और रखरखाव का लक्ष्य बी.एस.आई., एस.आर.सी. द्वारा प्राप्त किया गया था, लेकिन वह इसे प्रगति रिपोर्ट में शामिल करना भूल गया था। मंत्रालय हालांकि इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा था।

ख) प्रस्तावित 24 प्रजातियों में, बी.एस.आई., एस.आर.सी. ने ऑर्किड की केवल 12 प्रजातियों को एकत्र किया, 12 प्रजातियों को एकत्र किया जाना शेष रह गया। उस उद्यान का दौरा करते समय जिसमें उपरोक्त 12 प्रजातियों को संरक्षित बताया गया था, यह पाया गया कि 12 प्रजातियों में से केवल 10 प्रजातियों के लिए लेबल प्रदर्शित किए गए थे, जिनमें से 2 बिना किसी लेबल के थे। इस प्रकार, दो संरक्षित प्रजातियों के प्रमाणीकरण को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका था। मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई प्रासंगिक टिप्पणी नहीं की थी।

ग) 10 संरक्षित प्रजातियों में से, जांच से पता चला कि छह प्रजातियों के संबंध में हर्बेरियम सूची बी.एस.आई., एस.आर.सी. और हर्बेरियम सूची⁹⁵ में उपलब्ध थे जबकि शेष चार प्रजातियों के संबंध में उपलब्ध नहीं थे। ऑडिट जांच से पता चला कि उक्त छह प्रजातियों की हर्बेरियम सूची वर्ष 1964, 1969, 1972, 1980, 1990 के दौरान एकत्र की गई थी, जिससे संकेत मिलता है कि इन प्रजातियों को परियोजना के शुरू होने से बहुत पहले एकत्र किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया था।

5.1.6.4.ए.2 उच्च उत्पत्ति जैसे साइट्स, मूसा, रोडोडेंड्रोन, डायोस्कोरिया, टर्मरिक ऑफ नॉर्थ-ईस्ट एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जिसे संरक्षित नहीं किया गया है

बी.एस.आई. पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र शिलांग (बी.एस.आई.-ई.आर.सी.) ने दिसंबर 2014 में "वनस्पति उद्यान सहायता योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुर्लभ, लुप्तप्राय,

⁹⁵ कागज की चादरों पर लगे सूखे पौधे के नमूने का संग्रह। पौधों को आमतौर पर विशेषज्ञों द्वारा पहचाना जाता है, दबाया जाता है, और फिर ध्यान से अभिलेखीय कागज पर लगाया जाता है ताकि सभी प्रमुख रूपात्मक विशेषताएं दिखाई दें। माउंटिड पौधों को उनके उचित वैज्ञानिक नामों के साथ लेबल किया जाता है, कलेक्टर का नाम, और, आमतौर पर, वे कहाँ एकत्र किए गए थे और वे कैसे बढ़े और सामान्य टिप्पणियों के बारे में जानकारी। ये सूची तैयार संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं।

संकटग्रस्त (आर.ई.टी.), स्थानिक और आर्थिक पादपों की बाहरी बातचीत" शीर्षक परियोजना शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अपने प्रस्ताव में, बी.एस.आई., ई.आर.सी. ने 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 1.37 करोड़ की अनुमानित लागत पर 58 दुर्लभ, लुप्तप्राय, संकटग्रस्त और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रस्ताव रखा था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने प्रस्ताव की जांच करते हुए निर्णय लिया कि चूंकि शिलांग में वनस्पति उद्यान के पास इसके निपटान में पर्याप्त भूमि थी, इसलिए बी.एस.आई. को पांच विशिष्ट उद्गमों जैसे (i) साइट्रस, (ii) मूसा प्रजाति, (iii) रोडोडेंड्रोन, (iv) डायोस्कोरिया प्रजातियां और (v) हल्दी को इकट्ठा करने, संरक्षित करने और बनाए रखने की एक आसन्न आवश्यकता थी ताकि प्रजनकों को जीन पूल से नए रोग/कीट प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली किस्में प्राप्त हो सकें। हालांकि, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने इन पांच कुलीन उद्गमों के तहत प्रजातियों की संख्या में लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किया था।

मंत्रालय ने जुलाई 2015 में ₹ 1.31 करोड़ के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और मंजूरी दी थी और परियोजना को जून 2020 में पूरा किया जाना था। उसी महीने ₹ 40.00 लाख की पहली किश्त जारी की गई थी। सितंबर 2016 में ₹ 35.81 लाख की दूसरी किश्त की मंजूरी देते समय, मंत्रालय ने दोहराया कि पांच विशिष्ट उद्गमों के अलावा सभी प्रस्तावित लक्षित आर.ई.टी. पौधों का संग्रह और संरक्षण किया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। अगस्त 2018 और सितंबर 2019 के दौरान क्रमशः ₹ 10.77 लाख और ₹ 13.17 लाख की तीसरी और चौथी किश्त जारी की गई थी। इस प्रकार, परियोजना के लिए कुल ₹ 99.75 लाख प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 88.43 लाख का व्यय किया गया, ₹ 11.32 लाख की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी गई थी। परियोजना 2020 में पूरी हुई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रस्तावित 58 प्रजातियों में से केवल 22 प्रजातियों को एकत्र किया गया था, 36 प्रजातियों की खोज नहीं की गई थी। एकत्रित 22 प्रजातियों में से, हालांकि 2016 और 2017 के दौरान साइट्रस की एक प्रजाति और रोडोडेंड्रोन की दो प्रजातियों के 28 पौधे एकत्र किए गए थे, पौधों की संख्या लगभग पांच साल बीत जाने के बाद भी अक्टूबर 2021 तक गुणन के माध्यम से नहीं बढ़ाई जा सकी थी। इसके अलावा, उच्च उत्पत्ति की 5 लक्षित प्रजातियों में से केवल तीन प्रजातियों (2 रोडोडेंड्रोन और 1 साइट्रस) को एकत्र किया गया था।

इस प्रकार, बी.एस.आई. की विशिष्ट उद्गमों को एकत्र करने, संरक्षित करने और बनाए रखने की आवश्यकता जिससे कि प्रजनकों को नए रोग/कीट प्रतिरोधी और जीन पूल से उच्च उपज देने वाली किस्में प्राप्त हो सकती, पूरी नहीं हो पाई।

जनवरी 2022 में मंत्रालय ने बताया कि कोई भी शोध प्रस्ताव एक परिकल्पना है और निष्कर्षों में जरूरी नहीं कि मान्यताओं का पालन किया जाए। इसलिए, प्रजातियों को उनके पारिस्थितिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस धारणा के साथ चुना गया था कि यदि उन्हें एकत्र और संरक्षित किया जाता है, तो यह जर्मप्लाज्म संग्रह को अत्यधिक समृद्ध करेगा। लेकिन अन्वेषण सर्वेक्षण का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें एकत्र करने का प्रयास हमेशा किया जाएगा। जबकि बी.एस.आई. के बयान ने दावा किया कि परियोजना प्रकृति में काल्पनिक थी, लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था और एक परिकल्पना के रूप में व्यक्त नहीं किया गया था।

गुणन प्रयासों के संबंध में, हालांकि मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2022) कि इसे सफलतापूर्वक किया गया था, क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए केवल एक साइट्रस और दो रोडोडेंड्रोन प्रजातियों के 28 पौधों के संग्रह और गुणन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों के कुलीन उद्गमों के संग्रह, संरक्षण और रखरखाव के उद्देश्यों की पूर्ति न होने के मुद्दे पर मंत्रालय चुप था।

इस प्रकार, परियोजना के घोषित उद्देश्यों को केवल आंशिक रूप से ही प्राप्त किया गया था।

5.1.6.4.बी राष्ट्रीय धन की स्थायी हानि

इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी (आई.एफ.पी.), रांची ने सितंबर 2010 में "इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, रांची के वनस्पति उद्यान में ढांचागत सुविधाओं में सुधार" शीर्षक से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चूंकि आई.एफ.पी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कई अनिवार्य विवरणों की कमी थी, इसलिए प्रस्ताव को जनवरी 2011 में संशोधित किया गया था और उसी महीने विशेषज्ञ समूह की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए, ई.जी. ने सुझाव दिया कि बी.एस.आई. अतिरिक्त दस आर.ई.टी. प्रजातियां प्रदान करेगा और इसे संरक्षित किया जाएगा। दिसंबर 2012 में बी.एस.आई. ने 21 आर.ई.टी. प्रजातियों की सूची प्रस्तावित की जिनमें से दस को पहले ही आई.एफ.पी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया था।

परियोजना मई 2011 में शुरू की गई थी और ₹ 44.00 लाख की लागत से यह मार्च 2014 में पूरा होने वाली थी। मई 2011 में आई.एफ.पी. को ₹ 20.00 लाख की पहली किश्त प्राप्त हुई और उसके बाद जुलाई 2012 में ₹ 19.00 लाख की दूसरी किश्त प्राप्त हुई तथा ₹ 5.00 लाख की राशि जारी करने के लिए लंबित थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

- बी.एस.आई. द्वारा अनुशंसित 21 प्रजातियों में से, आई.एफ.पी. रांची ने संरक्षण के लिए केवल 13 प्रजातियों पर विचार किया था। संस्थान ने शेष 7 प्रजातियों के संग्रह के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया और एक प्रजाति⁹⁶ के संबंध में, हालांकि इसे एकत्र किया गया था, गुणन संख्या की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी।
- यद्यपि 13 आर.ई.टी. प्रजातियों से संबंधित कुल 395 पौधे एकत्र किए गए थे, लेकिन 12 प्रजातियों में से केवल 78 पौधे ही बचे हैं। इस तथ्य ने संकेत दिया कि जनसंख्या में वृद्धि के बजाय, यह घट गई हैं और वर्तमान मामले में मृत्यु दर 80%⁹⁷ थी। इसके अलावा, एकत्र किए गए 78 पौधों में से कोई भी स्वस्थानी संरक्षण के लिए आई.एफ.पी., रांची द्वारा वितरित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2022) कि मृत्यु दर एडैफिक⁹⁸, जलवायु परिस्थितियों और ऐसी एकत्रित प्रजातियों को अपनाने पर निर्भर थी। प्रतिशत के रूप में लेखापरीक्षा द्वारा गणना के अनुसार ऐसी प्रजातियों की मौजूदगी की गारंटी नहीं दी जा सकती है।

तथ्य यह है कि आई.एफ.पी., रांची केवल 20 प्रतिशत पौधों का संरक्षण करने में सक्षम था। इसके कारण, योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य (अर्थात संरक्षण और गुणन) अप्राप्त रह गया था।

5.1.6.4.सी पहले से मौजूद प्रस्तावित प्रजातियां

सी.एस.आई.आर.-इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर (सी.एस.आई.आर.-आई.एच.बी.टी.) ने जनवरी 2013 में बी.एस.आई., नॉर्थ रीजनल सेंटर (एन.आर.सी.) देहरादुन द्वारा प्रस्तावित 41 में से 14 संकटग्रस्त प्रजातियों को अपने प्राकृतिक आवासों में एकत्र करने, संरक्षित करने, गुणा करने और पुनः पेश करने का

⁹⁶ सैलिक्स टेरास्पेर्मा रॉक्सब। (प्रगति रिपोर्ट के अनुसार एकत्रित आर.ई.टी. प्रजातियों का नाम)

⁹⁷ $\{(395-78)/395\} * 100$

⁹⁸ मिट्टी की एक स्थिति, चाहे वह भौतिक, जैविक या रासायनिक हो, जो मिट्टी में होने वाले जीवों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है।

प्रस्ताव दिया था। सितंबर 2016 में, मंत्रालय ने 3 साल के लिए परियोजना को मंजूरी दी और कुल ₹ 107.72 लाख (क्रमशः ₹ 33.51 लाख और ₹ 42.61 लाख पहली और दूसरी किश्त के लिए) आवंटित किए और तीसरे वर्ष के लिए किश्त सितंबर 2021 तक लंबित थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 में से केवल 10 संकटग्रस्त प्रजातियों को ही एकत्र किया गया था, चार प्रजातियों को अनुसंधान कार्य के दायरे से बाहर छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, एकत्र की गई 10 प्रजातियों के लिए, हर्बेरियम सूची में उल्लिखित संग्रह की तिथियां वर्ष 1997 से 2019 तक थीं। वर्ष 1997 में एक, वर्ष 2003 में चार, 2004 में तीन और 2019 में दो। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि संग्रह सितंबर 2016 में परियोजना के प्रारंभ होने की अवधि से पहले किया गया था।

- तथ्यों ने संकेत दिया कि 10 में से 8 प्रजातियों को पहले से ही आई.एच.बी.टी. उद्यान में संरक्षित किया गया था और वे उस परियोजना के लिए संग्रह का उत्पाद नहीं थे जिसके लिए धन जारी किया गया था। शेष 2 प्रजातियों को नवंबर 2019 के दौरान यानी परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि के बाद एकत्र किया गया था और वह भी आई.एच.बी.टी. के मौजूदा वनस्पति उद्यान से।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के कार्यकाल के दौरान आई.एच.बी.टी. द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट स्थानों पर कोई दौरा नहीं किया गया था। बी.एस.आई. द्वारा अनुशंसित नई 41 प्रजातियों को एकत्र करने के बजाय, आई.एच.बी.टी. ने मौजूदा प्रजातियों पर परियोजना शुरू की जो पहले से ही इसके बगीचे में संरक्षित थीं।

इंगित किए जाने पर, आई.एच.बी.टी. ने सितंबर 2021 में बताया कि शेष प्रजातियों के संग्रह को आगे की किश्तों के जारी होने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा।

मंत्रालय ने जनवरी 2022 में बताया कि विशेषज्ञ समूह कमियों पर गौर करेगा।

5.1.6.4.डी प्रसार तकनीक का विकास न करना

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एल.बी.जी. को पहचान की गई संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसार, गुणन, पुनर्वास और पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों के लिए बाधाओं का अध्ययन करना था। एल.बी.जी. को विशेष क्षेत्र की स्थानिक और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के लिए प्रसार तकनीक के मानकीकरण की जिम्मेदारी भी आवंटित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उद्यानों⁹⁹ द्वारा प्रस्तावित 149 प्रजातियों में से केवल 64 प्रजातियों को ही लाया गया था, जिनमें से केवल एक¹⁰⁰ प्रजनन तकनीक विकसित और प्रकाशित की गई थी। विकसित प्रसार तकनीकों का लाभ इसके प्रकाशन और सार्वजनिक डोमेन में रखने के बाद ही उपयोग किया जा सकता है; इसलिए, योजना का प्रभाव ज्यादा नहीं था क्योंकि केवल एक तकनीक प्रकाशित की गई थी।

मंत्रालय ने जनवरी 2022 में बताया कि बी.एस.आई. शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र (ए.जेड.आर.सी.) ने प्राकृतिक आवासों में पौधों के पुनर्वास के लिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (ए.एफ.आर.आई.) से परामर्श किया था क्योंकि ए.एफ.आर.आई. के पास वन क्षेत्रों के पास कुछ प्रयोगात्मक भूखंड थे। चूंकि रोपे गए बीज 2019-20 में प्रारंभिक चरण में थे और 2020-21 में कोविड स्थिति के कारण यह अमल में नहीं आ सके थे। बी.एस.आई. दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र (एस.आर.सी.) के मामले में, बहुल प्रजातियों का वितरण धीरे-धीरे किया जाएगा। इसके अलावा, बी.एस.आई. ई.आर.सी. के संबंध में, कुछ सूचीबद्ध प्रजातियों को बीज के माध्यम से गुणन किया गया और उनके पौधे स्थानीय लोगों और वन विभाग को वितरित किए गए थे। परियोजना के माध्यम से गुणा की गई अन्य प्रजातियों के कुल 405 पौधे वन विभाग को वितरित किए गए थे।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता थी कि यद्यपि एल.बी.जी. विशेष क्षेत्र की स्थानिक और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के लिए प्रसार तकनीक के मानकीकरण के लिए जिम्मेदार थे, संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकियों/तकनीकों को विकसित नहीं किया जा सका था। यह अनुसंधान के अभिज्ञात प्रमुख क्षेत्रों में से एक था और इसे पौधों की प्रजातियों के बाह्य स्थान संरक्षण के लक्ष्य से जोड़ा गया था। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था।

5.1.6.4.ई बाह्य स्थान संग्रह का प्राकृतिक आवास में स्थानांतरण और पुनर्वास

संरक्षण एवं गुणन के बाद सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक और गुणन में राज्य वन विभागों के सहयोग से प्राकृतिक आवासों में उक्त पौधों का पुनःपरिचय और पुनर्वास शामिल था। यह निर्धारित किया गया था कि अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक उद्यान को राज्य वन विभाग के साथ समन्वय करना होगा ताकि प्राकृतिक आवास में बाहरी

⁹⁹ सी.एस.आई.आर.-आई.एच.बी.टी., पालमपुर, बी.एस.आई. एस.आर.सी., कोयंबटूर, बी.एस.आई. ई.आर.सी., शिलांग, आई.एफ.पी., रांची, सी.एस.आई.आर.-एन.बी.आर.आई., लखनऊ और बी.एस.आई. ए.जेड.आर.सी., जोधपुर

¹⁰⁰ सी.एस.आई.आर.-आई.एच.बी.टी., पालमपुर। प्रकाशन का नाम: जैस्मीनुन पार्करी

संग्रह का स्थानांतरण/पुनः परिचय और पुनर्रोपण सुनिश्चित किया जा सके। यह भी निर्धारित किया गया था कि राज्य वन विभागों के साथ एक व्यवस्था विकसित करके स्वस्थानिक संरक्षण को स्वस्थानिक हस्तांतरण के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उद्यानों द्वारा राज्य वन विभाग के साथ कोई समन्वय विकसित नहीं किया गया था।

5.1.6.4.ई.1 बी.एस.आई., एस.आर.सी. ने सितंबर 2021 में बताया कि कुछ प्रजातियों को सलेम, तमिलनाडु और केरल के आरक्षित वन क्षेत्रों में पौधों का योगदान देकर पेश किया गया था। जैसा कि पैरा 5.1.6.4.ए.1 में उल्लेख किया गया है, बी.एस.आई., एस.आर.सी., कोयंबटूर ने 24 पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रस्ताव रखा है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरित प्रजातियां एक प्रजाति के 145 पौधों को छोड़कर 24 प्रस्तावित प्रजातियों से भिन्न थीं, एक प्रजाति उदाहरणार्थ *बैंटिनकिया कोंडापन्ना* जिसे मई 2019 से जुलाई 2019 के दौरान तमिलनाडु वन विभाग, केरल वन विभाग और जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान को वितरित किया गया था। इसके साथ, *मोनोसिस* नामक एक अन्य प्रजाति के दो पौधे योजना के तहत 24 प्रस्तावित आर.ई.टी. प्रजातियों के संग्रह के लिए सर्वेक्षण की अवधि के दौरान जुलाई 2019 में तमिलनाडु वन विभाग को वितरित किए गए *शेवरॉसिस (गेंबल)* *एच.रोब* और *एच. रोबल* और *स्केवरला* को एकत्र नहीं किया गया था।

5.1.6.4.ई.2 हालांकि, बी.एस.आई.-ए.जेड.आर.सी., जोधपुर ने अपने बगीचे में पांच प्रजातियों को पेश किया, लेकिन वन विभाग के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया था ताकि जंगलों में बाह्य स्थान संरक्षण और स्वस्थानिक संरक्षण के बीच श्रृंखला को पूरा किया जा सके। बी.एस.आई. ने औपचारिक आधिकारिक प्रक्रिया को बनाए बिना दुर्लभ पौधों को वितरित किया अर्थात् मांग प्राप्त करना, मांग पर संभावित संगठन को दुर्लभ पौधों के वितरण का दस्तावेजीकरण आदि।

बी.एस.आई. ने बताया कि ज्यादातर आगंतुकों ने बगीचे की अपनी यात्रा के दौरान पौधों की मांग की और उनके लिए आधिकारिक मांग प्रदान करना संभव नहीं था। बी.एस.आई. के उत्तर ने आर.ई.टी. संयंत्रों की अभिरक्षा में जवाबदेही की कमी का संकेत दिया था। वितरण की प्रगति की निगरानी के लिए बी.एस.आई. को दुर्लभ पौधों के वितरण का अभिलेख रखने की एक पारंपरिक प्रथा स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह

योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। वन विभागों के साथ संपर्क स्थापित न होने के कारण, प्रजातियों को प्राकृतिक आवास में स्वस्थानिक संरक्षण के लिए वितरित और पुनर्रोपण नहीं किया जा सका था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2022) कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट किया गया और औपचारिक आधिकारिक प्रक्रिया मांग पर संभावित संगठन को दुर्लभ पौधों के वितरण को भविष्य में दर्ज किया जाएगा।

5.1.6.4.ई.3 बी.एस.आई.-ई.आर.सी., शिलांग ने बताया कि 10 प्रजातियों से संबंधित 405 सीडलींग्स वन विभाग को पुनर्रोपण करने हेतु आपूर्ति की गई थी। हालांकि, संविक्षा से पता चला कि वितरित की गई 10 प्रजातियों में से कोई भी दिसंबर 2014 में बी.एस.आई. ई.आ.र.सी. द्वारा संरक्षित किए जाने के लिए प्रस्तावित लक्षित प्रजातियां नहीं थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2022) कि निकट भविष्य में वितरण शुरू किया जाएगा। इस प्रकार, ए.बी.जी. योजना के तहत प्राकृतिक आवास के लिए बाह्य स्थान संग्रह का स्थानांतरण और पुनर्वास लिंकेज के अभाव में प्रभावी नहीं था।

5.1.6.4.एफ बीज बैंक की स्थापना न करना

बीज बैंक आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के लिए बीजों का भंडारण करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। भंडारण और पुनर्जनन के दौरान बीज सामग्री की व्यवहार्यता और आनुवंशिक अखंडता के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से बीज बैंक स्थापित किए गए हैं। योजना के दिशा-निर्देशों (मई 2013) के अनुसार, यद्यपि बीज बैंक (अल्पकालिक) की स्थापना की जानी थी, इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई थी। संरक्षित लक्षित प्रजातियों की जीवित सामग्री के बीज बी.एस.आई. या नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सज (एन.बी.पी.जी.आर.), नई दिल्ली के क्षेत्रीय स्टेशनों में रखरखाव और भंडारण के लिए भेजे जाने थे। यह पाया गया कि पांच एल.बी.जी. में से किसी ने भी बीज बैंक स्थापित नहीं किया था। साथ ही पांच एल.बी.जी. में से किसी ने भी एन.बी.पी.जी.आर., नई दिल्ली को बीज नहीं भेजे थे। इस प्रकार, राष्ट्रीय बीज बैंक में लक्षित पौधों की प्रजातियों के बीजों का संरक्षण आगे के शोध के लिए नहीं रखा जा सका और बीजों की जीवित मौजूदगी संदिग्ध है।

मंत्रालय ने जनवरी 2022 में बताया कि अल्प अवधि में तत्काल बीज बैंक स्थापित करना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, दिशानिर्देशों में बताया गया है कि जीवित पौधों, बीजों और अन्य जर्मप्लाज्म के महत्वपूर्ण संग्रह को स्वस्थानिक और बाह्य स्थान संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार, बीज बैंकों की स्थापना न होने और जीवित सामग्री के बीजों को रखरखाव और भंडारण के लिए एन.बी.पी.जी.आर. को हस्तांतरित न करने के कारण, भंडारण और पुनर्जनन के दौरान बीज सामग्री की व्यवहार्यता और आनुवंशिक अखंडता के नुकसान को कम करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

5.1.6.4.जी रेड डाटा सूची तैयार न करना

पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों^{टीएम} की आई.यू.सी.एन. रेड सूची¹⁰¹ वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। यह हजारों प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मानदंडों के एक सेट का उपयोग करता है। ये मानदंड अधिकांश प्रजातियों और दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हैं। अपने मजबूत वैज्ञानिक आधार के साथ, आई.यू.सी.एन. रेड सूची को जैविक विविधता की स्थिति के लिए सबसे अधिकारिक गाइड के रूप में मान्यता प्राप्त है। आई.यू.सी.एन. प्लांट रेड डाटा पुस्तक में विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पौधों पर रेड डाटा सूची शामिल हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, एल.बी.जी. की भूमिका घटना के क्षेत्र, अधिभोग के क्षेत्र, आबादी की संख्या और आकार, आबादी के स्थानिक वितरण, परागणकों और फैलाव, प्रजनन और प्रजनन प्रणाली, आवास परिवर्तन और अशांति के पैटर्न आदि के संबंध में जनसंख्या रुझान, जैसे महत्वपूर्ण सहयोगियों की पहचान के बारे में जानकारी संकलित करना था और आई.यू.सी.एन. प्रारूप के अनुसार चयनित प्रजातियों के लिए रेड डाटा सूची तैयार करना था। संविक्षा से पता चला कि पांच एल.बी.जी. में से किसी ने भी लक्षित प्रजातियों में से किसी के संबंध में रेड डाटा सूची तैयार नहीं की थी।

रेड डाटा सूची तैयार करने के संबंध में, मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2022) कि यह एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। आई.यू.सी.एन. दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रजाति का आकलन करने के लिए कठोर क्षेत्र सर्वेक्षण और निधियों की

¹⁰¹ स्रोत: <https://www.iucn.org/resources/conservation-tools/iucn-red-list-threatened-species>

आवश्यकता होती है। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता थी कि रेड डाटा सूची को बनाए रखने में विफलता के परिणामस्वरूप कमजोर और लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी की कमी होगी और इस प्रकार उनके संरक्षण में बाधा उत्पन्न होगी।

5.1.6.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और बी.एस.आई., कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा योजना में परिकल्पित रूप के अनुसार आर.ई.टी. संयंत्रों के संरक्षण और गुणन करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रमुख वनस्पति उद्यान और वनस्पति उद्यान एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं थे और परिणामस्वरूप, उद्यान अपना ज्ञान सृजन करने और पौधों की सामग्री को एक दूसरे के बीच साझा करने में विफल रहे और विभिन्न स्थानों पर ऐसी पौधों की प्रजातियों के रखरखाव को सुनिश्चित करने में असमर्थ थे। उद्यानों द्वारा निर्धारित पौधों की प्रजातियों की उच्च उत्पत्ति को बनाए रखने के लिए एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। अधिकांश मामलों में, एकत्रित आर.ई.टी. पौधों की प्रजातियों को गुणन और प्रचारित नहीं किया जा सका था। हालांकि कुछ को गुणन किया गया था, संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए मृत्यु दर प्रतिशतता बहुत अधिक थी। इसके अलावा, बाह्य स्थान संरक्षण को स्वस्थानिक संरक्षण से जोड़ने के लिए उद्यान द्वारा राज्य वन विभाग के साथ कोई समन्वय विकसित नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, संरक्षित पौधों को प्राकृतिक आवासों में पुनर्पण नहीं किया जा सका था। कुछ और आर.ई.टी. पौधों को व्यक्तिगत तौर पर वितरित किया गया था, वह भी वितरण की स्थिति दर्ज किए बिना जिसने स्वस्थानिक संरक्षण के उद्देश्य को खराब कर दिया था। पौधों के गुणा न होने के कारण अन्य संगठनों को वितरित नहीं किया जा सका। प्रसार तकनीकों को विकसित और प्रलेखित नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, एकत्रित ज्ञान आधार का प्रसार नहीं किया गया था। कुछ मामलों में, प्रजातियों के संग्रह को संदेह के घेरे में रखते हुए हर्बेरियम सूची भी तैयार नहीं की गई थी। बीजों का परिरक्षण नहीं किया गया था, जो कि आगे अनुसंधान/उपयोग के लिए कोई गुंजाइश उपलब्ध नहीं करा रहा है। अंत में, प्राकृतिक आवासों में पुनर्पण नहीं किया गया था और इसके लिए बाहरी और स्वस्थानिक संरक्षण के बीच तार्किक श्रृंखला स्थापित नहीं की गई थी। इसके अलावा, स्थिति का सर्वेक्षण नहीं किया गया था और रेड डाटा सूची तैयार नहीं

की गई थी। इस प्रकार, योजना का उद्देश्य काफी हद तक अप्राप्त रहा, जिसने सी.बी.डी. के उद्देश्यों की उपलब्धि को भी प्रभावित किया, जिसमें भारत एक पक्ष था।

5.2 प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) के पास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू नहीं किया जा सका।

5.2.1. परिचय

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) के अनुसार, विश्व स्तर पर अब तक उत्पन्न सात अरब टन प्लास्टिक अपशिष्ट में से 10 प्रतिशत से भी कम का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। लाखों टन प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यावरण में लुप्त जाता है, या कभी-कभी हजारों किलोमीटर की दूरी पर उन जगहों पर भेज दिया जाता है जहां इसे ज्यादातर जला दिया जाता है या डंप किया जाता है। अगर भस्म किया जाता है, तो इसके जहरीले यौगिकों को वातावरण में उगल दिया जाता है ताकि आसपास के पारिस्थितिक तंत्र जैविक रूपों में जमा हो सकें। जब एक लैंडफिल में डाल दिया जाता है, तो प्लास्टिक वर्षों तक अनुपचारित रहता है। इस प्रक्रिया में, प्लास्टिक से जहरीले रसायन निकल जाते हैं और भूजल में रिसते हैं, नीचे की ओर झीलों और नदियों में बहते हैं। प्लास्टिक के रिसने से मृदा प्रदूषण भी होता है जिससे मिट्टी में सूक्ष्म प्लास्टिक की उपस्थिति होती है। नदियाँ और झीलें प्लास्टिक अपशिष्ट को गहरे अंतर्देशीय से समुद्र में ले जाती हैं, जिससे वे समुद्र प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता बन जाते हैं।

5.2.2. लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों¹⁰² के प्रावधानों की प्रभावशीलता और अनुपालन का आकलन करना था, ताकि प्लास्टिक अपशिष्ट के

¹⁰² पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (ई.पी.ए. 1986) के प्रावधानों के तहत एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 को अधिसूचित किया। इन नियमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने, स्रोत अलगाव, पुनर्चक्रण पर जोर देने के लिए, प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रह में उत्पादकों, निर्माताओं, आयातकों, ब्रांड मालिकों, अपशिष्ट बीनने वालों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और

प्रबंधन में उनकी पर्याप्तता की जांच की जा सके और प्लास्टिक अपशिष्ट से पर्यावरण और स्वास्थ्य को होने वाले जोखिमों को दूर किया जा सके। दिल्ली में तीन शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के छह चयनित क्षेत्रों से अठारह वार्ड, पंजाब में छह नमूना जिलों से आठ यू.एल.बी. और तीस ग्रामीण स्थानीय निकाय (आर.एल.बी.) और सिक्किम में तीन नमूना जिलों से चार यू.एल.बी. और नौ पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) 2015-16 से 2019-20 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी.), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.)/ चयनित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी.सी.सी.) के राज्य, पंचायती राज संस्थान, ग्राम पंचायत (जी.पी.) और चयनित राज्यों के शहरी विकास विभाग (यू.डी.डी.) में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए की गई गतिविधियों को शामिल किया गया है।

5.2.3. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

5.2.3.1 उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन

अपशिष्ट प्रबंधन की योजना और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्पन्न अपशिष्ट का एक विश्वसनीय मूल्यांकन आवश्यक है, जो निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए, प्लास्टिक अपशिष्ट के आकलन का डाटा प्रभावी नीति निर्माण की दिशा में पहला कदम है।

पी.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 के नियम संख्या 17 में प्रत्येक पुनर्चक्रण/प्रोसेसिंग इकाई, स्थानीय निकाय, पी.सी.बी./पी.सी.सी. और सी.पी.सी.बी. को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्रों में पदानुक्रम¹⁰³ के अगले उच्च प्राधिकारी को सालाना प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग और प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

अपशिष्ट प्रोसेसरों को शामिल करते हुए, संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (पी.डब्ल्यू.एम.), 2016 को अधिसूचित किया गया था जिसे मार्च 2018 में और संशोधित किया गया था।

¹⁰³ प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण/प्रोसेसिंग इकाइयां स्थानीय निकायों को पी.सी.बी./पी.सी.सी. से सी.पी.सी.बी. से एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. तक

(ए) डाटा विसंगतियां

लेखापरीक्षा के दौरान, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान देश भर में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का विवरण प्रदान किया, जो इसे सी.पी.सी.बी.¹⁰⁴ से प्राप्त हुआ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 5.2: 2015-16 से 2019-20 के दौरान देश भर में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का विवरण

(टन प्रतिदिन)

वर्ष	उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट
2015-16	4,354.57 (19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना)
2016-17	4,297.80 (21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सूचना)
2017-18	1,810.30 (14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सूचना)
2018-19	9,205.59 (सभी 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सूचना)
2019-20	9,506.20 (सभी 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सूचना)

सी.पी.सी.बी. द्वारा एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को रिपोर्ट किया गया डाटा एस.पी.सी.बी. या पी.सी.सी. द्वारा सी.पी.सी.बी. को उपलब्ध कराए गए इनपुट पर आधारित था। तथापि, पी.सी.बी./पी.सी.सी. के अभिलेखों की जांच पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों¹⁰⁵ के पी.सी.बी. और पी.सी.सी. ने सी.पी.सी.बी. को 2016-18 की अवधि के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन पर डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, 2018-20 के दौरान, हालांकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का डाटा प्रदान किया, रिपोर्ट किए गए डाटा में सभी यू.एल.बी. और आर.एल.बी. द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट शामिल नहीं था। इस प्रकार, डाटा अंतराल थे जिसके कारण सी.पी.सी.बी. के साथ-साथ एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के पास 2015-20 की अवधि के दौरान पूरे देश में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन की पूरी और व्यापक तस्वीर नहीं थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि एस.पी.सी.बी. और पी.सी.सी. से प्राप्त आंकड़ों को इसकी प्रामाणिकता और शुद्धता का आकलन करने के लिए सी.पी.सी.बी. द्वारा मान्य नहीं किया गया था।

¹⁰⁴ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 17(4) के तहत वार्षिक रिपोर्टिंग के माध्यम से

¹⁰⁵ पूरे देश में 35 एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. में से 2015-16 में 16, 2016-17 में 14 और 2017-18 में 21 ने सी.पी.सी.बी. को प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का डाटा प्रस्तुत नहीं किया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के आंकड़ों में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं और नमूना राज्यों द्वारा नोडल एजेंसी/पी.सी.बी./सी.पी.सी.बी. को सूचित किया गया:

- दिल्ली के सभी तीन नमूना शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-20 के दौरान हर साल डी.पी.सी.सी. को उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का डाटा प्रस्तुत नहीं किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ई.डी.एम.सी.) ने 2015-20 की अवधि के लिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) ने 2015-16 और 2017-18 के लिए और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एस.डी.एम.सी.) ने 2015-16 के लिए डाटा प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, डी.पी.सी.सी. को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से तुलना करने पर, एन.डी.एम.सी. के आंकड़ों में 45.97 प्रतिशत की भिन्नता देखी गई; जबकि एस.डी.एम.सी. के मामले में आंकड़ों में 40 फीसदी का अंतर था।
- पंजाब म्यूनिसिपल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी¹⁰⁶ (पी.एम.आई.डी.सी.) को प्रदान किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का डाटा इन यू.एल.बी. द्वारा पंजाब पी.सी.बी. को प्रदान किए गए डाटा से 12.04 प्रतिशत से 51.93 प्रतिशत तक भिन्न होता है, जिसे अंततः 2015-16 से 2019-20 के दौरान सी.पी.सी.बी. को सूचित किया गया था।
- सिक्किम पी.सी.बी. ने वर्ष 2015-16 और 2017-18 में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा की रिपोर्ट सी.पी.सी.बी. को नहीं दी थी। जबकि सिक्किम पी.सी.बी. द्वारा 2016-17, 2018-19 और 2019-20 के लिए सी.पी.सी.बी. को 177.38 टन प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन की सूचना दी गई थी, जबकि लेखापरीक्षा को सूचित किए गए 116.53 टन के स्थान पर वास्तविक उत्पादन से 52.22 प्रतिशत अधिक था।

इस प्रकार, इन राज्यों में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट पर डाटा के सत्यापन की कमी के कारण, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और सी.पी.सी.बी. उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की

¹⁰⁶ शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए नामित नोडल एजेंसी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी धनराशि यू.एल.बी. को पी.एम.आई.डी.सी. के माध्यम से वितरित की जाती है। पी.एम.आई.डी.सी. वहां के सभी यू.एल.बी. की दैनिक आधार पर निगरानी करता है और नियमित रूप से यू.एल.बी. से प्राथमिक डाटा प्राप्त करता है।

मात्रा से अनजान रहेंगे और निपटान की समस्या को दूर करने के बारे में निर्णय लेने में खराब डाटा के कारण बाधा बनी रहेगी।

(बी) प्लास्टिक अपशिष्ट के आकलन की विधि एक समान नहीं है

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एक राज्य के भीतर प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के आकलन के लिए एक समान पद्धति नहीं है। यू.एल.बी. द्वारा रिपोर्ट किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के आंकड़े बिना किसी ठोस तर्क के मान्यताओं पर आधारित थे। दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ई.डी.एम.सी.) और एन.डी.एम.सी. ने प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कुल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 10 प्रतिशत माना है। दूसरी ओर, एस.डी.एम.सी. ने कुल उत्पन्न अपशिष्ट के 4.4 से 6 प्रतिशत की दर से इसकी गणना की गई। पंजाब में, पी.एम.आई.डी.सी. द्वारा उत्पन्न कुल नगरपालिका अपशिष्ट के सात प्रतिशत पर गणना किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा प्रदान की गई थी।

सी.पी.सी.बी. ने स्वीकार किया कि उसे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनके द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा की गणना के लिए अपनाई जा रही कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं थी। उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा के आकलन के लिए किसी मानक/समान पद्धति के अभाव में, देश में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की स्पष्ट और व्यापक स्थिति प्राप्त करना असंभव है। इसके अलावा, यह कमी पी.डब्ल्यू.एम. नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी भी कार्य योजना या कार्यनीति की तैयारी में बाधा उत्पन्न करेगी।

5.2.3.2 प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रह, प्रोसेसिंग और निपटान

अपशिष्ट संग्रह, पुनर्चक्रण, सह-प्रोसेसिंग और वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से इसका अंतिम निपटान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के आवश्यक तत्व हैं। पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 के नियम 6 और 7 स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, संचालन और समन्वय के लिए स्थानीय निकायों (एल.बी.) और ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, पुनर्चक्रण, सह-प्रोसेसिंग और इसके अंतिम निपटान के आंकड़ों की उपलब्धता के संबंध में, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने उत्तर दिया कि एस.पी.सी.बी. और पी.सी.सी. हर साल सी.पी.सी.बी. को फॉर्म VI में प्लास्टिक अपशिष्ट

प्रबंधन नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के लिए स्थिति के बारे में डाटा प्रदान करते हैं, जिसे यह संकलित करता है इस पर एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फॉर्म VI में अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन, प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रह और निपटान के लिए कार्य योजना, पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों आदि की संख्या जैसे डाटा फ़ील्ड शामिल हैं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि फॉर्म VI में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यू.टी.) में संग्रहीत, असंग्रहीत और उपयोग¹⁰⁷ किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के डाटा फ़ील्ड शामिल नहीं हैं, इसलिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सी.पी.सी.बी. को इसकी सूचना नहीं दी जाती है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सी.पी.सी.बी. ने फॉर्म VI में कमियों को भी इंगित किया था और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. से पी.डब्लू.एम. नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वांछित डाटा क्षेत्रों को शामिल करके इसे संशोधित करने का अनुरोध (मार्च 2021) किया था। हालाँकि, सी.पी.सी.बी. द्वारा सुझाए गए संशोधन, अक्टूबर 2021 तक एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अपनाए जाने बाकी हैं।

2015-16 से 2019-20 के दौरान सभी तीन नमूना राज्यों द्वारा उत्पादित, एकत्र और उपयोग किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 5.3: 2015-16 से 2019-20 के दौरान सभी तीन नमूना राज्यों द्वारा

उत्पन्न, एकत्र और उपयोग किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट का विवरण

(टन प्रति वर्ष)

साल	दिल्ली			पंजाब			सिक्किम		
	प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न	प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित	प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल	प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न	प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित	प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल	प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न	प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित	प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल
2015-16	उपलब्ध नहीं है			100010.00	100010.00	29930.00	96.70	96.70	39.36
2016-17	उपलब्ध नहीं है			102200.00	102200.00	30660.00	102.70	84.86	30.83
2017-18	उपलब्ध नहीं है			104755.00	104755.00	31390.00	1315.40	803.20	335.40
2018-19	644.00	598.92	119.78	106580.00	106580.00	32120.00	5.66	5.40	0.02
2019-20	1060.00	985.80	197.16	109135.00	109135.00	32850.00	8.22	8.22	6.92
कुल	1704.00	1584.72	316.94	522680.00	522680.00	156950.00	1528.68	998.38	412.53

¹⁰⁷ प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग का अर्थ है एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का अंश जिसे या तो पुनर्नवीनीकरण किया जाता है या सड़क निर्माण, सीमेंट भट्ठी, ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट आदि जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

स्रोत: दिल्ली: दिल्ली पी.सी.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े; पंजाब: पी.एम.आई.डी.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े; सिक्किम: सिक्किम पी.सी.बी. द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- पी.एम.आई.डी.सी. ने समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना बताया कि 2015-20 के दौरान यू.एल.बी. द्वारा उत्पन्न 100 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र किया गया था। इसमें आगे बताया गया है कि एकत्र किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट में रिसाइकिल योग्य प्लास्टिक का 25 से 30 प्रतिशत अंश होता है, जिसमें से सभी को अनौपचारिक क्षेत्र जैसे अपशिष्ट बीनने वालों, कबाड़ डीलरों आदि द्वारा उठाया और अलग किया जाता है, और सीधे पुनर्चक्रण करने वालों को चैनलाइज़ किया जाता है। हालांकि, इसने यह नहीं बताया कि शेष 70 प्रतिशत¹⁰⁸ प्लास्टिक अपशिष्ट का क्या हुआ, जो मुख्य रूप से गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य था। इसकी स्थिति के बारे में किसी भी डाटा के अभाव में, यह मान लेना सुरक्षित है कि बचा हुआ 70 प्रतिशत अपशिष्ट अंधाधुंध डंप किया गया था।
- 2015-20 के दौरान उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का केवल 65.31 प्रतिशत (यानी 998.38 टन) एकत्र किया। इस प्लास्टिक अपशिष्ट को लैंडफिल साइटों पर स्क्रेप विक्रेताओं द्वारा एकत्र और अलग किया गया था और प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण योग्य अंश को सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल भेजा गया था क्योंकि राज्य में कोई रीसाइक्लिंग या प्रोसेसिंग इकाइयाँ नहीं हैं, जैसा कि सिक्किम पी.सी.बी. ने बताया है। प्लास्टिक अपशिष्ट के शेष हिस्से के सुरक्षित निपटान के बारे में किसी भी डाटा के अभाव में, जो मुख्य रूप से गैर-पुनः उपयोग योग्य था, यह माना जाता है कि इसे अंधाधुंध डंप किया गया था।
- दिल्ली में, पी.सी.सी. ने 2015-18 के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन, संग्रह और उपयोग के आंकड़ों के लिए अनुपलब्धता व्यक्त की। हालांकि, उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 2018-20 की अवधि के दौरान एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का केवल 20 प्रतिशत ही उपयोग किया गया था। बाकी की स्थिति के बारे में किसी भी डाटा के अभाव में, यह माना जा सकता है कि इन्हें अंधाधुंध तरीके से डंप किया गया होगा।

¹⁰⁸ यानी 3,65,730 टन

5.2.3.3 उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का अनुमान

अपशिष्ट उत्पादन अनुमान अपशिष्ट नीति निर्माण को सूचित करते हैं और अपशिष्ट प्रबंधन योजना में एक अनिवार्य प्रक्रिया हैं। इसलिए, भविष्य में अपशिष्ट की वृद्धि के बारे में यथार्थवादी अनुमान लगाने के लिए, प्रमुख मापदंडों की पहचान की जानी चाहिए और अपशिष्ट मात्रा पर उनके अपेक्षित प्रभाव का वर्णन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने जनवरी 2015 में सी.पी.सी.बी. द्वारा किए गए "60 प्रमुख शहरों में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का आंकलन और विशेषता" पर एक अध्ययन किया; जिसमें, देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रोडमैप और सिफारिशों का सुझाव देने के लिए डंप साइटों पर प्लास्टिक अपशिष्ट का मूल्यांकन किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने यह नहीं पाया कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट में वृद्धि के बारे में कोई अनुमान इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा किया गया था। सी.पी.सी.बी. ने यह भी स्वीकार किया कि उसने जनसंख्या के आकार, क्षेत्र के भौगोलिक आकार, आर्थिक विकास, उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग और विनिर्माण विधियों में बदलाव आदि के आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का कोई अनुमान नहीं लगाया है।

पंजाब में, ना तो नमूना ग्राम पंचायतों और ना ही पी.एम.आई.डी.सी. (शहरी यू.एल.बी. के लिए) ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए कोई अनुमान लगाया, जो कि कथित मापदंडों को ध्यान में रखते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली और सिक्किम ने भविष्य में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान लगाया था, इन अनुमानों पर की गई आगे की कार्रवाई को सत्यापित किया जाना बाकी था।

5.2.3.4 प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी, पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण के लिए नीति और कार्य योजना का अभाव

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. भारत की पर्यावरण नीतियों और कार्यक्रमों के नियोजन, प्रचार, समन्वय और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे में नोडल एजेंसी है। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए एक नीति के अस्तित्व के बारे में चुप था। हालांकि, इसने पी.डब्ल्यू.एम. नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए त्रि-स्तरीय कार्यनीति अपनाने

की बात कही है जिसमें (i) व्यवहार परिवर्तन, (ii) प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए संस्थागत प्रणाली को मजबूत करना और (iii) विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी के माध्यम से उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के साथ जुड़ाव शामिल है। लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के पास 2015-20 की अवधि के दौरान उक्त कार्यनीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी। एक व्यापक कार्य योजना की तैयारी मई 2021 में शुरू की गई थी और अभी भी प्रक्रिया में है (अक्टूबर 2021)।

इसके अलावा, सभी तीन नमूना राज्यों में पंजाब को छोड़कर वह भी केवल शहरी क्षेत्रों के लिए अप्रैल 2019 से प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना नहीं पाई गई। कार्य योजना के अवलोकन पर, लेखापरीक्षा ने 31 दिसंबर 2019 की लक्ष्य तिथि के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट का कुशल तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों को पाया। हालांकि, कुछ प्रमुख गतिविधियां¹⁰⁹ (जैसा कि पैरा 5.2.3.5 और 5.2.3.7.डी में चर्चा की गई है) नवंबर 2021 तक भी पूरी नहीं की जा सकीं। फरवरी 2022 तक सिक्किम राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी, पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण के लिए कोई नीति/कार्यनीति/कार्य योजना नहीं थी। हालांकि गंगटोक नगर के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।

इस मामले में शहरी विकास विभाग, दिल्ली का जवाब प्रतीक्षित है।

5.2.3.5 स्थानीय निकायों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उप-नियमों का निर्माण न किया जाना

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 6(4) के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय को इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उप-नियम बनाने होंगे। लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजाब, दिल्ली और सिक्किम में, सभी नमूना शहरी स्थानीय निकायों ने पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए अपने उप-नियम बनाए थे। हालांकि, उन्हें अभी तक उनके संबंधित शहरी विकास विभागों द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। इसके अलावा, पंजाब और सिक्किम के किसी भी

¹⁰⁹ पी.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उप-नियमों का निर्माण, पंजीकृत पुनर्चक्रण के लिए पुनरावर्तनीय प्लास्टिक अपशिष्ट का चैनलाइजेशन और सीमेंट, भट्टों, सड़क निर्माण, या रिफ़्यूज्ड ड्राइव ईंधन के रूप में उपयोग के लिए गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट को चैनलाइज़ करना।

नमूना ग्राम पंचायत ने अभी तक पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए अपना उप-नियम नहीं बनाया है।

उप-नियमों के अभाव में नगरीय स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें पी.डब्ल्यू.एम. नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सके तथा नियमों के उल्लंघन पर शास्ति/जुर्माना आरोपित नहीं कर सके थे।

5.2.3.6 सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए पहल करने में देरी

विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून 2018) के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने जनवरी 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक (एस.यू.पी.) को समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प लिया था। भारत को एस.यू.पी. मुक्त बनाने और प्रधान मंत्री के स्पष्ट आह्वान पर कार्रवाई करने के लिए, पहला कदम जो उठाए जाने की आवश्यकता थी, वह था एस.यू.पी. वस्तुओं की पहचान करना और उनके निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा पीएम की प्रतिज्ञा को हकीकत में बदलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने जुलाई 2021 तक एस.यू.पी. मर्दों की पहचान नहीं की थी। एस.यू.पी. को केवल अगस्त 2021 में अधिसूचित किया गया था, और लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अक्टूबर 2021 तक उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

इस संबंध में राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

- सिक्किम ने जुलाई 1998 में सिक्किम व्यापार लाइसेंस और विविध प्रावधान (संशोधन) नियम, 1998 में संशोधन पेश किया ताकि प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक बैग में किसी भी व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी या किसी अन्य एजेंसी या संगठन को किसी भी सामान या सामग्री की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

- पंजाब में, यह पाया गया कि थर्मोकोल¹¹⁰ से बने उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, पुनर्चक्रण और बिक्री या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं था और ये बाजार में आसानी से उपलब्ध थे।
- दिल्ली सरकार¹¹¹ ने 2012 में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) ने किसी भी प्रयोजन के लिए 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग और गैर-खाद योग्य प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर रोक लगाकर पुष्टि की थी।

5.2.3.7 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का अनुपालन

5.2.3.7.ए उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों, निर्माताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं का पंजीकरण

5.2.3.7.ए.1 प्लास्टिक इकाइयों¹¹² का पंजीकरण न करना

पी.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 के नियम संख्या 13(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जैसा भी मामला हो, उत्पादन शुरू करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की प्रदूषण नियंत्रण समिति से पंजीकरण प्राप्त किए बिना कैरी बैग या रिसायकल प्लास्टिक बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग का निर्माण नहीं करेगा। दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले उत्पादकों या ब्रांड मालिकों को नियम 13 (2) के अनुसार पंजीकरण और नवीनीकरण के उद्देश्य से सी.पी.सी.बी. में आवेदन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-20 के दौरान, 88 ब्रांड मालिकों और चार उत्पादकों को सी.पी.सी.बी. द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया था। 2015-20 की अवधि के दौरान नमूना राज्यों में प्लास्टिक इकाइयों (उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों, निर्माताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं) के पंजीकरण की स्थिति नीचे तालिका 5.4 में दर्शाई गई है:

¹¹⁰ थर्मोकोल एक ई.पी.एस. (विस्तारित पॉलीस्टाइरिन) है और स्टायरोफोम एक एक्स.पी.एस. (एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरिन) है। ये दोनों पॉलीस्टाइरिन उत्पाद प्लास्टिक की तरह ही पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। थर्मोकोल इतना लोकप्रिय है कि किसी भी ई.पी.एस./एक्स.पी.एस. को सामान्य रूप से 'थर्मोकोल' बताया जाता है।

¹¹¹ अधिसूचना दिनांक 23/10/2012 के माध्यम से

¹¹² प्लास्टिक इकाइयों में निर्माता, आयातक, ब्रांड के मालिक, निर्माता और पुनर्चक्रणकर्ता शामिल हैं

तालिका 5.4: 2015-20 के दौरान नमूना राज्यों में पंजीकृत प्लास्टिक इकाइयों की स्थिति

मार्च के अंत में	पंजाब			सिक्किम			दिल्ली		
	कुल प्लास्टिक इकाइयां	पंजीकृत प्लास्टिक इकाइयां	पंजीकरण (प्रतिशत)	कुल प्लास्टिक इकाइयां	पंजीकृत प्लास्टिक इकाइयां	पंजीकरण (प्रतिशत)	कुल प्लास्टिक इकाइयां	पंजीकृत प्लास्टिक इकाइयां	पंजीकरण (प्रतिशत)
2016	479	0	0	पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई			पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई		
2017	491	3	0.61						
2018	493	9	1.83						
2019	497	24	4.83				1804	1	0.06
2020	502	139	27.69				1804	220	12.20

ऊपर की तालिका से देखा जा सकता है कि पंजाब पी.सी.बी. ने मार्च, 2020 तक अपने द्वारा पहचानी गई कुल प्लास्टिक इकाइयों का केवल 27.70 प्रतिशत पंजीकृत किया था। दिल्ली पी.सी.सी. ने पंजीकरण प्रक्रिया केवल 2018-19 में शुरू की (यानी पी.डब्ल्यू.एम. नियम जारी होने के दो साल बाद) और अब तक केवल 12.20 प्रतिशत पहचानी गई प्लास्टिक इकाइयों को पंजीकृत कर सका है। सिक्किम पी.सी.बी. ने अभी तक राज्य में कार्यरत प्लास्टिक इकाइयों की पहचान नहीं की है।

जवाब में, पंजाब पी.सी.बी. ने प्लास्टिक इकाइयों को पंजीकृत करने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया था; जबकि, सिक्किम पी.सी.बी. ने विस्तारित निर्माता की जिम्मेदारी (ई.पी.आर.) पंजीकरण गतिविधि ऑनलाइन शुरू करने की सूचना दी थी।

5.2.3.7.ए.2 पंजीकरण के लिए आवेदन में देरी

पी.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 को नियम 9(4) बताता है कि निर्माता, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख (18 मार्च 2016) से तीन महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण के अनुदान के लिए एस.पी.सी.बी. और पी.सी.सी. को आवेदन करेगा। मार्च 2018 में संशोधित पी.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 के नियम 13 में दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले उत्पादकों और ब्रांड मालिकों (पी.बी.ओ.) को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है।

2018-20 की अवधि के दौरान सी.पी.सी.बी. के साथ पंजीकृत 45 पी.बी.ओ. के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि ये इकाइयां नियमों की अधिसूचना के समय परिचालन

में थीं। इसके अलावा, उन्होंने नौ दिनों¹¹³ से लेकर एक वर्ष¹¹⁴ से अधिक की देरी से पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।

नमूना राज्यों में, पंजाब पी.सी.बी. ने 2016-20 के दौरान 83 उत्पादकों को पंजीकरण प्रदान किया, जिन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जिसमें चार महीने से लेकर 3.7 साल तक की देरी थी। दिल्ली पी.सी.सी. ने 2019-20 के दौरान 77 उत्पादकों को पंजीकृत किया लेकिन उनकी अनुपलब्धता को कारण बताते हुए उनके पंजीकरण से संबंधित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। परिणामस्वरूप, पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विलम्ब, यदि कोई हो, का लेखापरीक्षा में निर्धारण नहीं किया जा सका। हालाँकि, डाटा की अनुपलब्धता का दिल्ली पी.सी.सी. का दावा अनुचित था, क्योंकि दिल्ली में प्लास्टिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए एकमात्र प्राधिकरण होने के नाते, उसके पास ये रिकॉर्ड होने चाहिए थे।

5.2.3.7.ए.3 पंजीकरण की अनियमित स्वीकृति

पी.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 के नियम 13(5) में प्रावधान है कि राज्य पी.सी.बी. और पी.सी.सी. प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण या प्रोसेसिंग इकाइयों को पंजीकरण जारी या नवीनीकृत नहीं करेंगे, जब तक कि इकाई के पास जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वैध सहमति न हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजाब पी.सी.बी. ने उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में, जल और वायु अधिनियमों के तहत, सात उत्पादकों और तीन पुनर्चक्रणकर्ताओं को उनकी सहमति की वैधता अवधि से परे पंजीकरण या पंजीकरण का नवीनीकरण प्रदान किया।

ध्यान दिलाने पर, पंजाब पी.सी.बी. ने आश्वासन दिया कि प्लास्टिक इकाइयों को उनकी वायु और जल सहमति के नवीनीकरण के लिए मनवाया जाएगा।

दिल्ली पी.सी.सी. ने लेखापरीक्षा को पंजीकरण की तिथि और सहमति से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए।

¹¹³ मैसर्स हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, नागपुर,

¹¹⁴ मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई

5.2.3.7.ए.4 पंजीकरण के नवीनीकरण में अनियमितताएं

पी.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 के नियम 13(11) में प्रावधान है कि पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति से कम से कम एक सौ बीस दिन पहले किया जाना चाहिए।

सी.पी.सी.बी. के साथ पंजीकृत पी.बी.ओ. के पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मार्च 2020 तक 14 पी.बी.ओ.¹¹⁵ का पंजीकरण पहले ही समाप्त हो चुका था, फिर भी उन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया; जबकि, 33 पी.बी.ओ.¹¹⁶ जिनके पंजीकरण मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गए थे, में नवीनीकरण के लिए आवेदन अब तक सी.पी.सी.बी. के पास लंबित हैं। हालांकि सी.पी.सी.बी. ने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करने वाले पी.बी.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन इसने ब्रांड मालिकों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लंबित आवेदनों के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की।

पंजाब में, 24 प्लास्टिक इकाइयाँ¹¹⁷ जिनका पंजीकरण 2018-20 की अवधि के दौरान समाप्त हो गया था, ने मार्च 2020 तक पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। इसके अलावा, 2017-20 के दौरान पंजाब एस.पी.सी.बी. के साथ नवीनीकरण के लिए दस प्लास्टिक इकाइयाँ¹¹⁸ ने चार महीने से लेकर 1.3 साल तक की देरी के साथ आवेदन किया।

दिल्ली के मामले में, पी.सी.सी. ने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत प्लास्टिक इकाइयों के पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की।

5.2.3.7.बी विस्तारित उत्पादक की जिम्मेदारी

विस्तारित उत्पादक की जिम्मेदारी (ई.पी.आर.) उत्पादों और सामग्रियों के जीवन के अंत तक/पूर्ण के प्रबंधन की जिम्मेदारी उनके संबंधित उत्पादकों को स्थानांतरित करना है। इसका उद्देश्य नगर पालिकाओं के बोझ को कम करने और उत्पादकों पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक सहभागी भौतिक और/या वित्तीय जिम्मेदारी स्थापित करने और

¹¹⁵ 13 ब्रांड के मालिक और एक निर्माता

¹¹⁶ 32 ब्रांड के मालिक और एक निर्माता

¹¹⁷ एक ब्रांड का मालिक, दो निर्माता, 14 निर्माता और सात रिसाइकलर

¹¹⁸ पांच उत्पादक और पांच पुनर्चक्रणकर्ता

निर्माताओं को संसाधन कुशल और कम प्रभाव वाले उत्पादों को डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना है।

पी.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 के नियम 3 (एच) में विस्तारित उत्पादक की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन के अंत तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रबंधन के लिए एक निर्माता की जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया गया है।

5.2.3.7.बी.1 विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी के लिए एक समान रूपरेखा का अभाव

यह पाया गया कि पूरे देश में असीमित संख्या में ब्रांड के मालिक/उत्पादक थे। हालांकि, इन नियमों में उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के साथ-साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल अभिनेताओं द्वारा ई.पी.आर. दायित्व की प्रभावी पूर्ति के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक रूपरेखा निर्धारित नहीं की गई थी।

पी.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 के संबंध में ई.पी.आर. को लागू करने के लिए एक समान ढांचे के अभाव में एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे उत्पादकों और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारियों या देनदारियों को तय नहीं कर सके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (दिसंबर 2019) के निर्देश पर, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अक्टूबर 2021 में एक ई.पी.आर. रूपरेखा को अधिसूचित किया था।

5.2.3.7.बी.2 उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट संग्रह के तौर-तरीकों को प्रस्तुत न करना

पी.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 के नियम 9(1) में प्रावधान है कि निर्माता, इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, विस्तारित उत्पादक की जिम्मेदारी (ई.पी.आर.) के आधार पर अपशिष्ट संग्रह प्रणाली के लिए तौर-तरीकों पर काम करेंगे और इसमें इन नियमों के तहत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने स्वयं के वितरण के माध्यम से चैनल/संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य शहरी विकास विभाग को शामिल करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2020 तक 144 निर्माता¹¹⁹ पंजाब पी.सी.बी. और दिल्ली पी.सी.सी. के साथ पंजीकृत थे। हालांकि, उनमें से किसी ने भी अब तक अपने संबंधित पी.सी.बी. या पी.सी.सी. को अपशिष्ट संग्रहण के तौर-तरीकों को प्रस्तुत नहीं किया था। इंगित किए जाने पर, पंजाब पी.सी.बी. ने बताया कि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में दिल्ली पीसीसी ने कोई टिप्पणी नहीं की।

5.2.3.7.बी.3 निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस एकत्र करने के लिए प्रणाली की स्थापना न करना

पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली 2016 के नियम 9(2) के अनुसार, इस्तेमाल किए गए बहु-स्तरित प्लास्टिक पाउच या पाउच या पैकेजिंग के संग्रह की प्राथमिक जिम्मेदारी ब्रांड मालिकों, आयातकों और उत्पादकों की है, जो उत्पादों को बाजार में पेश करते हैं। इसके अलावा, उन्हें अपने उत्पादों के कारण उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। स्थापना या संचालन या नवीनीकरण की सहमति के लिए आवेदन करते समय संग्रह की यह योजना एस.पी.सी.बी. को प्रस्तुत की जानी है। इसी तरह, पी.डब्ल्यू.एम. (संशोधन) नियम, 2018 के नियम 13(2) के अनुसार पी.सी.बी. के साथ पंजीकृत लोगों को पी.सी.बी. को कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

पी.सी.बी. ने कहा कि उसे 2018-20 के दौरान पंजीकृत सभी 92 उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पी.आई.बी.ओ.)¹²⁰ से कार्य योजना प्राप्त हुई थी, जो अपर्याप्त पाई गई थी। तदनुसार, उन्हें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के नवीनीकरण एवं आरोपण¹²¹, कारण बताओ नोटिस आदि जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे।

45 पी.बी.ओ. के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि-

- 15 पी.बी.ओ.¹²² ने अपने पंजीकरण के बाद से पी.सी.बी. को उनके द्वारा उत्पन्न

¹¹⁹ पंजाब पी.सी.बी. : 67 निर्माता और दिल्ली पी.सी.सी. : 77 निर्माता

¹²⁰ 88 ब्रांड के मालिक और चार निर्माता

¹²¹ 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत पर आधारित एक मुआवजा व्यवस्था। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत एकत्रित की गई धनराशि का उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रह और पुनर्चक्रण / जीवन के अंत के निपटान में उपयोग नहीं किया जाएगा, जिस पर पर्यावरण मुआवजा लगाया जाता है।

¹²² मैसर्स एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एबॉट इंडिया लिमिटेड, मैसर्स परफेटी वैन मेले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स डार इंडिया लिमिटेड, मैसर्स ग्लैक्सोस्मिथकलाइन कंज्यूमर

और एकत्र किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

- 14 पी.बी.ओ.¹²³ ने सी.पी.सी.बी. को प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन और संग्रह के लिए अपनी प्रगति रिपोर्ट आंतरायिक/असंतत तौर पर प्रस्तुत की थी। परिणामस्वरूप, उनके द्वारा उत्पन्न और एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका था।
- 16 पी.बी.ओ.¹²⁴ में से जिन्होंने अपनी प्रगति रिपोर्ट विधिवत प्रस्तुत की, 11 पी.बी.ओ. उनके द्वारा उत्पन्न पूरे प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस नहीं ले सके और उनके द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रह में 85 प्रतिशत तक की कमी थी।
- सी.पी.सी.बी. द्वारा नौ¹²⁵ पी.बी.ओ. के पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया था, फिर भी उन्होंने या तो अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की या इन्हें रुक-रुक कर प्रस्तुत किया था।

हेल्थकेयर लिमिटेड, मैसर्स मैरिको लिमिटेड, मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड, मैसर्स जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैसर्स मॉडर्न फूड एंटरप्राइजेज प्राइवेट। लिमिटेड, मैसर्स जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट। लिमिटेड, मैसर्स हर्षे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अजंता फार्मा लिमिटेड, मैसर्स आई.सी.ए. पिडिलाइट प्राइवेट लिमिटेड।

¹²³ मैसर्स म्दर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट. लिमिटेड, मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड, मैसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड, मैसर्स जनरल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आर.एस.पी.एल. लिमिटेड, मैसर्स टाटा ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड, मैसर्स हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट। लिमिटेड, मैसर्स मैककेन फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स प्रॉक्टर एंड गैबल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एस.सी. जॉनसन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मुरुगप्पा मॉर्गन थर्मल सेरामिक्स लिमिटेड, मैसर्स ल्यूपिन लिमिटेड, मैसर्स हेटेरो लैब्स लिमिटेड

¹²⁴ मैसर्स एम.वे. इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड (सिल्वर फ़ॉइल डिवीजन), मैसर्स डी.एस. स्पाइसको प्राइवेट. लिमिटेड, मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एशियन पेंट्स लिमिटेड, मैसर्स रेकित बैंकिज़र (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मैसर्स मीड जॉनसन न्यूट्रिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स टोरेट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, मैसर्स हरिता -एन.टी.आई. लिमिटेड, मैसर्स लुई ड्रेफस कंपनी इंडिया (पी) लिमिटेड, मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, मैसर्स जे.के. सीमेंट लिमिटेड

¹²⁵ मैसर्स जनरल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड, मैसर्स जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैसर्स मैककेन फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मैसर्स हर्षे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अजंता फार्मा लिमिटेड, मैसर्स आई.सी.ए. पिडिलाइट प्राइवेट लिमिटेड

नमूना राज्यों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 77 पंजीकृत उत्पादकों में से किसी ने भी अपने उत्पादों के कारण होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस एकत्र करने की अपनी प्रणाली दिल्ली पी.सी.सी. को प्रस्तुत नहीं की थी। कुल 87 पंजीकृत पी.आई.बी.ओ. में से केवल सात ब्रांड मालिक ही पंजाब पी.सी.बी. को संग्रह की अपनी योजना प्रस्तुत कर सके थे।

5.2.3.7.सी स्थानीय निकायों द्वारा पी.डब्ल्यू.एम. के लिए सिस्टम की स्थापना न करना

पी.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 के नियम 6(3) में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्पादकों की सहायता मांग कर प्रणाली¹²⁶ स्थापित करेगा और ऐसी प्रणाली इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्थापित की जाएगी, अर्थात्, 17 मार्च 2017 तक।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजाब और सिक्किम में चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने उत्पादकों की सहायता प्राप्त करके प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रणाली स्थापित नहीं की, क्योंकि वे अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे उत्पादकों से अवगत नहीं थे। यह पाया गया कि दिल्ली में, चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया कि उन्होंने अपना बुनियादी ढांचा स्थापित कर लिया है। तथापि, लेखापरीक्षा को इस टिप्पणी के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इंगित किए जाने पर, सिक्किम और पंजाब में यू.एल.बी. ने उत्तर दिया कि उत्पादकों का विवरण उनके संबंधित पी.सी.बी. से प्राप्त किया जाएगा और उत्पादकों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

5.2.3.7.डी प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में विसंगतियां

पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 के नियम 5(1)(ए) में यह परिकल्पना की गई है कि प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसे पुनर्चक्रित किया जा सकता है, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता के पास भेजा जाएगा और प्लास्टिक का

¹²⁶ प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रह, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए या तो स्वयं या एजेंसियों या उत्पादकों को शामिल करके बुनियादी ढांचे की स्थापना की प्रणाली।

पुनर्चक्रण भारतीय मानक आई.एस. 14534:1998 शीर्षक प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए दिशानिर्देश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजाब और सिक्किम में, शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण और चैनलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे और वही अपशिष्ट बीनने वालों, अनौपचारिक क्षेत्रों, कबाड़ डीलरों द्वारा किया गया था। इसलिए, ये शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि 0.16 मिलियन टन के अलग किए गए पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट को केवल भारतीय मानक का अनुपालन करने वाले पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को ही चैनलाइज़ किया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा, सिक्किम में राज्य में पुनर्चक्रण या प्रोसेसिंग इकाइयाँ नहीं हैं और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण योग्य अंश पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अपशिष्ट डीलरों को भेजा जा रहा है। दिल्ली में, नमूना किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक अपशिष्ट के चैनलीकरण और पुनर्चक्रण के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया था।

5.2.3.7.ई एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के अनुसार अक्रिय अपशिष्ट¹²⁷ का निपटान न करना

पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 के नियम 5(1)(डी) में प्रावधान है कि प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण या प्रोसेसिंग सुविधाओं से निष्क्रिय को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 के अनुपालन में निपटाया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि भूमि को भरना उन गैर-बायोडिग्रेडेबल निष्क्रिय अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट तक सीमित होगा जो रीसाइक्लिंग या जैविक प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली के सभी तीन नमूना शहरी स्थानीय निकायों ने रीसाइक्लिंग या प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं से निष्क्रिय अपशिष्ट के निपटान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करने का दावा किया था, हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई सबूत नहीं दिया गया था।

¹²⁷ अक्रिय अपशिष्ट वह अपशिष्ट होता है जो न तो रासायनिक रूप से और न ही जैविक रूप से प्रतिक्रियाशील होता है और न तो विघटित होता है या बहुत धीरे-धीरे होता है।

5.2.3.7.एफ सड़क निर्माण या ऊर्जा वसूली या अपशिष्ट से तेल आदि के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग न करना

पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 के नियम 5(1)(बी) में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय भारतीय सड़क कांग्रेस दिशानिर्देशों या ऊर्जा वसूली के अनुसार सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट (विशेषतः प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसे आगे पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता) के उपयोग या अपशिष्ट से तेल आदि को प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट मानकों और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजाब के चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-20 के दौरान सड़क निर्माण या ऊर्जा वसूली या अपशिष्ट से तेल निकालने आदि के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग नहीं किया था। सिक्किम प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग 2020 में केवल एक बार सड़क निर्माण के लिए कर सका, जब गंगटोक नगर निगम ने सड़क निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एन.एच.आई.डी.सी.एल.) को 500 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट दिया। दिल्ली में शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-20 के दौरान अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले रिफ्यूज्ड ड्राइव ईंधन के उत्पादन में 4,83,625 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया गया था।

इंगित किए जाने पर, पंजाब के शहरी स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने का आश्वासन दिया था।

5.2.3.7.जी गैर-पुनः उपयोग योग्य बहुपरत प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना

पी.डब्ल्यू.एम. नियम 9 के उपनियम (1) पी.आई.बी.ओ. जो कि बाजार में बहुस्तरीय प्लास्टिक¹²⁸, पेश करते हैं को निर्देशित करता है कि वह गैर पुनर्नवीनीकरण योग्य बहु-स्तरीय प्लास्टिक के निर्माणकर्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं, यदि कोई हो को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करे।

¹²⁸ पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री जिसमें मुख्य घटक के रूप में प्लास्टिक की कम से कम एक परत जिसमें कागज, पेपर बोर्ड, पॉलीमरिक सामग्री, धातु की परतें या एल्यूमीनियम पन्नी जैसी सामग्री की एक या अधिक परतों के संयोजन में या तो टुकड़े टुकड़े के रूप में या सह-निकाली गई संरचना।

सी.पी.सी.बी. ने 2015-20 के दौरान देश भर में एस.पी.सी.बी. या पी.सी.सी. के साथ पंजीकृत एम.एल.पी. के निर्माण में शामिल 1187 उत्पादकों का वर्ष-वार डाटा प्रदान किया था। हालांकि, इसने स्वीकार किया कि यह उन उत्पादकों के बारे में नहीं जानता था जिन्होंने गैर-पुनः उपयोग योग्य एम.एल.पी. के निर्माण को पूरी तरह से रोक दिया था या चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया था। दिल्ली पी.सी.सी. ने राज्य में गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य बहुस्तरीय प्लास्टिक के निर्माण या उपयोग में शामिल पी.आई.बी.ओ. के अस्तित्व से इंकार किया। पंजाब में, गैर-पुनर्नवीनीकरण एम.एल.पी. के निर्माण या उपयोग में शामिल पी.आई.बी.ओ. की जानकारी पी.एम.आई.डी.सी. द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। सिक्किम में, पी.सी.बी. और यू.एल.बी. को उत्पादकों के बारे में पता नहीं है, यदि कोई राज्य में काम कर रहा है।

5.2.3.7.एच थर्मोसेट प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रोसेसिंग और निपटान

पी.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 के नियम 5(1)(सी) में बताया गया है कि थर्मोसेट¹²⁹ प्लास्टिक अपशिष्ट को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संसाधित और निपटाया जाएगा।

सी.पी.सी.बी. ने स्वीकार किया कि उसे राज्य से थर्मोसेट प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए, यह स्थानीय निकायों द्वारा थर्मो-सेट प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटान के बारे में अपने स्वयं के दिशानिर्देशों के अनुपालन से अनजान है।

नमूना राज्यों में, लेखापरीक्षा को पंजाब पी.सी.बी. और दिल्ली के चयनित यू.एल.बी. में थर्मोसेट प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटान के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सिक्किम के लिए कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

5.2.4 पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 में उल्लंघन के लिए दंड के स्पष्ट प्रावधान का अभाव

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (पी.डब्ल्यू.एम.), 2016 प्रकाशित किया था। अधिनियम की धारा 15(1) में प्रावधान है कि जो कोई भी

¹²⁹ एक प्लास्टिक जो गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है और इसलिए उसे वांछित आकार में नहीं बदला जा सकता है

अनुपालन करने में विफल रहता है या इस अधिनियम, या इसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, ऐसी प्रत्येक विफलता या उल्लंघन के संबंध में, कारावास जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों द्वारा दंडनीय होंगे। यदि विफलता या उल्लंघन जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माना पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके दौरान ऐसी विफलता या उल्लंघन पहली बार ऐसी विफलता या उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहता है।

नमूना राज्यों में, एस.पी.सी.बी. और पी.सी.सी. ने बताया कि उन्होंने पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली 2016 में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित नहीं किया है। लेखापरीक्षा ने भी पाया कि पी.डब्ल्यू.एम. नियमों में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव था क्योंकि इन नियमों ने न तो उल्लंघन के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किया था और न ही इस उद्देश्य के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम में निहित प्रावधानों का कोई संदर्भ दिया था। बाद में, सी.पी.सी.बी. ने सितंबर 2020 में एन.जी.टी. द्वारा निर्देशित होने पर दिसंबर 2020 में पी.डब्ल्यू.एम. नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक पर्यावरण मुआवजा व्यवस्था (ई.सी.आर.)¹³⁰ तैयार की थी। हालांकि, यह व्यवस्था अक्टूबर 2021 में केवल ई.पी.आर. की अधिसूचना के साथ लागू हुई।

इस प्रकार, पी.डब्ल्यू.एम. नियमों में शास्ति लगाने पर स्पष्टता की कमी ने न केवल इन नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को बिना दण्ड के छोड़ दिया बल्कि इन नियमों की प्रभावशीलता को भी कम कर दिया था।

5.2.5 प्लास्टिक अपशिष्ट से पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए जोखिम की पहचान न करना

जल और मृदा संदूषण और वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव है। जब पौधे मिट्टी में मौजूद संदूषक को जड़ों के रास्ते लेते हैं तो यह संदूषक उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा, माइक्रो-प्लास्टिक¹³¹ भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि समुद्र, झीलों सहित हवा और पानी दोनों में पाई जाती है। माइक्रो-प्लास्टिक इतने छोटे

¹³⁰ शर्तों के उल्लंघन या झूठी सूचना/प्रमाणपत्रों के मामले में पी.आई.बी.ओ., पुनर्चक्रणकर्ताओं और अंतिम जीवन संसाधकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आरोपण और संग्रह के लिए एक व्यवस्था।

¹³¹ प्लास्टिक के टुकड़े जो पाँच मिलीमीटर (मि.मी.) से कम माप के होते हैं, एक इंच के एक चौथाई से भी कम।

होते हैं कि सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंच सकते हैं। ये किसी अन्य बाह्य अवयव की तरह हमारे श्वासनलियों में प्रवेश करने पर हानिकारक हो सकते हैं। हानि या क्षति को नियंत्रित करने या कम करने की योजना बनाने के लिए जोखिमों की पहचान आवश्यक है। इसलिए, अपशिष्ट द्वारा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जोखिमों की पहचान करना आवश्यक है ताकि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को होने वाली हानि को कम किया जा सके।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल और वायु प्रदूषण से संबंधित जांच और अनुसंधान को प्रायोजित करने तथा वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना अनिवार्य है। हालांकि, लेखापरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावों की पहचान करने के लिए किया गया एकमात्र कार्य दिसंबर, 2015 में किया गया था, जब सी.पी.सी.बी. ने 'लखनऊ डंपसाइट्स पर "मिट्टी और पानी की गुणवत्ता पर प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के प्रभाव" का अध्ययन किया था। अध्ययन में, यह सिफारिश की गई थी कि प्लास्टिक अपशिष्ट का ढेर लगाने का अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह विभिन्न श्रेणियों के प्लास्टिक उत्पादों में मौजूद योजक, रंग, स्थायीकारक और भरावन पदार्थ के लीचिंग के कारण मिट्टी और भूमिगत जल की गुणवत्ता को खराब करता है।

हालांकि, सी.पी.सी.बी. ने अभी तक पूरे देश में वायु में और मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रदूषण का आंकलन नहीं किया है। नमूना राज्यों में, पर्यावरण विभाग, एन.सी.टी. दिल्ली सरकार और पंजाब पी.सी.बी. ने स्वीकार किया कि आज तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

5.2.6 अनुवीक्षण

अनुवीक्षण निर्धारित मानकों के संबंध में प्रदूषण के स्तर का आंकलन करने में मदद करती है। मानक, प्रदूषण में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने के लिए एक नियामक उपाय हैं। मजबूत निगरानी लोगों को सतर्क करके और कार्रवाई शुरू करके चरम घटनाओं से बचाने में मदद करती है।

चूँकि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यू.एल.बी. और आर.एल.बी. जमीनी स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए निगरानी के माध्यम से यह

सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कार्यान्वयन निकाय निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके लिए पी.डब्ल्यू.एम. के नियमों में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। तथापि, लेखापरीक्षा करने पर यह पाया गया कि ये नियम केन्द्रीय स्तर पर कार्यान्वयन की समग्र निगरानी के लिए एक नोडल विभाग या निकाय की पहचान करने के मामले पर चिन्हित पर मौन हैं।

अनुवीक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने मार्च 2021 में प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को पी.डब्ल्यू.एम.आर. 2016 के परिपालन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने और एस.यू.पी. को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य, जिला और शहर स्तर पर विभिन्न विभागों/एजेंसियों के संसाधनों की चिन्हित गतिविधियों समय-सीमाएं तथा तालमेल के प्रयास शामिल हैं। इसी प्रकार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने और चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए, भारत सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रालयों/विभागों की समग्र भागीदारी¹³² के साथ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन (जून 2021) एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने किया। हालांकि, राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने अभी तक इस उद्देश्य के लिए कोई भी कार्य योजना तैयार नहीं की है और केवल 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने टास्क फोर्स का गठन किया है। आँकड़ों के अभाव में किसी भी प्रकार की अनुवीक्षण निष्प्रभावी होगा।

5.2.6.1 वार्षिक विवरण

पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 के नियम 17 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन के लिए प्लास्टिक इकाइयों से मंत्रिस्तरीय स्तर तक एक नीचे से ऊपर की ओर पदानुक्रमित वार्षिक रिपोर्टिंग रूपरेखा निर्धारित की गयी है। नियमानुसार, प्लास्टिक अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग इकाइयों को हर साल

¹³² सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (अध्यक्ष के रूप में) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; वाणिज्य विभाग; उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; उपभोक्ता मामले विभाग; पेयजल और स्वच्छता विभाग; विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग; रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के सचिव के प्रतिनिधि और सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के मुख्य सचिव/प्रशासक के प्रतिनिधि (सदस्य के रूप में)

30 अप्रैल तक संबंधित स्थानीय निकाय को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। बदले में, स्थानीय निकाय 30 जून तक संबंधित एस.पी.सी.बी. या पी.सी.सी. को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सभी एस.पी.सी.बी. या पी.सी.सी. को अपनी वार्षिक रिपोर्ट 31 जुलाई तक सी.पी.सी.बी. को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसे समेकित किया जाएगा और हर साल 31 अगस्त से पहले समेकित कर सिफारिशों के साथ केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

2015-16 से 2019-20 के दौरान सी.पी.सी.बी. द्वारा छह महीने से एक वर्ष तक की देरी के साथ एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। सी.पी.सी.बी. ने इस देरी के लिए एस.पी.सी.बी. और पी.सी.सी. द्वारा वार्षिक रिपोर्ट देर से प्रस्तुत करने और पी.डब्ल्यू.एम. से संबंधित कई कार्यों के यथासमय और कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक जनशक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहराया था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में 2015-20 के दौरान कई पी.सी.बी. और पी.सी.सी. (नमूना राज्यों सहित) द्वारा एक वर्ष तक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने या देरी से प्रस्तुत करने का भी अवलोकन किया था।

इन मामलों में, सी.पी.सी.बी. ने समय-समय पर संबंधित एस.पी.सी.बी. और पी.सी.सी. को अनुस्मारक जारी किए थे। अक्टूबर 2020 में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए मंत्रालय के साथ भी संवाद किया था। मंत्रालय की मंजूरी अभी तक प्रतीक्षित है।

प्रतिदर्श राज्यों में वार्षिक प्रतिवेदन विवरण अप्रस्तुतीकरण विलम्ब से प्रस्तुत करने की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- 2015-20 के दौरान पंजाब और दिल्ली में किसी भी शहरी स्थानीय निकाय को प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ताओं या प्रक्रमकों से वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अलावा, पंजाब में चयनित शहरी स्थानीय निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे पुनर्चक्रणकर्ताओं के बारे में जानकारी नहीं थी; जबकि दिल्ली में एस.डी.एम.सी. को ऐसी वार्षिक रिपोर्टिंग की जानकारी तक नहीं थी।
- पंजाब में 18 चयनित यू.एल.बी. में से पांच ने स्थानीय सरकारी विभाग और पंजाब पी.सी.बी. के सचिव को वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया था। 2015-16 में, दिल्ली के सभी शहरी स्थानीय निकायों ने डी.पी.सी.सी. को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

इसके अलावा, दो यू.एल.बी. (एस.डी.एम.सी. और एन.डी.एम.सी.) ने 2016-17 और 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट 37 से 172 दिनों की देरी से प्रस्तुत की।

- सिक्किम में, सभी चयनित यू.एल.बी. ने 2015-20 के दौरान सचिव, यू.डी.डी. और इसके पी.सी.बी. को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

उपरोक्त विसंगतियों के कारण, सी.पी.सी.बी. ने देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अधूरी और विलंबित जानकारी प्राप्त की और इसे निर्णय लेने के लिए मंत्रालय को निर्णय लेने के लिए समेकित कर अग्रेषित किया था।

5.2.6.2 राज्य स्तरीय सलाहकार समिति और उसकी बैठकें

पी.डब्ल्यू.एम. नियमावली, 2016 के नियम 16(1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार इन नियमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से निर्धारित रूप में एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करेगी। समिति छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि दिल्ली में एस.एल.ए.सी. का गठन जुलाई 2016 में किया गया था और तब से 2016-20 के दौरान आठ अनिवार्य बैठकों के विरुद्ध एस.एल.ए.सी. की 13 बैठकें आयोजित की गई थीं। हालांकि एस.एल.ए.सी. की बैठकों में की गई सिफारिशों के और यू.एल.बी. द्वारा उनकी अनुवर्ती कार्रवाई के सत्यापन के लिए इन बैठकों के कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

पंजाब और सिक्किम में, एस.एल.ए.सी. का गठन एक वर्ष से अधिक की देरी से किया गया था और दोनों राज्य निर्धारित आवृत्ति के अनुसार बैठकें आयोजित करने में विफल रहे। पंजाब केवल तीन¹³³ बैठकें आयोजित कर सका; सिक्किम 2017-20 के दौरान एस.एल.ए.सी. की सिर्फ एक¹³⁴ बैठक का प्रबंधन कर सका था। इसके अलावा, एस.एल.ए.सी., पंजाब में ग्रामीण स्थानीय निकायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

5.2.6.3 प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी के लिए दिशा-निर्देशों और मानकों का अभाव

सी.पी.सी.बी., जो प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण का आंकलन करने के लिए संघ स्तर पर संगठन है, ने स्वीकार किया कि उसने सतही जल, मिट्टी में प्लास्टिक प्रदूषण

¹³³ 2017-20 के दौरान छह बैठकों के मुकाबले केवल तीन (फरवरी 2019, अगस्त 2019 और मार्च 2020) बुलाई जानी थी

¹³⁴ 2017-20 के दौरान छः बैठकों की तुलना में केवल एक (मार्च 2018) बुलाई जानी थी

और हवा में सूक्ष्म प्लास्टिक की निगरानी के लिए कोई दिशानिर्देश या मानक तैयार नहीं किए हैं। इसने अभी तक इस उद्देश्य के लिए किसी निकाय का गठन भी नहीं किया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा चेन्नई में डंपसाइट के पास कुओं में माइक्रो-प्लास्टिक की उपस्थिति का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। हालाँकि, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी बाकी है और इस उद्देश्य के लिए अक्टूबर 2021 तक समय बढ़ाने की मांग की है।

पंजाब पी.सी.बी. ने भी इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाने की बात स्वीकार की है। दिल्ली पी.सी.सी. ने बताया कि उसने सतही जल, मिट्टी और हवा में माइक्रोप्लास्टिक और हवा में प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी के लिए न तो दिशा-निर्देश/मानक तैयार किए हैं और न ही इस उद्देश्य के लिए किसी निकाय का गठन किया है।

5.2.6.4 केंद्रीय स्तर पर पी.आई.बी.ओ. की राष्ट्रीय सूची का अभाव

केंद्रीय स्तर पर पी.आई.बी.ओ., निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं आदि की एक सूची या डाटाबेस देश भर में उत्पन्न और संसाधित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा के आकलन के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है। यह सी.पी.सी.बी. को गैर-पंजीकृत पी.आई.बी.ओ. और स्वयं के साथ-साथ एस.पी.सी.बी. या पी.सी.सी. से बकाया पंजीकरण के नवीनीकरण पर नजर रखने में भी मदद करता है।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बताया कि पी.आई.बी.ओ. की सूची को बनाए रखने की जिम्मेदारी सी.पी.सी.बी., और एस.पी.सी.बी. और पी.सी.सी. की है, क्योंकि वे पंजीकरण प्राधिकरण हैं। सी.पी.सी.बी. ने स्वीकार किया कि उसने उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों, निर्माताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं की वार्षिक सूची नहीं रखी थी। तथापि, सी.पी.सी.बी. द्वारा संबंधित एस.पी.सी.बी. और पी.सी.सी. द्वारा वेबसाइटों पर अपलोड की गई जानकारी के आधार पर 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1419 पुनर्चक्रणकर्ताओं की सूची प्रदान की गई।

इसलिए, सूची के अभाव में, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. यह सुनिश्चित नहीं कर सका है कि राज्यों में पंजीकरण या पंजीकरण का नवीनीकरण तेज गति से चल रहा था और पी.डब्ल्यू.एम. नियमों का अनुपालन प्रभावी और कुशल तरीके से किया जा रहा है।

5.2.7 निष्कर्ष

प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन, उसके संग्रह और सुरक्षित निपटान के आंकलन के लिए एक मजबूत तंत्र मौजूद नहीं है। हितधारक, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी., सी.पी.सी.बी., एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. उत्पादन को नियंत्रित करने, संग्रहण के लिए प्रभावी प्रणाली और सुरक्षित निपटान के लिए मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा बनाए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी पर जोर देने के लिए व्यापकता का अभाव है। राज्य के शहरी विभागों द्वारा पी.डब्ल्यू.एम. नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए स्थानीय निकायों के उपनियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। मूल्यांकन के लिए एक समान कार्यप्रणाली के अभाव में, अपूर्ण और अमान्य डाटा को निर्णय लेने के लिए मंत्रालय को भेजा जाता है। सी.पी.सी.बी. और एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. के लापरवाह दृष्टिकोण के कारण प्लास्टिक इकाइयों को वैध पंजीकरण के बिना काम करने की अनुमति दी गई। त्रि-स्तरीय कार्यनीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी जिससे पी.डब्ल्यू.एम. नियमों के कार्यान्वयन में अप्रभावी हो गया था। विस्तारित निर्माता की जिम्मेदारी के एक समान ढाँचे के गैर-निर्माण के परिणामस्वरूप पी.डब्ल्यू.एम. नियमों के अनुसार पी.आई.बी.ओ. की सहायता से प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस इकट्ठा करने और प्रोसेसिंग की एक प्रणाली का विकास नहीं हो पाया। निगरानी प्रणाली के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण को कम करने में योगदान करने के लिए पी.डब्ल्यू.एम. नियमों के कार्यान्वयन को अप्रभावी बना दिया था। प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन में विफलता दोषपूर्ण दीर्घकालिक रूप से स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है एवं इस मुद्दे को सरकार को प्रमुखता से उठाना चाहिए।

5.2.8 अनुशंसाएं

- (i) एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को अपनी एजेंसियों (सी.पी.सी.बी., एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी.) के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रह और निपटान के संबंध में प्रभावी डाटा संग्रह के लिए एक प्रणाली स्थापित करने और उनके कार्य निष्पादन के अनुवीक्षण की आवश्यकता है।
- (ii) सी.पी.सी.बी. और राज्य पी.सी.बी./पी.सी.सी. के समन्वयन में स्थानीय निकायों को समय-समय पर उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का एक

व्यापक मूल्यांकन करने और आबादी का आकार, क्षेत्र के भौगोलिक आकार, आर्थिक विकास, उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग और विनिर्माण प्रणालियों आदि में परिवर्तन जैसे मानकों के अनुसार डाटा एकत्र करने की आवश्यकता है।

- (iii) सी.पी.सी.बी. और राज्य के पी.सी.बी./पी.सी.सी. अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे सभी पी.आई.बी.ओ. की पहचान और पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि निर्माता की विस्तारित जिम्मेदारी के प्रावधानों का पालन किया जा सके।
- (iv) स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली को निगमित करते हुए अपने उप-नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं।

5.3 प्रदर्शन परियोजना पर ₹ 73.35 लाख का निष्फल व्यय।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अप्रभावी अनुवीक्षण तथा वित्तीय सहायता में विलंब का परिणाम प्रदर्शन परियोजना से पर्यावरणीय लाभों की अप्राप्ति तथा ₹ 73.35 लाख के निष्फल व्यय के रूप में हुआ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, (सी.एल.आर.आई.), चेन्नई की स्थापना, शोध, प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण, प्रशिक्षण एवं औद्योगिक सहयोग एवं नीति निर्माण तथा भारतीय चर्म के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित कराने के माध्यम से चर्म तथा सहयोगी क्षेत्रों के लिए की गई थी। दिसम्बर 2015 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुल ₹ 77.11 लाख की परियोजना लागत से केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चेन्नई को 'चर्म के ठोस कचरे और अपशिष्ट उपचार स्लजसे से बायो इथेनॉल, बायो डीजल, बायो हाइड्रोजन और मीथेन के क्रमिक उत्पादन' नामक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया। परियोजना का उद्देश्य पर्यावरणीय संतोषणीय तरीके से चर्म के अपशिष्ट के उपचार का प्रदर्शन करना था। परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के रूप में इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि औद्योगिक व्यापार साझेदार, (रैनीटेक सी.ई.टी.पी. प्रा.लि.) को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा संस्वीकृत ₹ 77.11 लाख के अतिरिक्त ₹ 35 लाख का अंशदान करना था। प्रत्याशित परिणामों को पर्यावरणीय लाभों को देखते हुए, परियोजना को तीन वर्ष के लिए एक तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी। लेकिन समय के साथ उसे मार्च 2020

तक बढ़ा दिया गया। निदर्शन परियोजना होने के नाते, परियोजना में निम्न प्रकार के विशिष्ट भौतिक विवरण शामिल थे।

तालिका 5.5 परियोजना में सम्मिलित विशिष्ट भौतिक विवरण

क्रम संख्या	इकाई का नाम	उत्पादन
1.	बायो-डीजल रिकवरी	प्रतिदिन अपशिष्ट का 80-110 लीटर/ड्राई टन
2.	बायो-एथेनॉल रिकवरी	प्रतिदिन अपशिष्ट का 150 लीटर/ड्राई टन
3.	बायो-हाइड्रोजन रिकवरी	प्रतिदिन अपशिष्ट का 55 घन मीटर/ड्राई टन
4.	बायो-मीथेन रिकवरी	प्रतिदिन अपशिष्ट का 70 घन मीटर/ड्राई टन

इसमें उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं में कम से कम 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन एवं 3 पी.एच.डी. डिग्री शामिल हैं। इस कारक परियोजना के अंतर्गत चर्मशोधन कारखानों के लिए प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक, बेहतर प्रदूषण उपशमन तकनीक, भूजल संदूषण को रोकना, प्रभावी ग्रीनहाउस उत्सर्जन आदि जैसे पर्यावरणीय लाभ शामिल थे। इस परियोजना का नेतृत्व औद्योगिक व्यापार साझेदार (रैनीटेक सी.ई.टी.पी. प्रा.लि.) की सहायता से एक प्रमुख अन्वेषक¹³⁵ द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि (जनवरी 2022) 4 अलग ईंधन रिकवरी इकाइयों में से केवल एक इकाई (बायो डीजल रिकवरी) ही मार्च 2018 में स्थापित की गई जोकि परियोजना प्रस्ताव में अनुमानित आउटपुट के अनुसार 80 लीटर बायो डीजल का उत्पादन कर रही थी। मई 2022 तक अन्य 3 इकाइयों में से कोई भी इकाई सफल नहीं हो पाई थी। साथ ही उच्च प्रभाव कारक वाली पत्रिकाओं के 10 प्रकाशन और तीन पी.एच.डी. डिग्री के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाये थे।

परियोजना के सफल कार्यान्वयन में समर्पित तकनीकी जनशक्ति के साथ-साथ, विशाल डेटा, डिजाइन, कार्यों का निष्पादन और कमीशन भी सम्मिलित है। फिर भी एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा परियोजना के प्रबंधन में कई कमियाँ देखने को मिली जैसे कि परियोजना फैलोशिप की राशि को संशोधित करने के सी.एल.आर.आई के अनुरोध को क्रियान्वित ना करना जिसके चलते सी.एल.आर.आई. परियोजना में लगे हुए परियोजना फैलोज को रोकने में असमर्थ रहा; औद्योगिक सहयोगी से औपचारिक प्रतिबद्धता प्राप्त न कर पाना, जिसके कारण औद्योगिक सहयोगी की भागीदारी कम

¹³⁵ पी.आई. एक शोध अनुदान की तैयारी, प्रशासन और निष्पादन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है और परियोजना के लिए प्रमुख शोधकर्ता है।

हुई तथा परियोजना की प्रगति की नियमित निगरानी भी नहीं हो सकी जिससे परियोजना का समय पर होने वाला क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण निम्न प्रकार है:

क) वर्ष 2015-17 के दौरान एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को प्रमुख अन्वेषक (पी.आई.) से संशोधित दरों पर फैलोशिप जारी करने तथा उपकरणों की लागत में वृद्धि होने के कारण बजट बढ़ाने की मांग की गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि ये अनुरोध विशेषज्ञ समिति¹³⁶ के सामने तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ही नहीं किये गये। अतः एकीकृत वित्त विभाग (आई.एफ.डी.) ने सहमति नहीं दी। इसके बजाय, आई.एफ.डी. ने कहा (जनवरी 2020) कि फैलोशिप का संशोधन तथा अगली किस्त को जारी करना, अव्ययित शेष¹³⁷ के उपयोग के बाद किया जा सकता है। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के औपचारिक अनुमोदन के बिना, सी.एल.आर.आई. फैलोशिप राशि को संशोधित करने में असमर्थ था। हमने यह भी पाया कि फैलोशिप हेतु कुल ₹ 27.22 लाख परिशोधित बजट के प्रति, केवल ₹ पाँच लाख निर्गत किए गए थे तथा शेष ₹ 22.22 लाख परियोजना अवधि के लगभग चार वर्षों के उपरांत जनवरी 2020 तक देरी के साथ जारी किए गए। जिसके फलस्वरूप, कुछ परियोजना फैलोज ने फैलोशिप का भुगतान ना होने के कारण इस्तीफा दे दिया। अतः मंत्रालय की ओर से प्रशासनिक खामियों के कारण परियोजना हेतु वित्तीय सहायता के निर्माचन में विलंब हुआ।

ख) परियोजना के अनुमोदन के लिए प्रमुख शर्तों में से एक शर्त इसे पी.पी.पी. मोड में लागू करने की थी। हमने यह देखा कि कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियों तथा चूक होने की स्थिति में के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बजाए मैसर्स रैनीटेक सी.ई.टी.पी. प्रा.लि. ने महज एक उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए ₹ 35 लाख का उपक्रम प्रस्तुत किया था। जिसे परियोजना के अनुमोदन के लिए स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि जुलाई 2019 तक, व्यापार साझेदार से ₹ 15 लाख प्राप्त हुए थे। व्यापार साझेदार ने (जनवरी 2022) बताया कि कुल ₹ 65 लाख (₹ 15 लाख मिलाकर) का व्यय इस परियोजना पर किया जा चुका है हालांकि ₹ 50 लाख योगदान का कोई हिसाब कैश या किसी रिकॉर्ड के रूप में नहीं मिला। स्पष्ट जिम्मेदारियों और प्रवर्तन के प्रभावी तंत्र के लिए समझौता ज्ञापन के अभाव में, व्यापार साझेदार द्वारा वित्तीय

¹³⁶ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पर्यावरण प्रभाग में अनुसंधान की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था

¹³⁷ वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2019-20 तक ₹ 18,96,783 की अव्ययित शेष राशि

प्रतिबद्धता प्राप्त नहीं हुई। व्यापार साझेदार की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, इस प्रकार परियोजना के कार्यान्वयन के पी.पी.पी. मोड का संपूर्ण उद्देश्य विफल रहा।

ग) लेखापरीक्षा में देखा गया कि परियोजना के दिसंबर 2015 में अनुमोदित होने के बाद एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा परियोजना की निगरानी प्रभावी रूप से नहीं की गई थी और परियोजना की प्रथम समीक्षा संचालन समिति द्वारा केवल सितम्बर 2018 में की गई थी। इसके बाद जुलाई 2019 में तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति द्वारा लगभग चार साल के अंतराल के बाद समीक्षा की गई। जुलाई 2019 में हुई समीक्षा में पी.आई. से परियोजना को मार्च 2020 तक पूरा करने को कहा गया। उसके बाद मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पी.आई. ने जनवरी 2022 में मंत्रालय से परियोजना की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाने हेतु कहा था। मई 2022 तक भी परियोजना अधूरी है।

इन अवलोकनों के उत्तर में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने (मई 2022) में बताया कि बचे हुए तीन संयंत्र, बायो-एथेनॉल, बायो-हाईड्रोजन और बायो-मीथेन अपने समापन के अलग-अलग चरणों में हैं तथा पी.आई. ने परियोजना को पूर्ण करने के लिए छह अतिरिक्त महीनों की मांग की है जिसे एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। इस तरह कई बार समय सीमा बढ़ाने के बाद भी अभी तक बस एक सुविधा स्थापित की जा सकी है। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. फैलोशिप विलंब से जारी करने के मुद्दे पर मौन रहा।

इस तरह ₹ 73.35 लाख की राशि जारी करने तथा पांच साल बाद भी परियोजना के प्रयोजन एवं प्रदेयताएँ अधूरे रहे। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा समय से राशि जारी करने की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तथा निजी औद्योगिक व्यापार साझेदार के साथ कार्य संबंध स्थापित करने में कई खामियाँ रही। इस सबके फलस्वरूप परियोजना को लागू करने में अत्यधिक विलंब हुआ जिससे कई पर्यावरणीय लाभ जैसे कि चमड़े के कारखानों के लिए प्रभावी ठोस अपशिष्ट का निपटान, बेहतर प्रदूषण उपचार की तकनीकें, भूजल संदूषण को रोकना और प्रभावी ग्रीन हाउस उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकी के साथ-साथ उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं में कम से 10 अंतर्राष्ट्रीय और तीन पी.एच.डी डिग्री प्रकाशन वाली परियोजना अधूरी रही। इसके अतिरिक्त, परियोजना पर इसका परिणाम ₹ 73.35 लाख के निष्फल व्यय के रूप में हुआ।

5.4 बैंक से ₹ 96.72 लाख के किराये की कम वसूली

औपचारिक पट्टा करार के अभाव का परिणाम ₹ 96.72 लाख के किराये राजस्व की हानि के रूप में हुआ।

जी.एफ.आर. 2005 का नियम 208 (iii) तथा जी.एफ.आर. 2017 का नियम 229 (iv) उपबंधित करता है कि नये या पहले से विद्यमान सभी स्वायत्त संगठनों को आंतरिक संसाधनों के अधिकतम उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा अंततः आत्म-दक्षता प्राप्त करनी चाहिए।

संपदा निदेशालय, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय (वर्तमान में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) के कार्यालय जापन दिनांक 16 मार्च 1999 के अनुसार, लाइसेन्स शुल्क को बाजार दर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष पर प्रत्येक तीन वर्ष में समान परिशोधन सहित, कार्यालयीन परिसर से परिचालित वाणिज्यिक संगठनों से प्रभारित किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात, संपदा निदेशालय (डी.ओ.ई.) ने आगे समय-समय पर इन दरों को परिशोधित किया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू.आई.आई.)- देहरादून ने अपने चन्द्रबनी, देहरादून परिसर में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को इसका विस्तार काउंटर खोलने के लिए 54.39 वर्ग मी. (585.45 वर्ग फुट) की माप का स्थल उपलब्ध (दिसंबर 1993) कराया।

लेखापरीक्षा में प्रेक्षित किया गया कि:

- आंबटित स्थल पर, डब्ल्यू.आई.आई. ने डी.ओ.ई. द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ₹ 2,175.60 प्रति माह की लाइसेन्स शुल्क प्रभारित (दिसंबर 1993) की और तदनुसार, यू.बी.आई. द्वारा लाइसेन्स शुल्क का भुगतान किया गया था। तथापि, डब्ल्यू.आई.आई. ने इस स्थल को उपलब्ध कराने हेतु यू.बी.आई. के साथ कोई पट्टा करार नहीं किया था।
- इसके अतिरिक्त, डब्ल्यू.आई.आई. ने यू.बी.आई. को अप्रैल 2006, मई 2010 तथा मई 2012 में अतिरिक्त आवास आंबटित किया। तथापि, इस स्थल हेतु लाइसेन्स शुल्क पुरानी दरों पर निर्धारित की गयी थी और डी.ओ.ई. द्वारा जारी

परिशोधित दरों के अनुसार नहीं। डब्ल्यू.आई.आई. ने अतिरिक्त स्थल उपलब्ध कराने हेतु यू.बी.आई. के साथ कोई पट्टा करार नहीं किया था।

- जुलाई 1999 में, डब्ल्यू.आई.आई. ने यू.बी.आई. से डी.ओ.आई. द्वारा निर्धारित दरों के मिलान हेतु लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि करने का अनुरोध किया परंतु यू.बी.आई. इससे सहमत नहीं हुआ।
- डब्ल्यू.आई.आई. ने मई 2012 में लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि हेतु यू.बी.आई. के साथ मामले का अनुकरण किया लेकिन उसके बाद जनवरी 2013 से किराया बढ़ाने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (जून 2019) किए जाने के पश्चात्, डब्ल्यू.आई.आई. ने अप्रैल 2019 से आरंभ करते हुए ₹ 47,654.64 प्रति माह¹³⁸ के किराये के साथ 1,444.08 वर्ग फुट¹³⁹ के स्थल क्षेत्र वाली उपर्युक्त संपत्ति के लिए यू.बी.आई. के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए। यू.बी.आई. द्वारा अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 तक लाइसेन्स शुल्क के रूप में ₹ 16.58 लाख की राशि का डब्ल्यू.आई.आई. को भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में प्रेक्षित किया कि जनवरी 1996¹⁴⁰ से दिसंबर 2021 तक की अवधि हेतु डी.ओ.आई. द्वारा निर्धारित लाइसेन्स शुल्क के अनुसार, भुगतान योग्य लाइसेन्स शुल्क ₹ 122.23 लाख आंकलित की गयी। इसमें से, डब्ल्यू.आई.आई. ने केवल ₹ 25.51 लाख की वसूली की, जिसका परिणाम औपचारिक पट्टा करार के अभाव के कारण ₹ 96.72 लाख की लाइसेन्स शुल्क की कम वसूली के रूप में हुआ।

लाइसेन्स शुल्क की कम वसूली को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के अंतर्गत दूसरा सरकारी स्वायत्त संस्थान (वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान, देहरादून) वर्तमान में अपने परिसर में छोटे क्षेत्र हेतु उसी बैंक से ₹ 62,016 प्रति माह की यथोचित राशि प्राप्त कर रहा है।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने उत्तर में कहा (फरवरी 2022) कि बाजार दर तथा यू.बी.आई. द्वारा अपनी निकट शाखाओं में प्रदत्त लाइसेन्स शुल्क के आधार पर, अप्रैल 2019 से ₹ 47,655 की राशि के लाइसेन्स शुल्क जी.एस.टी. सहित को बैंक और डब्ल्यू.आई.आई. द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। तथापि, तथ्य यह रहता है कि लाइसेन्स शुल्क की

¹³⁸ ₹ 33 प्रति वर्ग फुट की दर पर जी.एस.टी. सहित

¹³⁹ 134 वर्ग मीटर के समान

¹⁴⁰ दिसंबर 1993 से दिसंबर 1995 तक, डी.ओ.ई. दरों के अनुसार यू.बी.आई. द्वारा प्रदत्त किराया

सहमत राशि डी.ओ.ई. द्वारा निर्धारित दर का मात्र 53 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, विगत अवधि अर्थात् जनवरी 1996 से मार्च 2019 हेतु कम लाइसेन्स शुल्क के लिए कोई वसूली नहीं की गयी है।

अतः औपचारिक पट्टा करार के अभाव में, डब्ल्यू.आई.आई. को ₹ 96.72 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह अनुशंसा की जाती है कि डब्ल्यू.आई.आई. उपर्युक्त व्यपगत बिन्दुओं हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करे।


नई दिल्ली
दिनांक: 06 सितंबर 2022

संजय कुमार झा

(संजय कुमार झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 09 सितंबर 2022


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-2.1

[पैरा संख्या 2.1.2.1.ए. में संदर्भित]

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन

तालिका 1: डब्ल्यू.आई.एल. (मार्च 2008/मई 2016) के मूल्य के प्रति एस.वी.ए.पी.एल. (मई 2019) के मूल्य में अंतर

क्र.सं.	प्रखण्ड	माह/वर्ष	डब्ल्यू.आई.एल. का प्रति इकाई (₹ लाख में) आधार मूल्य	उपर्युक्त संविदा के अनुसार आदेशित इकाइयों की संख्या	एस.वी.ए.पी.एल. का प्रति इकाई (₹ लाख में) का आधार मूल्य	एस.वी.ए.पी.एल. की प्रति इकाई की तुलना में डब्ल्यू.आई.एल. के प्रति इकाई आधार मूल्य में अंतर (₹ लाख में)	कुल अंतर (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)	(8) = (7)x(5)
1	एच.ई.एस.	मार्च 2008	116.05 ¹⁴¹	22	98.50	17.55	386.10
2	एन.ई.एस.	मार्च 2008	106.37 ¹⁴²	22	88.40	17.97	395.34
3	एच.ई.एस.	मई 2016	184.10 ¹⁴³	17	98.50	85.60	1455.20
4	एन.ई.एस.	मई 2016	168.76 ¹⁴⁴	17	88.40	80.36	1366.12
कुल							3602.76

(स्रोत: वी.एस.एस.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संकलित)

¹⁴¹E=0.7 x 0.7 C x (lx-lb)/lb; 0.7 x 0.7 x 102 x [(143x4.73)-528]/528=14.05; 102 + 14.05 = 116.05

¹⁴²0.7x0.7x93.50x[(143x4.73)-528]/528= 12.87; 93.50 + 12.87 = 106.37

¹⁴³0.49 x 102x [(295x4.73)-528]/528 = 82.10; 102 + 82.10 = 184.10

¹⁴⁴0.49 x 93.50 x [(295x4.73)-528]/528 = 75.26; 93.50 + 75.26 = 168.76

तालिका 2: एल. एंड टी. (मार्च 2008/जून 2016) के मूल्य के प्रति एस.वी.ए.पी.एल. (मई 2019) के मूल्य में अंतर

क्र.सं.	प्रखण्ड	माह/वर्ष	एल. एंड टी. का प्रति इकाई (₹ लाख में) आधार मूल्य	इकाईयों की संख्या	एस.वी.ए.पी.एल. का प्रति इकाई (₹ लाख में) का आधार मूल्य	एस.वी.ए.पी.एल. की प्रति इकाई की तुलना में एल.एंड टी. के प्रति इकाई आधार मूल्य में अंतर (₹ लाख में)	कुल अंतर ₹ लाख में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)	(8) = (7)x(5)
1	एम.डी.एस.	मार्च 2008	96.00	66	65.40	30.60	2019.60
2	एम.डी.एस.	जून 2016	139.10	57	65.40	73.70	4200.90
कुल							6220.50

(स्रोत: वी.एस.एस.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संकलित)

अनुबंध-2.2

[पैरा संख्या 2.1.2.1.सी. में संदर्भित]

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन

तालिका 1: अन्य पार्टियों की दरों के प्रति एच.ए.एल. के पी.एस.एल.वी. एल.ए.एस. की दरों में अंतर (₹ लाख में)

क्र.सं.	लाइट असंबली स्ट्रक्चर का नाम	मैसर्स एच.ए.एल. के साथ संविदाओं के अनुसार दर						अन्य पार्टियों के साथ संविदा के अनुसार दर				
		2007	2008	2016	2008	2009	2016/2017	2018/2019				
1.	हीट शील्ड	170.21	190.00	412.41	-	-	-	-	-	-	278.11	
2.	आई.एस. 1/2 एल	72.47	81.00	178.69	-	-	-	-	-	-	78.50	
3.	आई.एस. 1/2 यू	55.73	59.63	130.96	40.70	-	-	-	-	-	-	
4.	आई.एस. 2/3 यू			124.93						53.00		71.88
5.	आई.एस. 2/3 एल	48.76	52.17	120.75	31.23	-	-	-	-	36.93	-	-
6.	थ्रस्ट फ्रेम असंबली	34.83	37.27	105.22	22.75	-	-	-	-	-	-	-
7.	ए.एफ.टी. एंड क्लोजर	13.93	-	27.46	-	3.00	-	-	-	-	-	-

तालिका 2: पी.एस.एल.वी. एल.ए.एस. के फेब्रिकेशन में एच.ए.एल. को अपरिहार्य भुगतान (₹ लाख में)

क्र.सं.	पी.एस.एल.वी. लाइट अलॉय स्ट्रक्चर का नाम	मात्रा (संख्या)	एच.ए.एल. की दर	अन्य पार्टी की दर	अंतर	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (3) * (6)
1.	हीट शील्ड	17	412.41	278.11	134.30	2283.10
2.	आई.एस. 1/2 एल	17	178.69	78.50	100.19	1703.23
3.	आई.एस. 1/2 यू	9	59.63	40.70	18.93	170.37
4.	आई.एस. 2/3 एल	8	120.75	36.93	83.82	670.56
5.	आई.एस. 2/3 यू	18	124.93	53.00	71.93	1294.74

6.	शस्ट फ्रेम असंबली	9	37.27	22.75	14.52	130.68
7.	ए.एफ.टी. एंड क्लोजर	9	13.93	3.00	10.93	98.37
कुल						6351.05

तालिका 3: अन्य पार्टियों की दरों के प्रति एच.ए.एल. के जी.एस.एल.वी. एल.ए.एस. की दरों में अंतर (₹ लाख में)

क्र.सं.	स्ट्रक्चर का नाम	एच.ए.एल. संविदाओं के अनुसार दर			अन्य पार्टियों के साथ संविदानुसार दर	
		2003	2007	2010	2004	2018
1.	आई.एस. 1/2 यू.	52.08	53.93	68.40	-	57.73
2.	आई.एस. 2/3 एल.	52.73	54.60	69.25	-	42.50
3.	एल. 40 इन्टर टैंक स्ट्रक्चर	61.04	-	-	34.60	-
4.	एल. 40 स्ट्रॉन नोज कोन	76.50	-	-	39.60	-
5.	एल. 40 स्ट्रॉन बैस श्राउड	78.12	-	-	46.90	-

तालिका 4: जी.एस.एल.वी. एल.ए.एस. के फेब्रिकेशन में एच.ए.एल. को परिहार्य भुगतान (₹ लाख में)

क्र.सं.	लाइट अलॉय स्ट्रक्चर का नाम	मात्रा	एच.ए.एल. की दर	अन्य पार्टी की दर	अंतर	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (3) * (6)
1.	आई.एस. 1/2 यू.	6	68.40	57.73	10.67	64.02
2.	आई.एस. 2/3 एल.	6	69.25	42.50	26.75	160.50
3.	एल. 40 इन्टर टैंक स्ट्रक्चर	12	61.04	34.60	26.44	317.28
4.	एल. 40 स्ट्रॉन नोज कोन	12	76.50	39.60	36.90	442.80
5.	एल. 40 स्ट्रॉन बैस श्राउड	12	78.12	46.90	31.22	374.64
		कुल				1359.24

(स्रोत: वी.एस.एस.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संकलित)

अनुबंध-2.3

[पैरा संख्या 2.1.2.1.डी. में संदर्भित]

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन

तालिका 1: रॉइस की अधिप्राप्ति हेतु गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली के कारण परिहार्य भुगतान

मैसर्स स्टार वायर (इण्डिया) पी.ओ. संख्या तथा दिनांक	मद	प्रति इकाई मूल्य (₹ में)	मिथानी पी.ओ. संख्या और दिनांक	मद	प्रति इकाई मूल्य (₹ में)	मूल्य में अंतर (₹ में)	मूल्य में अंतर (प्रतिशतता में)
20150035730 101; 02/12/15	व्यास 35 mm एम.250 राइस 1 से 3 m लम्बी	2430	2015E019070101; 31/12/15	व्यास 30 तथा 40 mm एम.250 राइस 1 से 3 m लम्बी	3700	1270	34.32
2015E031640 101; 05/05/16	व्यास 22 mm एम.250 राइस 1 से 5 m लम्बी	2450	2015E019070101; 31/12/15	व्यास 22 mm एम.250 राइस 1 से 3 m लम्बी	3950	1500	37.97
2015E031640 101; 05/05/16	व्यास 50 mm एम.250 राइस 1 से 4 m लम्बी	2430	2015E019070101; 31/12/15	व्यास 50 mm एम.250 राइस 1 से 3 m लम्बी	3600	1170	32.50
2017E061060 101; 09/08/17	व्यास 160 mm एम.250 राइस 1 से 3 m लम्बी	2079	2017E072940101; 20/12/17	व्यास 160 mm एम.250 राइस 1 से 2 m लम्बी	2250	171	7.60

तालिका 2: रिंग्स और प्लेटों की अधिप्राप्ति हेतु गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली के कारण परिहार्य भुगतान

क्र. सं.	मद	संविदा संख्या 20090028030101 दिनांक 21/12/2009 (₹ में) के अनुसार ईकाई मूल्य	संविदा संख्या 20140024040101 दिनांक 12/02/2016 (₹ में) के अनुसार ईकाई मूल्य	मूल्य में वृद्धि (₹ में)	मूल्य में प्रतिशत वृद्धि	संविदा संख्या 20140024040101 दिनांक 12/02/2016 के अनुसार ईकाई मूल्य	परिहार्य भुगतान (₹ में)
1.	रिंग एफ 1	493200	721020	227820	46.19	15	3417300
2.	रिंग एफ 2	1641300	2054175	412875	25.16	30	12386250
3.	रिंग एफ 3	6518800	9362280	2843480	43.62	30	85304400
4.	रिंग एफ 4	4151400	5776395	1624995	39.14	60	97499700
5.	रिंग एफ 5	4212900	5845935	1633035	38.76	60	97982100
6.	रिंग एफ 6	3433600	5076420	1642820	47.85	15	24642300
7.	प्लेट पी 22	6278500	8214870	1936370	30.84	135	261409950
8.	प्लेट पी 26	6152000	8057490	1905490	30.97	8	15243920
कुल							597885920

(स्रोत: वी.एस.एस.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संकलित)

अनुबंध-2.4

[पैरा संख्या 2.1.2.11 में संदर्भित]

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन

मैसर्स मिथानी द्वारा लागत लाभ को कम पारित करने के कारण अधिक भुगतान

क्र.सं.	मद	फरवरी 2016 संविदा के अनुसार मात्रा (संख्या में)	भार (कि.गा. में) प्रति इकाई	दिसंबर 2009 संविदा की तुलना में फरवरी 2016 संविदा में मूल्य में वृद्धि प्रतिशतता	मेलिंग सुविधाओं के कारण लाभ को कम पारित करना (₹ में)	हार्ड ट्रीटमेंट सुविधा के कारण लाभ को कम पारित करना (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 300 x (3) x (4) x (5)/100	(7) = 50000 x (3) x (5)/100
1.	रिंग एफ 1	15	106	46.19	220326.3	--
2.	रिंग एफ 2	30	279	25.16	631767.6	--
3.	रिंग एफ 3	30	1604	43.62	6296983	--
4.	रिंग एफ 4	60	962	39.14	6777482	--
5.	रिंग एफ 5	60	957	38.76	6676798	--
6.	रिंग एफ 6	15	888	47.85	1912086	--
7.	प्लेट पी 22	135	1405	30.84	17548731	2081700
8.	प्लेट पी 26	8	1660	30.97	1233845	123880
कुल					41298018.9	2205580

(स्रोत: वी.एस.एस.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संकलित)

अनुबंध-2.5

[पैरा संख्या 2.1.2.12]

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन
विलंबित सुपुर्दगी के कारण संविदा कारों के अदेय/अनुचित लाभ

क्र.सं.	पी.ओ. संख्या और तिथि	मद	आपूर्तिकर्ता	विलंब का औसत (दिनों में)	एल.डी. की नॉन/अण्डर लेवी (₹ लाख में)	विलंब के कारण मूल्य भिन्नता का अधिक भुगतान (₹ लाख में)
1.	20130032460101; 01-08-2016	प्रूफ प्रेसर परीक्षण	वालचंदनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.एल.)	2 से 78	3.74	3.32
2.	20150076800101; 31-05-2016	मोटर केस पी.एस.ओ.एक्स.एल.	वालचंदनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.एल.)	6 से 112	12.74	51.50
3.	20070060500101; 25-03-2008	एस. 139 हाई एंड तथा नॉजल एंड	वालचंदनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.एल.)	18 से 922	635.41	263.04
4.	20070060520101; 25-03-2008	एस. 139 मिडिल सेगमेंट	लार्सेन एंड टर्बो लिमिटेड	3 से 1046	767.96	804.28
5.	20070063960101; 27-03-2008	हनी कॉम्ब डेक्स	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	42 से 1074	235.48	**
6.	20040042270101; 09-03-2005	जी.एस.एल.वी. एल. 40 लाइट एलॉय स्ट्रक्चर्स	श्री वेनकटेश्वर एयरोस्पेज (पी) लिमिटेड	21 से 1016	95.77	**
7.	20110071950101 आदेश संदर्भ सं. पी.यू.वी.	मोटर केस पी.एस.ओ./पी.एस.ओ. .एक्स एल.	वालचंदनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.एल.)	7 से 650	19.59	15.37

क्र.सं.	पी.ओ. संख्या और तिथि	मद	आपूर्तिकर्ता	विलंब का औसत (दिनों में)	एल.डी. की नॉन/अण्डर लेवी (₹ लाख में)	विलंब के कारण मूल्य भिन्नता का अधिक भुगतान (₹ लाख में)
	/1402/02/01/151 दिनांक 30-07-2003					
8.	20100026700101; 31-03-2011	एस. 139 मिडिल सेगमेंट हार्डवेयर इन ई.एस.आर. मोड 15 सी.डी.वी. 6	लार्सेन एंड टर्बो लिमिटेड	641 से 802	55.47	6.05
कुल					1826.16	1143.56

** अपर्याप्त सूचना के कारण मूल्यांकित नहीं किया जा सका।
(स्रोत: वी.एस.एस.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संकलित)

अनुबंध-2.6

[पैरा संख्या 2.1.2.14]

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन

मूल्य भिन्नता उपबंध पर सूचना

क्र.सं.	पी.ओ. तिथि	आपूर्तिकर्ता	₹ लाख में आदेश मूल्य	₹ लाख में कॉल (6) के प्रति वास्तविक व्यय	प्रत्येक संविदा में विवरण सहित मूल्य भिन्नता उपबंध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	01-03-2017	एल. एंड टी.	669.00	681.74	अग्रिम के रूप में दी गयी 30 प्रतिशत राशि (60 प्रतिशत भुगतान मूल्य संवर्धन फॉर्मूला: $V_0 = 0.8 \times 0.6 \times$ संविदा मूल्य $\times (I_k - I_b) / I_b$ और 10 प्रतिशत भुगतान हेतु समान फॉर्मूला। $I_b =$ जनवरी 2016 के लिए मुंबई हेतु सी.पी.आई. 7 प्रतिशत 2006-07 से वृद्धि
2.	30-12-2003	एच.ए.एल.	4613.12	730.48	अग्रिम स्वरूप 30 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य। 2006-07 से 7% की वृद्धि लागू।
3.	19-01-2016	एच.ए.एल.	4881.00	6378.07	$P_1 = P_0 / 100 \{50 \times Nb_1 / Nb_0 + 16 \times Hf_1 / Hf_0 + 34\}$ P_1 और P_0 बड़े हुए मूल्य हैं तथा क्रमशः मई 2010 तक के मूल्य हैं। $Nb_0 =$ प्रति किलोग्राम निओबियम की अनुमानित लागत ₹ 9051 $Hf_0 =$ हैफनियम की प्रति किलोग्राम अनुमानित लागत ₹ 26496 Nb_1 और $Hf_1 =$ उत्पादन में प्रति कि.ग्रा. में क्रमशः निओबियम और हैफनियम की वास्तविक लागत।
4.	31-01-2011	मिधानी	1129.82	622.50	

क्र.सं.	पी.ओ. तिथि	आपूर्तिकर्ता	₹ लाख में आदेश मूल्य	मार्च 2021 तक ₹ लाख में कॉल (6) के प्रति वास्तविक व्यय	प्रत्येक संविदा में विवरण सहित मूल्य भिन्नता उपबंध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					तथापि, इस संविदा के अंतर्गत मूल्य भिन्नता के कारण कोई भुगतान नहीं किए गए थे।
5.	12-02-2016	मिथानी	26247.77	25881.65	30 प्रतिशत अग्रिम स्वरूप भुगतान योग्य राशि। दो वर्षों के बाद भुगतान की जाने वाली कीमतों की शेष 70 प्रतिशत भुगतान पर वृद्धि लागू करते हुए अनुबंध में लिया गया और इंगित किया गया।
6.	25-02-2016	एच.ए.एल.	22232.73	19479.75	भुगतान योग्य अग्रिम 30 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 से 7 प्रतिशत वृद्धि।
7.	29-03-2010	एच.ए.एल.	5539.56	5973.68	अग्रिम के रूप में 40 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। वर्ष 2010-11 से लागू बकाया भुगतानों पर 7 प्रतिशत वृद्धि।
8.	20-10-2011	एच.ए.एल.	1848.60	5366.31	वर्ष 2011-12 से 7 प्रतिशत वृद्धि
9.	31-05-2016	डब्ल्यू.आई.एल.	345.60	788.14	जनवरी 2004 (I _b) माह के लिए शोलापुर हेतु वर्किंग क्लास सी.पी.आई. के संबंध में फेब्रिकेशन लागत के 70 प्रतिशत के 75 प्रतिशत (अग्रिम के पश्चात् शेष होने) पर मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाना था। $E = 0.70 \times 0.75 \times C(I_x - I_b) / I_b$
10.	27-03-2008	एच.ए.एल.	5567.00	6736.52	वर्ष 2010-11 से फेब्रिकेशन लागत के 70 प्रतिशत पर 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि

क्र.सं.	पी.ओ. तिथि	आपूर्तिकर्ता	₹ लाख में आदेश मूल्य	मार्च 2021 तक ₹ लाख में कॉल (6) के प्रति वास्तविक व्यय	प्रत्येक संविदा में विवरण सहित मूल्य भिन्नता उपबंध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	04-01-2017	एस.बी.ए.एल.	396.23	494.76	जनवरी 2016 माह के लिए (I _b) हैदराबाद हेतु वर्किंग क्लास सी.पी.आई. के संबंध में फेब्रिकेशन लागत के 70 प्रतिशत (अग्रिम के पश्चात् शेष होना) पर भुगतान किए जाने वाली मूल्य वृद्धि। E= 0.70 x C x (I _x -I _b) / I _b
12.	14-03-2007	एस.आई.एफ.एल.	275.00	275.00	अग्रिम स्वरूप 30 प्रतिशत का भुगतान किया जाना। प्रत्यावर्तन प्रभारों हेतु मूल्य वृद्धि संशोधित प्रत्यावर्तन प्रभार= वर्तमान दर (0.4 x P1/P0 + 0.3 x L1/L0 + 0.3) वर्तमान विद्युत प्रशालक तथा प्रति कर्मचारी श्रम लागत आधार वर्ष 2005-06 के लिए है।
13.	12-07-2013	एच.ए.एल.	820.40	685.65	वर्ष 2013-14 से 7 प्रतिशत वृद्धि
14.	22-03-2007	एच.ए.एल.	477.43	156.50	वर्ष 2007-08 से 7 प्रतिशत वृद्धि
15.	30-07-2003	डब्ल्यू.आई.एल.	1695.60	1980.77	जनवरी 2004 (I _b) माह के लिए शोलापुर हेतु वर्किंग क्लास सी.पी.आई. के संबंध में फेब्रिकेशन लागत के 70 प्रतिशत के 75 प्रतिशत (अग्रिम के पश्चात् शेष होने) पर मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाना था। E= 0.70 x 0.75 x C(I _x -I _b) / I _b
16.	31-03-2009	एल. एंड टी.	599.00	591.60	अग्रिम भुगतान स्वरूप भुगतान योग्य कुल लागत 50 प्रतिशत। 30 प्रतिशत प्रोसेट भुगतान हेतु E= 0.80 x 0.30C (I _x -I _b)/I _b और शेष 20 प्रतिशत भुगतान हेतु समान फॉर्मूला

क्र.सं.	पी.ओ. तिथि	आपूर्तिकर्ता	₹ लाख में आदेश मूल्य	मार्च 2021 तक ₹ लाख में कॉल (6) के प्रति वास्तविक व्यय	प्रत्येक संविदा में विवरण सहित मूल्य भिन्नता उपबंध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	22-03-2007	एच.ए.एल.	4018.01	3637.14	फरवरी 2009 के लिए मुंबई के मजदूर वर्ग के लिए एल.बी सी.पी.आई. है। वर्ष 2007-08 से 7 प्रतिशत वृद्धि
18.	30-03-2017	आर.के Aerospace	133.98	171.58	जनवरी 2004 (I _b) माह हेतु चेन्नई के लिए वर्किंग क्लास सी.पी.आई. के संबंध में फेब्रिकेशन लागत के 65 प्रतिशत के 50 प्रतिशत (अग्रिम के बाद शेष) पर मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाना था। $E = 0.65 \times 0.5 \times C (I_x - I_b) / I_b$
19.	18-12-2015	के.एम.एम.एल.	1719.53	1712.86	इनपुट लागत में वास्तविक भिन्नता पर आधारित।
20.	02-01-2017	तनेजा	301.42	359.11	मूल्य 18 महीनों के लिए निर्धारित है। यदि हार्डवेयर की सुपुर्दगी 18 महीनों से अधिक में होती है तो 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि बकाया भुगतानों पर लागू की जायेगी।

अनुबंध-2.7

[पैरा संख्या 2.1.2.15]

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन प्रकरण जिनमें अग्रिम अवरुद्ध किये गये

क्र.सं.	पी.ओ. सं.	पी.ओ. तिथि	मद विवरण	आपूर्तिकर्ता	अग्रिम राशि की प्रतिशतता (₹ लाख में)	अग्रिम के भुगतान की तिथि	आपूर्ति के आरंभ की तिथि	अग्रिम के अवरोधन की अवधि (महीनों में)	(@ 10 प्रतिशत) ₹ लाख में ब्याज आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (7)	(10) = 0.1 x (6) x (9)/12
1.	2014004 4860101 आदेश संदर्भ संख्या PUV/02/ 1405/02/ 410 दिनांक 26-03-03	26.03.03	जी.एस.एल. बी. लाइट अलॉय स्ट्रक्चर	हिन्दुस्तान एयरोनॉटि क्स लिमिटेड	1264.96 (30 प्रतिशत)	31.03.03	31.03.09	73.07	770.26
2.	2015001 0120101 आदेश संदर्भ	30.03.04	पी.एस.एल. बी. लाइट एलॉय स्ट्रक्चर	हिन्दुस्तान एयरोनॉटि क्स लिमिटेड	2023.77 (30%)	31.03.04	19.08.05	16.87	284.51

क्र.सं.	पी.ओ. सं.	पी.ओ. तिथि	मद विवरण	आपूर्तिकर्ता	अग्रिम राशि की प्रतिशतता (₹ लाख में)	अग्रिम के भुगतान की तिथि	आपूर्ति के आरंभ की तिथि	अग्रिम के अवरोधन की अवधि (महीनों में)	(@ 10 प्रतिशत) ₹ लाख में ब्याज आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (7)	(10) = 0.1 x (6) x (9)/12
	संख्या PUV/02// 1694/02/ 466 दिनांक 30.03.04								
3.	2013003 2460101	01.08.16	प्रूफ प्रेसर परीक्षण सुविधा	वालचंद नगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.ओ ई.आई.)	55.50 (30 प्रतिशत)	08.11.16	30.11.17	12.90	5.97
					42.75 (15 प्रतिशत)	08.11.16	30.11.17	12.90	4.60
					114.00 (40 प्रतिशत)	12.04.17	30.11.17	7.73	7.34
					38.54 (40 प्रतिशत)	12.04.17	30.11.17	7.73	2.48

क्र.सं.	पी.ओ. सं.	पी.ओ. तिथि	मद विवरण	आपूर्तिकर्ता	अग्रिम राशि की प्रतिशतता (₹ लाख में)	अग्रिम के भुगतान की तिथि	आपूर्ति के आरंभ की तिथि	अग्रिम के अवरोधन की अवधि (महीनों में)	(@ 10 प्रतिशत) ₹ लाख में ब्याज आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (7)	(10) = 0.1 x (6) x (9)/12
4.	2009003 6000101	29.03.10	जी.एस.एल. वी.एम. के ॥ लाइट एलॉय स्ट्रक्चर	हिन्दुस्तान एयरोनॉटि क्स लिमिटेड	1202.08 (21.70 प्रतिशत)	31.03.10	07.10.11	18.50	185.32
5.	2015007 6800101	31-05-16	मोटर केस पी.एस.ओ.ए क्स.एल.	वालचंद नगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आ ई.आई.)	1013.73 (18.30 प्रतिशत) 86.40 (25 प्रतिशत)	29.04.10 08.09.16	07.10.11 22.06.17	17.53 9.47	148.09 6.82
6.	2007006 0500101	25-03-08	एस. 139 हैड एंड तथा नॉजल एंड सेंगमेंट हार्डवेयर का फ्रेब्रिकेशन	वालचंद नगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आ ई.आई.)	997.05 (30 प्रतिशत)	31.03.08	08.10.11	43	357.28

क्र.सं.	पी.ओ. सं.	पी.ओ. तिथि	मद विवरण	आपूर्तिकर्ता	अग्रिम राशि की प्रतिशतता (₹ लाख में)	अग्रिम के भुगतान की तिथि	आपूर्ति के आरंभ की तिथि	अग्रिम के अवरोधन की अवधि (महीनों में)	(@ 10 प्रतिशत) ₹ लाख में ब्याज आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (7)	(10) = 0.1 x (6) x (9)/12
7.	2007006 0520101	25-03-08	एस. 139 मिडिल सेगमेंट हार्डवेयर का फेब्रिकेशन	लार्सेन एंड टर्बो लिमिटेड मुंबई	293.25 (30 प्रतिशत) 2400 (50 प्रतिशत)	25.09.08 31.03.08	08.10.11 03.05.12	36.13 49.80	88.29 996.00
8.	2007006 3960101	27.03.08	पी.एस.एल. बी. लाइट एलॉय स्ट्रक्चर	हिन्दुस्तान एयरोनॉटि क्स लिमिटेड	16.70 (30 प्रतिशत)	31.03.08	27.10.11	43.50	6.05
9.	2004004 2270101	09.03.05	जी.एस.एल. बी. एल. 40 लाइट एलॉय स्ट्रक्चर	श्री वेंकटेश्वर एयरोस्पेस (पी) लिमिटेड	267.12 (30 प्रतिशत)	24.03.05	08.01.08	34.00	75.68
10.	2009003 9690101	10.05.10	जी.एस.एल. बी.हनी	टाटा एडवांस	148.62 (30 प्रतिशत)	01.07.10	05.03.14	44.77	55.45

क्र.सं.	पी.ओ. सं.	पी.ओ. तिथि	मद विवरण	आपूर्तिकर्ता	अग्रिम राशि की प्रतिशतता (₹ लाख में)	अग्रिम के भुगतान की तिथि	आपूर्ति के आरंभ की तिथि	अग्रिम के अवरोधन की अवधि (महीनों में)	(@ 10 प्रतिशत) ₹ लाख में ब्याज आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (7)	(10) = 0.1 x (6) x (9)/12
			कॉम्ब डेक प्लेट्स	मैटेरियल लिमिटेड					
11.	2012001 2030101	12.07.13	एच.एस.पी. क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	126.12 (30 प्रतिशत)	18.10.13	12.05.16	31.23	32.82
12.	2006001 4600101	22.03.07	पी.एस.एल. वी. लाइट एलॉय स्ट्रक्चर	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	148.25 (30 प्रतिशत)	27.03.07	04.05.11	49.97	61.73
13.	2010002 6710101	31-03-11	ई.एस.आर. एम.ओ.डी. 15 सी.डी.वी. 6 में एस. 139 हैड एंड तथा नॉजल एंड सेगमेंट हार्डवेयर	वालचंद नगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आ ई.आई.)	73.50 (30 प्रतिशत)	31.03.11	01.05.17	73	44.71

क्र.सं.	पी.ओ. सं.	पी.ओ. तिथि	मद विवरण	आपूर्तिकर्ता	अग्रिम राशि की प्रतिशतता (₹ लाख में)	अग्रिम के भुगतान की तिथि	आपूर्ति के आरंभ की तिथि	अग्रिम के अवरोधन की अवधि (महीनों में)	(@ 10 प्रतिशत) ₹ लाख में ब्याज आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (7)	(10) = 0.1 x (6) x (9)/12
14.	2011007 1950101 आदेश संदर्भ संख्या पी.यू.वी./0 2/1402/0 2/151 दिनांक 30-07-03	30-07-03	मोटर केस पी.एस.ओ.	वालचंद नगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आ ई.आई.)	62.10 (25 प्रतिशत)	03.09.03	29.03.08	55.63	28.79
15.	2008004 3080101	31.03.09	पी.एस.एल. बी. हनी कॉम्ब डेक्स	लार्सेन एंड टर्बो लिमिटेड	62.10 (25 प्रतिशत) 299.50 (50 प्रतिशत)	15.04.04 31.03.09	29.03.08 29.04.10	48.13 13.13	24.91 32.77
16.	2005007 6310101	22.03.07	जी.एस.एल. बी. लाइट एलॉय स्ट्रक्चर	हिन्दुस्तान एयरोनॉटि क्स लिमिटेड	1205.403 (30 प्रतिशत)	27.03.07	22.09.08	18.17	182.52

क्र.सं.	पी.ओ. सं.	पी.ओ. तिथि	मद विवरण	आपूर्तिकर्ता	अग्रिम राशि की प्रतिशतता (₹ लाख में)	अग्रिम के भुगतान की तिथि	आपूर्ति के आरंभ की तिथि	अग्रिम के अवरोधन की अवधि (महीनों में)	(@ 10 प्रतिशत) ₹ लाख में ब्याज आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (7)	(10) = 0.1 x (6) x (9)/12
17.	2010002 6700101	31-03-11	एस. 139 मिडिल सेगमेंट हार्डवेयर का फेब्रिकेशन	लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, मुंबई	284.10 (30 प्रतिशत)	31.03.11	27.03.17	72	170.46
18.	2015004 1330101 आदेश संदर्भ संख्या पी.यू.वी./0 2/1402/0 2/150 दिनांक 30.07.03	30.07.03	मोटर केस पी.एस.ओ.- एक्स.एल.	आर.के. एयरोस्पेस	270 (50 प्रतिशत)	07.08.03	13.10.04	14.43	32.47
19.	2016003 4950101	02.01.17	पी.एस.एल. वी. इन्टरस्टेज	तनेजा एयरोस्पेस एंड	90.43 (30 प्रतिशत)	06.02.17	05.11.18	21.23	16.00

क्र.सं.	पी.ओ. सं.	पी.ओ. तिथि	मद विवरण	आपूर्तिकर्ता	अग्रिम राशि की प्रतिशतता (₹ लाख में)	अग्रिम के भुगतान की तिथि	आपूर्ति के आरंभ की तिथि	अग्रिम के अवरोधन की अवधि (महीनों में)	(@ 10 प्रतिशत) ₹ लाख में ब्याज आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) - (7)	(10) = 0.1 x (6) x (9)/12
20.	2015004 1060101	08-04-16	2/3 यू. एस.टी.आर. मोटर केस पी.एस.ओ.ए क्स.एल.	एवीएशन लिमिटेड के बूट इंजीनियरिंग ग लिमिटेड (इकाई-1)	53.70 (20 प्रतिशत)	06.06.16	21.12.17	18.77	8.40
21.	2018E14 1440102	30-07-19	एस. 200 नॉजल डाइव की आपूर्ति और फेब्रिकेशन	वालचंद नगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू.आ ई.आई.)	153.00 (30 प्रतिशत)	03.09.19	आपूर्ति नहीं की गयी (मार्च 2021 की स्थिति)	18	22.95
कुल									3652.67

परिशिष्ट

परिशिष्ट I: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य केंद्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

(पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी अनुदान की राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
1.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुंबई	103.25
2.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	30.42
3.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	38.17
4.	भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	30.66
5.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर	645.65
6.	साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता	96.07
7.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुंबई	506.97
8.	टाटा स्मारक केंद्र, मुंबई	888.63
9.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	139.32
10.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई	1.01
	उप-कुल	2480.15
अंतरिक्ष विभाग के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
11.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	146.84
12.	राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गडंकी	29.55
13.	उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, शिलांग	26.50
14.	अर्ध संचालक प्रयोगशाला, चंडीगढ़	360.91
15.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम	69.25
	उप-कुल	633.05
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
16.	अगरकर अनुसंधान संस्थान-एम.ए.सी.एस., पुणे	32.16
17.	आर्यभट्ट पर्यवेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल	39.01
18.	बसु संस्थान, कोलकाता	100.08
19.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	55.75

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी अनुदान की राशि
20.	नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलूरु	16.40
21.	भारतीय विज्ञान विकास संघ, कोलकाता	130.30
22.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलूरु	112.02
23.	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुंबई	48.88
24.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.एस.टी.), गुवाहाटी	33.47
25.	नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	64.56
26.	अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु विज्ञान एवं उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	63.83
27.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलूरु	105.34
28.	रमन अनुसंधान संस्थान (आर.आर.आई.), बेंगलूरु	63.95
29.	एस.एन.बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता	47.36
30.	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून	43.56
31.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्, नई दिल्ली	21.01
32.	उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र, शिलॉंग	2.50
33.	विज्ञान प्रसार, नोएडा	19.64
34.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलूरु	6.30
35.	भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	4.06
36.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	23.05
37.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता	6.64
38.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इंडिया, प्रयागराज	8.25
	उप-कुल	1048.12
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
39.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	71.55
40.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे	47.10
41.	डी.एन.ए. अंगुलिदाब एवं नैदानिक केंद्र, हैदराबाद	43.50
42.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव	27.45
43.	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	31.50
44.	जैव-संसाधन तथा सतत विकास संस्थान, इम्फाल	12.76

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी अनुदान की राशि
45.	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	39.50
46.	ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	35.50
47.	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, त्रिवेंद्रम	91.42
48.	राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, कल्याणी	19.75
49.	राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	15.75
50.	स्टेम सेल अनुसंधान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलूरु	38.72
51.	राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	23.00
52.	नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली	12.00
53.	इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली	33.50
	उप-कुल	543.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
54.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	218.03
55.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली	99.50
56.	गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा	16.70
57.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	23.50
58.	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बेंगलूरु	10.25
	उप-कुल	367.98
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
59.	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई	13.50
60.	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला	4.70
61.	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	13.00
	उप-कुल	31.20
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
62.	राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान, गोवा	172.87
63.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे	131.23

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी अनुदान की राशि
64.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	172.42
65.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद	47.60
66.	भू-विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम	22.75
	उप-कुल	546.87
	कुल	5650.37

परिशिष्ट II: केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जहां स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था और जहां वस्तु-सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

(पैराग्राफ 1.5.3 के संदर्भ में)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी:

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय/विभाग
1.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2.	राष्ट्रीय जैव विवधता प्राधिकरण, चेन्नई	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
4.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
5.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
6.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
7.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
8.	क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
9.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जहां स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था:

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय/विभाग
1.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली*	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

*चयनित 14 लैबों में से आठ लैबों का सत्यापन नहीं किया गया था।

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जहां वस्तु-सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था:

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय/विभाग
1.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली*	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

*चयनित 14 लैबों में से आठ लैबों का सत्यापन नहीं किया गया था।

परिशिष्ट III: केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपदान एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों का लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया था

(पैराग्राफ 1.5.3 के संदर्भ में)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपदान एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों का लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया था:

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय/विभाग
1.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून*	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

*टर्मिनल लाभों का प्रावधान न करना अर्थात गैरच्युटी, इसके अधिकारियों की संचित कमाई छुट्टी नकदीकरण और एक 'शून्य' शेष/आंकड़ा अनुसूची -7 'वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों' और अनुसूची -20 'स्थापना व्यय' दोनों खातों में परिलक्षित होता था। इसलिए, देनदारियों के साथ-साथ व्यय को उस सीमा तक कम करके आंका गया।

परिशिष्ट IV: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र
(पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2020 तक)	मार्च 2020 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2021 तक देय थे	राशि (करोड़ में)
			संख्या	राशि
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग			
		मार्च 2014 तक	240	18.45
		2014-2019	579	82.94
		2019-20	123	16.00
		उप-कुल	942	117.39
2.	अंतरिक्ष विभाग			
		मार्च 2014 तक	139	3.99
		2014-19	387	19.34
		2019-20	230	25.31
		उप-कुल	756	48.64
3.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
		मार्च 2014 तक	210	1596.48
		2014-19	1307	8988.12
		2019-20	30	249.81

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2020 तक)	मार्च 2020 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2021 तक देय थे	राशि (करोड़ में)
		उप-कुल	1547	10834.41
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
		मार्च 2014 तक	00	00
		2014-19	17436	2262.36
		2019-20	6430	1520.49
		उप-कुल	23866	3782.85
5.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग			
		मार्च 2014 तक	00	00.00
		2014-19	12396	4281.00
		2019-20	2908	1833.00
		उप-कुल	15304	6114.00
6.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			
		मार्च 2014 तक	3791	163.25
		2014-19	514	385.49
		2019-20	188	81.78
		उप-कुल	4493	630.52
7.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
		मार्च 2014 तक	114	79.08

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2020 तक)	मार्च 2020 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2021 तक देय थे	राशि (करोड़ में)
		2014-2019	319	504.82
		2019-20	85	210.50
		उप-कुल	518	794.40
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
		मार्च 2014 तक	464	31.95
		2014-19	96	11.00
		2019-20	71	20.75
		उप-कुल	631	63.70
	कुल		48057	22385.91

परिशिष्ट V: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची।

(पैराग्राफ 1.8 के संदर्भ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मुख्य सी.पी.एस.ई./कार्यान्वयन इकाई या संयंत्र	सी.पी.एस.ई. का नाम
1.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड, शिमला
2.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, दिल्ली
3.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली
4.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	लखनऊ सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, कॉरपोरेट कार्यालय
6.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	कर्नाटक सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूरु
7.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड, कासरगोड
8.	एम.एन.आर.ई.	मुख्य	आंध्र प्रदेश सोलर पॉवर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, विजयवाड़ा
9.	डी.बी.टी.	मुख्य	जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, दिल्ली
10.	डी.बी.टी.	मुख्य	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली
11.	डी.बी.टी.	मुख्य	भारतीय टीका निगम लिमिटेड, दिल्ली
12.	डी.एस.आई.आर.	मुख्य	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मुख्य सी.पी.एस.ई./कार्यान्वयन इकाई या संयंत्र	सी.पी.एस.ई. का नाम
13.	डी.एस.आई.आर.	मुख्य	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली
14.	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	मुख्य	अंडमान एवं निकोबार द्वीप वन तथा रोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर
15.	डी.ओ.एस.	मुख्य	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलूरु
16.	डी.ओ.एस.	मुख्य	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बैंगलूरु
17.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नरौरा
18.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कैगा
19.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड, चावरा
20.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड, अलुवा
21.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलूरु
22.	डी.ए.ई.	मुख्य	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी), कलपक्कम
23.	डी.ए.ई.	मुख्य	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद
24.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चेन्नई
25.	एन.पी.सी.आई.एल. (डी.ए.ई.)	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कुडनकुलम

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मुख्य सी.पी.एस.ई./कार्यान्वयन इकाई या संयंत्र	सी.पी.एस.ई. का नाम
26.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड, मनावलकुरुचि कन्याकुमारी
27.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र, कल्लपक्कम
28.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तुम्मलपल्ले, आंध्र प्रदेश
29.	डी.ए.ई.	मुख्य	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, कॉरपोरेट कार्यालय, मुंबई
30.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई
31.	डी.ए.ई.	मुख्य	इंडियन रेअर अर्थस् (इंडिया) लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, मुंबई
32.	डी.ए.ई.	मुख्य	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, -इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई
33.	डी.ए.ई.	मुख्य	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड, मुंबई
34.	डी.ए.ई.	मुख्य	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेट कार्यालय, मुंबई
35.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - अनुबंध और सामग्री प्रबंधन, मुंबई
36.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र (इकाई 1 एवं 2), गुजरात

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मुख्य सी.पी.एस.ई./कार्यान्वयन इकाई या संयंत्र	सी.पी.एस.ई. का नाम
37.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र (इकाई 1 एवं 2), महाराष्ट्र
38.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, - रावतभाटा राजस्थान साइट
39.	डी.ए.ई.	कार्यान्वयन इकाई/संयंत्र	इंडियन रेअर अर्थस् (इंडिया) लिमिटेड, (आई.आर.ई.एल.), गंजम, ओडिशा
40.	डी.ए.ई.	मुख्य	आई.आर.ई.एल.-आई.डी.सी.ओ.एल. लिमिटेड, (कॉरपोरेट कार्यालय)
41.	डी.ए.ई.	मुख्य	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (यू.सी.आई.एल. कॉरपोरेट कार्यालय)

**परिशिष्ट VI: 2020-21 के दौरान अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण
(पैराग्राफ 1.9 के संदर्भ में)**

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताएं के कारण									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ करना		एक्स-ग्रेशिया अदायगी	
	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	-	-	-	-	12	10.77	-	-	-	-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	शून्य									
अंतरिक्ष विभाग	शून्य									
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	शून्य									
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	शून्य									
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	शून्य									
कुल	-	-	-	-	12	10.77	-	-	-	-

परिशिष्ट VII: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की मार्च 2022 में स्थिति का संक्षिप्त विवरण - ए.टी.एन. जो मंत्रालय/विभाग से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	संसद में प्रस्तुति की स्थिति	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग					
1.	2020 की 6	4.2	आयन ट्रैप सिस्टम की स्थापना	23.09.2020	17 माह
2.	2021 की 2	3.2	पट्टा किराए की कम वसूली	24.03.2021	11 माह
3.	2021 की 2	3.3	उच्च दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान	24.03.2021	11 माह
जैव प्रौद्योगिकी विभाग					
4.	2020 की 6	14.2	कर्मचारियों को भत्तों को प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त व्यय	23.09.2020	17 माह
वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग					
5.	2021 की 2	11.1	आई.टी. एप्लीकेशन सिस्टम 'वन सी.एस.आई.आर' की कार्यक्षमता	24.03.2021	11 माह

परिशिष्ट VIII: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की मार्च 2022 में स्थिति का संक्षिप्त विवरण - ए.टी.एन. जिन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दे चुका हैं, परंतु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।

(पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. पर पुनरीक्षण प्रतिक्रियाओं की तिथि	संशोधित ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग					
1.	2018 की 2	3.2	भूमि किराया की अल्प-प्राप्ति	18.09.2018	41 माह
जैव प्रौद्योगिकी विभाग					
2.	2018 की 2	4.2	पदोन्नति तथा हकदारी की अनियमित मंजूरी	01.10.2019	29 माह
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
3.	2018 की 2	8.2	अनियमित वेतन संरक्षण	25.03.2019	35 माह
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
4.	2013 की 21	पृथक एकल	भारत में प्रतिपूरक वनरोपण	03.08.2017	55 माह
5.	2016 की 39	पृथक एकल	पर्यावरण अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी	18.07.2018	44 माह
6.	2020 की 6	7.1	आवासीय प्रयोजन के लिए खपत की गई विद्युत पर अतिरिक्त खर्च	05.03.2021	12 माह

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in